वम माला, खंड 43, अंक 27 मंगलवार, 27 अगस्त, 1974/5 भाद्र, 1896 (शक)
fth Series, Vol. XLIII, No. 27 Tuesday, August 27, 1974/Bhadra 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 43 म अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 388(7)
DATE 1.4.75

विषय सूची/CONTENTS

अंक 27—मंगलवार, 27 अगस्त, 1974/5 भाद्र, 1896 (शक)
No. 27—*Tuesday, August* 27, 1974/*Bhadra* 5, 1896 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
508	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Staff in Engineers India Limited . .	1-2
509	पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर किया गया व्यय	Expenditure on Advertisement in Newspapers by Eastern and South Eastern Railways	3-4
510	छपरा रेलवे स्टेशन पर ठेके पर कार्य	Vending Contractors at Chapra Station	5-8
511	भारतीय रेलों से मजूरी में असमानता	Disparity in wages in Indian Railways	9-10
512	उत्तर प्रदेश को स्लैक कोयले के रेंकों की सप्लाई	Supply on Rakes of Slack Coal to Uttar Pradesh . .	10-11
514	आसाम में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss suffered by Railways in Assam due to Floods . .	11-12

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र० संख्या S.Q. Nos.			
513	रामगंगा ब्रिज रेलवे स्टेशन में मकान किराया	House Rent for Quarter in Ram Ganga Bridge Railway Station	13
515	तेल के उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to Curb Misuse of Oil Products	13-15
516	नैमित्तिक श्रमिकों की नौकरी बहाल किया जाना और बातचीत फिर से शुरू किया जाना	Reinstatement of Casual labour and Resumtion of Talks	15
517	विधान सभाओं और लोक सभा के लिये चुनावों का साथ-साथ आयोजन	Simultaneous Election to Legislative Assembly and Lok Sabha	15-16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—30 LSS(ND)/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
518	हड़ताल समाप्त होने से पूर्व काम पर लौटने वाले रेल कर्मचारी	Resumption of Duty by Railwaymen before withdrawal of Strike	16
519	दिल्ली, शाहदरा (उत्तर रेलवे) के स्वास्थ्य एकक के एक रेल कर्मचारी की हिरासत में रखा जाना	Detention of a Railway Employee of Health Unit, Delhi-Shahdara (Northern Railway) .	16-17
520	रेलवे कर्मचारियों से बांड भराया जाना	Signing of Bonds by Railway Employees . . .	17
521	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा तेल शोधन कार्यों में कटौती	Cut in Refinery Operations of H.P.C. . . .	17-18
522	नेप्था के मूल्यों में कमी	Reduction in Prices of Naphtha	18
523	औषधियों पर कर	Taxes on Drugs . .	18
524	पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग के तरीके के कारण तेल फर्मों को हुई हानि	Loss incurred by Oil Firms due to Pattern of Consumption of Petroleum Products.	19
525	उड़ीसा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertiliser Plant in Orissa	19
526	पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने में बर्मा शैल की असमर्थता	Inability of Burmah Shell to meet Demand for Petroleum Products	19-20
527	नंगल उर्वरक कारखाने का बंद हो जाना	Closure of Nangal Fertiliser Factory	20
528	कोचीन उर्वरक संयंत्र से यूरिया की ढुलाई	Removal of Urea From Cochin Fertiliser Plant . . .	20-21
अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
3602	औषधियों के ब्रांड नामों का समाप्त किया जाना	Abolition of Brand Names of Drugs	21
3603	दानापूर में अधिकारी विश्राम-गृह का वातानुकूलित बनाया जाना	Air Conditioning of Officer's Rest House at Danapur . .	21
3604	कोलगेट, पामोलिव तथा कैडबरी फ्राई (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध आरोप	Charge against Colgate, Palmolive and Cadbury Fry India Limited . . .	21-22
3605	उड़ीसा में साबुन उद्योग के विकास के लिये सहायता	Assistance for development of Soap Industry in Orissa .	22
3606	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का पुनर्विलोकन	Review of MRTP Act .	22-23
3607	नेफ्था का जापान को निर्यात	Eaport of Naphtha to Japan .	23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3608	उर्वरकों का मूल्य	Price of Fertilisers . .	23-24
3609	बांकुरा-दामोदर रेलवे की स्थिति में सुधार करने का निर्णय	Decision to improve the condition of Bankura-Damodar Railway	24
3610	दक्षिण मध्य रेलवे में मई 1974 में गाड़ियों का चलना बंद करना	Cancellation of trains in South Central Railway in May, 1974	25
3611	मई, 1974 में उत्तर रेलवे में गाड़ियों का चलना बंद करना	Concellation of trains in Northern Railway in May, 1974 .	25
3612	दक्षिण रेलवे में हड़ताल करने वाले स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी	Permanent and temporary employees on strike in Southern Railway	25
3613	रेल हड़ताल के दौरान उत्तर रेलवे में तोड़फोड़ की दुर्घटनाएं	Incidence of sabotage on Northern Railway during Railway strike	26
3614	नेफ्था का निर्यात	Export of Naphtha . .	26
3615	रतनपुर स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर जाना	Derailment of goods train at Ratanpur Station . .	26
3616	बम्बई हाई में तेल की खोज करने के लिये विदेशी सहयोग	Foreign collaboration for oil exploration in Bombay High	26
3617	कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादक	Producers of Caustic Soda, Soda Ash and Sulphuric Acid.	27
3618	सोडा ऐश संयंत्र का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for expansion of Soda Ash Plant . . .	27-28
3619	पोलीनिल क्लोराइड, पोलीएस्टिरीन और पोलीथिलीन के मूल्य और इनका वितरण	Prices of Polynyl Chloride, Polestyrene and Polethyiene and their distribution . .	28-29
3620	मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम की खपत, उत्पादन और आयात	Consumption, production and import of Kerosene Oil and Petroleum . . .	29-30
3621	नई रेलवे लाइनों के लिये सर्वेक्षण	Survey for New Railway Lines	30
3622	पठानकोट से जम्मू जाने के लिये रेल गाड़ियों में स्थान प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding difficulties in getting accommodation in trains for Jammu at Pathankot	30-31
3623	जैसलमेर जिले में सुमेर तलाई में तेल की खुदाई पर किया गया व्यय	Amount spent on oil drilling at Sumer Talai in Jaisalmer district	31
3624	हरियाणा और पंजाब में डीजल और मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Diesel and Kerosene oil in Haryana and Punjab.	31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3625	बीकानेर डिवीजन में जलपान और खोंचा लाइसेंस धारी	Refreshment and Vending Licenses in Bikaner Division . .	31-32
3626	लुधियाना में वैगनों का पटरी से उतर जाना	Derailment of Wagon in Ludhiana	33
3627	उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना	Increased production of Fertilisers	33
3628	केरल और तमिल नाडु में एक करोड़ रुपये और इससे अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियां	Companies with paid up capital of Rupees One Crore and above in Kerala and Tamil Nadu	33-34
3629	दक्षिण रेलवे में रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली की रोशनी	Electric Lights on Platforms on Southern Railway . .	34-35
3630	केरल में रेलवे का विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme of Railways in Kerala . . .	35
3631	केरल में अखिल भारतीय औसत के अनुसार रेल लाइनों का बिछाया जाना	Railway lines in Kerala Conform to All India Average .	35-36
3633	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Coal Based Fertiliser Plant .	36
3634	फुलपुर उर्वरक संयंत्र के लिये आई० एफ० एफ० सी० ओ० को दी गई अनुमति	Clearance given by IFFCO to Phulpur Plant . . .	37
3635	फाफामउ स्टेशन के निकट रेल फाटक पर उपरि पुल	Fly-over Bridge at Railway Crossing near Phaphamau Station	37
3636	बिहार में विधान सभा तथा लोक सभा के लिये उप चुनाव	Bye Elections to Legislative Assembly and Lok Sabha in Bihar	37
3637	संसद भवन में खान पान विभाग चलाने के कारण रेलवे को वर्ष 1973–74 के दौरान हुई हानि	Loss suffered by Railways during 1973-74 for Running Catering Unit in Parliament House.	37-38
3638	हड़ताल में शामिल होने वाले रेल कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों का पुन: अलाट किया जाना	Re-allotment of Railway quarters to Employees who joined Strike	38
3639	कटक में रेल उपरि पुल	Railway Over Brigde at Cuttack	38
3640	रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने पर हुआ व्यय	Expenditure on Account of Grant of Dearness Allowance to Railway Employees. .	38
3641	रेलवे चिकित्सालय, दिल्ली–6 (उत्तर रेलवे) में उम्मीदवारों की शारिरीक परीक्षा लेने के लिए नियत दिन	Days Fixed for Medical Examination of Candidatess in Railway Hospital, Delhi-6 .	38-39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3642	उत्तर रेलवे में जूनियर वेतनमानों पर काम कर रहे रेडियोग्राफर	Radiorgraphers working against Junior Scales (Northern Railway)	39
3643	अमृतसर डिवीजनल रेलवे अस्पताल (उत्तर रेलवे) में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for persons working in Amritsar Divisional Railway Hospital (Northern Railway)	39-40
3644	पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अंतर्गत नये औषध एककों की स्थापना	Setting up of New Drug Units under I.D.P.L. in Fifth Plan	40
3645	उर्वरकों के उत्पादन के लिये आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता को कम करने के लिये प्रस्ताव	Proposal for minimising dependence on Imported Crude Oil for production of Fertilisers .	40
3646	मिट्टी के तेल के व्यापार को अपने हाथ म लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Trade in Kerosene Oil	40-41
3647	टिकटों की चोर बाजारी रोकने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था	Advance Booking to prevent Blackmarketing in Tickets .	41
3648	दक्षिण पूर्व रेलवे के अनारा स्टेशन के विश्रामालयों और प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कब्जा	Occupation of Retiring Rooms and First Class Waiting Rooms at Anara Station of S.E. Railway by C.R.P./R.P.F. .	41
3649	निष्ठावान रेल कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Loyal Workers	41
3650	दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे में निचली अदालतों द्वारा बर्खास्त किए गए और सजा दिए गए रेल कर्मचारी	Railway Employees Dismissed and Convicted by Lower Courts in South Eastern and South Central Railways .	42
3651	नई रेलवे लाइनों पर आस्थगित लाभांश का भुगतान	Payment of Deferred Dividend on New Lines . . .	42
3652	उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Fertilisers	43
3653	साबन का उत्पादन	Production of soap . . .	43
3654	शालीमार वर्क्स लिमिटेड, हावड़ा को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Shalimar Works Ltd., Howrah . .	44
3655	अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन, लखनऊ द्वारा टैप रिकार्डिंग कार का डिजाइन तैयार करना	Track Recording Car Designed by R.D.S.O., Lucknow .	44
3656	हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को कड़ा दंड देना	Higher punishment to Participants in strike . . .	44-45

अतारांकित प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3657	दक्षिण पूर्व रेलवे में हड़ताल का प्रभाव	Effect of strike on South Eastern Railway	45
3658	श्रमिकों का दुरुपयोग और रेलवे सामग्री के बेचे जाने की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल	Investigation into Complaints of Misuse of Labour and Sale of Railway material . .	45-46
3659	सहारनपूर मे न्यून शुल्क के लिए जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारी	Staff held Responsible for Under-charging at Saharanpur .	46
3660	एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत अनिर्णित मामले	Pending Cases under MRTP Act	46-47
3661	उच्च न्यायालयों का निरीक्षण	Inspection of High Courts .	47
3662	दिल्ली में पेट्रोल की खपत	Consumption of Petrol in Delhi	47
3663	रेलवे कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान, मुअत्तली और मुकदमा के संबंध में डिवीजन वार स्थिति	Division-wise Position in regard to Break in Service, Suspension and Prosecution	47-48
3664	रेल कर्मचारियों द्वारा एक और हड़ताल की योजना	Railway Employees Plan another Strike	48
3665	बम्बई और दिल्ली में ट्यूब रेलवे	Tube Railways in Bombay and Delhi	48
3666	रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन मुकदमे चलाना	Prosecutions under DIR against Railway Employees . .	49
3667	औषधियों के लिए कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Raw Material for Drugs . . .	49-50
3668	कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में डाकेजनी के मामलों में वृद्धि	Increase in cases of Robbery around Calcutta Suburban area	50
3669	सरकारी परिवहन संगठनों को रियायती दर पर डीजल तथा पेट्रोल सप्लाई करने की योजना	Scheme to supply diesel and petrol to State Transport at Subsidised Rate . . .	50-51
3670	पंजाब में भारतीय तेल निगम के पट्रोल पम्प	Petrol pumps of IOC in Punjab.	51
3671	रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत	Negotiation with Representatives of Railwaymen . . .	51
3672	एस० एच० लाईट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of S.S. Light Railway into Broad Guage . .	52

तारा प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3673	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रेलवे सुविधाओं के बारे में सर्वेक्षण	Survey for Railway Facilities in Delhi, Bombay, Calcutta and Madras	52-53
3674	अशोधित रुटिन का आयात करने के लिए एक विदेशी कम्पनी को अनुमति दिया जाना	Permission granted to a Foreign Company to Imort Raw Rutin	53
3675	विदेशी फर्मों द्वारा निर्मित कुछ औषधियों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देना	Increase allowed in prices of certain Drugs produced by foreign firms	53-54
3676	विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु एककों के उत्पादों की बिक्री	Foreign Companies marketing products of small units .	54
3677	कांगडा घाटी रेलवे के निर्माण कार्यके लिए सीमेंट की सप्लाई	Supply of cement for Kangra Valley Railway Construction.	54-55
3678	'लार्सेन एंड टोब्रो लिमिटेड' में विदेशी निदेशकों की नियुक्ति को जारी रखने का निर्णय	Decision to retain alien Directors in Larsen and Toubro Ltd.	55
3679	लार्सेन एंड टोब्रो लि० के उप-प्रबंध निदेशक	Deputy Managing Directors of Larsen & Toubro Ltd.	55
3680	जी० आर० पी० कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in strength of GRP.	55-56
3681	ब्रैडी एंड कंपनी	Brady and Company . .	56
3682	बम्बई के निकट गहरे समुद्र और तारापोर में सागर सम्राट द्वारा खोदे गये कुंओं को क्षति	Damage to wells drilled by Sagar Samrat to Tarapur and Bombay High	56-57
3683	कुकिंग गैस कन्टेनरों का देश के अंदर ही निर्माण और उनका आयात	Import and indigenous manufacture of Cooking Gas Containers	57
3684	साबुन बनाने में काम आने वाली चर्बी और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु का आयात	Import of tallow and its substitute in Soap making .	57-58
3685	गुजरात राज्य में पेट्रोल और मिट्टी के तेल ी कमी	Shortage of Petrol and Kerosene in Gujarat State . .	58
3686	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये मिट्टी के तेल के लाइसेंस	Licences of kerosene oil issued to Scheduled Caste people .	59
3687	बिहार में रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of Railway Land in Bihar .	59

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
3688	रेल हड़ताल के दौरान और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन आसनसोल के राष्ट्रीय रेल संघर्ष समन्वय समिति के के नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of NCCRS Leaders of Asansol under MISA during and after Railway Strike .	59
3689	आसनसोल डिवीजन में बर्खास्त किये गये स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारी	Permanent and casual workers dismissed in Asansol Division.	60
3690	थोक औषधियों की बिक्री के लिये औषधनिर्माता फर्मों पर लगाई गई शर्तें	Condition imposed on Drug Firms for Sales of Bulk Drugs .	60
3691	लघु औषध उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Small Drug Industries . . .	60-61
3692	फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों में अंतर	Difference on Guidelines for Pharmaceutical Industry .	61
3693	भारतीय औषध उद्योग की प्रगति के बारें में आई० डी० एम०ए० का सुझाव	Suggestion of IDMA regarding Growth of Indian Pharmaceutical Industry . . .	61-62
3694	गाइडलाइंज फार "ड्रग्ज एंड फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्री"	Guidelines for Drugs and Pharmaceutical Industry . .	62-63
3695	रेलवे विभाग में नोकरी कर रहे स्वाधीनता सेनानियों को लाभ	Benefits to Freedom Fighters in Railway Service . .	63
3696	जांच आयोग अधिनियम का संशोधन	Amendment of Commission of Inquiry Act . . .	63
3697	साबुनों की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Soaps	64
3698	हड़ताल के दौरान निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को रोजगार	Employment to Children and Dependents of Loyal Workers during strike . . .	64
3699	भूतपूर्व सैनिकों को गैस एजेंसियों के नियतन में विलंब	Delay in Allotment of Gas Agencies to Ex-Servicemen .	65
3700	चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन	Production of Drugs by Foreign Drug Companies in Fourth and Fifth Plans . .	65
3701	औद्योगिक लाइसेंसो के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत	Guidelines for industrial licences	65
3702	गुजरात और आसाम राज्यों में उत्पादित अशोधित तेल के स्वामित्व में वृद्धि की मांग	Demand for increase in Royalty for Crude produced in Gujarat and Assam States . .	66

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3703	परिवहन निगमों के लिये अंशदान संबंधी रेलवे की योजना में कटौती	Cut in Railways plan for contribution to Transport Corporations	66
3704	कोयले की कमी के कारण राजस्थान में बंद की गई तेज रफ्तार वाली गाड़ियां	Fast Trains suspended in Rajasthan due to shortage of coal	66-67
3705	मैसूर साउथ में रलवे वर्कशाप की कैन्टीन में कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees working in Canteen of Railway Workshop, Mysore South . . .	67
3706	रेलवे वर्कशाप, मैसूर साउथ के केंटीन कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Canteen Employees of Railway Work shop, Mysore South. .	67-68
3707	कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिये आंध्र प्रदेश सरकार का आवेदन पत्र	Application from A.P. Government for setting up of a Caustic Soda Plant . .	68
3708	कोयले की कमी के कारण रेलवे को हुई हानि	Difficulties faced by Railways due to Coal Shortage . . .	68
3709	शा वेलस एंड कम्पनी	Shaw Wallace & Company .	69
3710	नायलोन फिलामेंट धागा परियोजना	Nylon Filament Yarn Project.	70
3711	देश में व्हील तथा एक्सल संयंत्र की स्थापना	Setting up of Wheel and Axle Plant in the country . .	70
3712	'फुट' और 'माऊथ वैक्सीन' के उत्पादन का प्रस्ताव	Proposals for producing foot and Mouth vaccine . .	70-71
3713	कुछ औषधियों के उत्पादन के लिये मैसर्ज सेन डोज, मे एंड बेकर तथा सिनेमाइड को दिये गये लाइसेंस	Licences granted to M/s Sandez, May and Baker and Cynamide for producing certain Drugs.	71-72
3714	बुकिंग अवसरों की कमी के कारण केरल (मालबार) के लकडी व्यापारियों को कठिनाइयां	Difficulties of Timber Dealers of Kerala (Malabar) for Want of Booking Opportunities	72
3715	कोयले पर आधारित उर्वरक के कारखानों की स्थापना के लिये चुने गये स्थान	Places selected for setting up of coal based fertiliser Units.	72
3716	भारतीय उर्वरक निगम के कुछ अधिकारियों क विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच	C.B.I. Investigations against Officers of FCI . . .	73
3717	मेट्रोनाइडजोल के लिये मसर्स में एंड बकर को अनुमति पत्र जारी करना	Permission letter issued to M/s May and Baker for Meteranidazole	73

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3718	मट्रोनाइडेजोल के उत्पादन के लिये मैसर्स मे एंड बेकर को अपेक्षित कच्च माल का मूल्य	Raw material required by M/s May and Baker for producing Metronidazole . . .	73-74
3719	विदेशी तथा भारतीय औषध फर्मों के उत्पादन के बारे में ग्रोवर समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Grover committee on production of Foreign and Indian Drug Firms	74
3720	औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग समिति को प्राप्त आवेदन पत्र	Applications to licensing Committee for Production of drugs	75
3721	वृद्ध-विवाह के लिये अधिकतम आयु सीमा	Maximum age limit for oldage marriage	75
3722	वर्ष 1973 में डिंडिगुल निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव का निरीक्षण करने के लिए तैनात किए गये पर्यवेक्षक	Observers deputed to supervise by election to Dindigul constituency in 1973 . . .	76
3723	पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए रेलवेलाइन	Railwaylines for hilly and backward areas . . .	77
3724	रक्षा विभाग तथा आयुध कारखानों को घटिया किस्म के तेल की सप्लाई	Supply of sub-standard oil to Defence Department and Ordnance Factories . .	78
3725	गोल्चा प्रोपरटीज लिमिटेड	Golcha Properties Limited .	78
3726	मैसर्स होचैस्ट, जोन वायथ और मे एंड बेकर को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial licences given to M/s Hoechst, John Wyeth and May and Baker . . .	78-79
3727	फैसर्ज फिजर्स को दिये गये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन	Contravening of conditions of licence given to M/s Pfizers .	79-80
3728	कुछ औषधियों का उत्पादन करने के लिये सेन्डोज को लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed capacity of Sandoz for producing certain drugs .	80-81
3729	26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों को लाइसेंस जारी करना	Licences issued to foreign drugs firms with more than 26 per cent foreign equity . .	81
3730	कुछ फर्मों द्वारा फार्मुलेशनों का निर्माण	Manufacture of Formulations by some firms . . .	81-82
3731	मैसर्स सेंडोज को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस	Industrial licences issued to M/s Sandoz . . .	82
3732	कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की कार्यवाहियों में विलंब करने के प्रयास	Attempt made by Companies to delay Proceedings of MRTP Commission . . .	82-83

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3733	सयालदह, डिवीजन के दक्षिण सेक्शन में अपराधों की संख्या में वृद्धि	Increase in Crimes in South Section of Sealdah Division	83-84
3734	कुकिंग गैस एजेंसीयों का आवंटन	Allotment of Cooking Gas Agency	84
3735	तेलशैब के विदोहन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अणु विस्फोट के प्रयोग के बारे में किया गया अनुरोध	Use of Nuclear Explosion in Oilshab Exploitation sought by ONGC	84-85
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन को सभा के समक्ष रखने में सरकार की असफलता	Failure to Government of lay before the House Memorandum of action taken on Sugar Industry Inquiry Commission Report	85-86
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	86-88
	कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
	47वां प्रतिवेदन	Forty-Seven Report	89
	विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
	12वां प्रतिवेदन	Twelfth Report	89
	नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
	आपातकालीन स्थिति संबंधी उद्घोषणा का जारी रखा जाना	Continuance of Proclamation of State of Emergency	89-90
	अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत) और	Statutory Resolution Re. Disapproval of Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Ordinance (Negatived) and	
	अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक—	Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Bill—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	91-93, 112
	श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	94-95, 96-97, 111-112
	श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	94-95, 97-99
	श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	99-100
	डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	100-101
	श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	101-102
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	102

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	102-103
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	103-104
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	104-105
श्रीमती एम० गाडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	105
श्री कृष्णराव पाटिल	Shri Krishnarao Patil	105-106
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	106-107
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	107
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	107-109
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	109
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	109-110
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	110
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	110-111
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	111
खंड 2 से 27 और 1	Clauses 2 to 27 and 1	114-128
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में—	Motion to Pass as amended—	
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	128
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	128-129
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	129
अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत)	Statutory Resolution Re. Disapproval of Compulsory Deposit Scheme (Income Tax Payers) Ordinance (Negatived)	
और	and	
अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) विधेयक	Compulsory Deposit Scheme (Income Tax Payers) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	131, & 134-135
श्री नुरुल हुडा	Shri Nooral Huda	132
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	132-133
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	133
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P.M. Mehta	133-134
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	134
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	135
खंड 2 से 21 और 1	Clauses 2 to 21 and 1	136-138
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में	Motion to pass, as amended	138

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 27 अगस्त, 1974/5 भाद्र, 1896 (शके)
Tuesday, August 27, 1974/Bhadra 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में कर्मचारियों की नियुक्ति

***508. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली में राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये क्या कसौटी बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निगम के कार्यकरण की जांच की है ;

(ग) क्या उसने कोई अनियमितता पाई है ; और

(घ) इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ): (क) कंपनी के संगम की अंतर्नियमावली के अनुसार निदेशक मंडल कतिपय श्रेणियों के पदों जिसके लिये राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है को छोड़कर समस्त पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार रखता है। इसलिए सरकार ने कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बार में कोई माप-दंड निर्धारित नहीं किया है। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में राजपत्रित तथा अराज पत्रित कर्मचारी संबंधी कोई वर्गीकरण नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मंत्री महोदय ने वास्तव में मेरे विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर में कुछ नही कहा है। इन कार्पोरेशनों का काम बहुत ही निन्दाजनक है। मैं इस संबंध में और स्पष्टिकरण चाहता हूं । मंत्री महोदय ने कहा है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है ।

श्री डी० के० बरुआ : सरकार द्वारा ।

श्री बीरेंद्र सिंह राव : हाँ, सरकार के द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निदेशकों और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई मापदंड निर्धारित है? यदि हाँ, तो वर्तमान निदेशकों और प्रबन्ध निदेशक तथा कम्पनी के अध्यक्ष की अर्हताएं क्या है? मंत्री महोदय ने कहा है कि गत तीन वर्षों से इस कम्पनी के कार्यकरण की जाँच नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने जबसे यह कम्पनी स्थापित की गई है इसके कार्यकरण की कभी जाँच की है? इस कम्पनी द्वारा अब तक कितना धन खर्च किया गया है और उत्पादिता के संदर्भ में इसका कुल उत्पादन क्या है?

अध्यक्ष महोदय : आप एक सुसंबद्ध प्रश्न पूछिए ।

श्री बीरेंद्र सिंह राव : जब मंत्री महोदय जानकारी ही नहीं देते तो मैं क्या करूं? मैंने प्रश्न को चार भागों में रखा है और उन्होंने उसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा ।

श्री डी० के० बरूआ : माननीय सदस्य ने प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों और महानिदेशकों की नियुक्ति की अहर्ताओं के संबंध में पूछा है। अध्यक्ष और महानिदेशकों के पदों पर नियुक्तियाँ सरकार करती है किन्तु महानिदेशका की नियुक्तियो अध्यक्ष द्वारा निदेशकमंडल के परामर्श पर की जाती है और योग्यता ही इन पदों के लिए मुख्य अर्हता है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : इससे पूर्व कि मैं अगला प्रश्न पूछूं मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे सब प्रश्नों का उत्तर दे दें । मैंने खर्चे के बारे में . . .

श्री डी० के० बरूआ : यह एक ऐसी कम्पनी है जो कि मुख्यत: परामर्शदात्री सेवा और तकनीकी सेवा करती है । यह किसी ठोस वस्तु का उत्पादन नहीं करती ।

: श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इस कम्पनी ने कितना कमाया है ?

श्री डी० के० बरूआ : वर्ष 1970-71 में कर लगाए जाने से पहले इसका लाभ 69.42 लाख था इसके उपर 33.50 लाख रुपय का कर लगाया गया अत: सकल लाभ 35.92 लाख था और घोषित लाभांश प्रदत्त साम्य पूंजी का 10 प्रतिशत था । वर्ष 1971-72 और 1972-73 में भी 10 प्रतिशत ही था । 1973-74 के लेखे अभी तैयार नहीं किए गए । इसके लेखों को चार्टर्ड एकाउंटेटों की एक फर्म जे० सी० भल्ला एण्ड कम्पनी तैयार करती है । इस कम्पनी की नियुक्ति नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सिफारिश पर की गई है । लेखों का सत्यापन नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है । यदि इस संबंध में गलतियां हैं अथवा कमियां हैं, तो निश्चय ही श्री ज्योतिर्मय बसु उसका पता लगा सकते है ।

एक विशिष्ट प्रश्न और भी था । वास्तव में प्रतिवेदन प्रकाशित और प्रस्तुत किए गए हैं । हमारा मंत्रालय समय-समय पर इस कम्पनी की प्रगति और उसकी विकास संबंधी समस्याओं पर चर्चा करता रहता है । आज सुबह भी इस कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की हमारे साथ हमारे मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक होनी थी । दुर्भाग्यवश मंत्रालय के सचिव श्री पी० के० दवे की माताजी का देहान्त हो गया अत: इस बैठक को स्थगित करना पड़ा ।

Shri Madhu Limaye : Is it a fact that the Chairman of Engineers India Ltd. is also a member of the Planning Commission, and the work of Engineers India Limited suffers because of his holding two posts . Will the hon. Minister advise him to hold only one post and resign from the other?

Shri D. K. Borooah : The suggestion of the hon. member deserves consideration. We have no such feeling but if the hon. member is correct we will consider the matter.

पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर किया गया व्यय

*509. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान और उसके तत्काल-पूर्व विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिसमें ये विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र को कितनी धनराशि की अदायगी की गई ;

(ग) क्या कुछ लेख भी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशन हेतु दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान और उसके तत्काल-पूर्व विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन देने पर पूर्वी रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा लगभग 3,65,084 रुपये खर्च किये गये ।

(ख) अलग-अलग समाचारपत्रों को दिये गये विज्ञापनों के विवरणों से सम्बन्धित सूचना सरकार और विशिष्ट समाचारपत्रों के बीच गोपनीय समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is the matter of giving advertisements to news papers confidential one ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने यही प्रश्न पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा था । सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी यही जवाब दिया था कि अखबारों के नाम बताने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि इश्तहार तो आखिर अखबारों में आते ही हैं किन्तु जहाँ तक इस संबंध में अदा की गई धनराशि का संबंध है । यह एक गोपनीय मामला है ।. . . (**व्यवधान**)

श्री अजीत कुमार साहा : क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ दिन पहले रेल मंत्री ने साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र 'गणशक्ति' को रेलवे विज्ञापन देने से मना कर दिया जबकि बाकी सभी दलों को ऐसे विज्ञापन दिए जाते है ? यदि हाँ तो मुख्य विपक्षी दल के इस समाचारपत्र को रेलवे विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : सामान्यत: दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय उन समाचारपत्रों को जो उनके पास पंजीकृत हैं तथा जो विज्ञापन लेने योग्य हैं, विज्ञापन देता है । जो कोई स्थानीय समाचारपत्र हैं उन सभी को बिना इस बात का ध्यान रखे कि वह किस दल से संबद्ध है विज्ञापन दिए जाते हैं ।

श्री अजीत कुमार साहा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के लिए संसद् द्वारा मंजूर किए गए अनुदानों के किस शीर्षक से रेलवे हड़ताल के दिनों में विज्ञापनों पर खर्चा किया गया था ? क्या यह धनराशि रेलवे बोर्ड अथवा जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों की मर्जी पर छोड़ दी गई थी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कुल बजट आबंटन में से वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए, जिसमें कार्य विज्ञापन गाड़ियों के रद्द होने टेंडर इत्यादि के बारे में दिए जानेवाले विज्ञापन भी सम्मिलित है, 50 लाख रुपये दिए गए हैं जिसमें से सरकार ने वर्ष 1973-74 में

42 लाख रुपये के लगभग खर्च कर दिया है। दृश्य विज्ञापनों के लिए 1.90 लाख रुपये बजट में आवंटित किए गए थे । हड़ताल के दौरान विज्ञापनों पर जितना खर्चा हुआ है उसके संबंध में मने आकड़े दे दिए है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The reply given by the hon. Minister is not satisfactory. Under what rule the hon. Minister is not disclosing the names of the newspapers which have been given advertisements?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी धनराशि दी गई ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : वह मैं नहीं बता सकता ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि प्रत्येक समाचार-पत्र को कितनी धनराशि अदा की गई। यदि कोई ऐसी गोपनीय बात नहीं है और न ही इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जैसाकि मैंने पहले बताया है कुछ विज्ञापन दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय द्वारा दिए जाते हैं। माननीय सदस्य ने यही प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछा था तो उन्होंने कहा प्रत्येक समाचारपत्र को दिए गए विज्ञापनों के ब्यौरों को गोपनीय माना जाता है... (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker' Sir, no mistake should be allowed to be repeated. If the hon. Minister of Information and Broadcasting made a mistake in refusing reply to the question. The hon. Railway Minister should not repeat it.

अध्यक्ष महोदय : जब सरकार किसी मामले को गोपनीय करार देती है तो उसे गोपनीय रखने का औचित्य बताना पड़ता है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : आप मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्री से परामर्श कर सकूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, the question may be held over till tomorrow to enable the hon. Minister to consult the Information and Broadcasting Minister, but it should be borne in mind that the newspapers who get advertisements from the Government have to declare the amount they so receive from Government. Hence it is not confidential. All and sundry can have that information.

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न के भाग (ख) में कहा गया है—

"उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिनमें ये विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और ऐसे प्रत्येक समाचारपत्र को कितनी धनराशि की अदायगी की गई"

उन्हें इस बारे में जानकारी... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो प्रश्न को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन मैं इस स्थगन को पूर्वोदाहरण नहीं बनने देना चाहता ।

छपरा रेलवे स्टेशन पर ठेके पर कार्य कर रहे विक्रेता

*510. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा रेलवे स्टेशन पर कुल कितने विक्रेता है और प्रत्येक विक्रेता को किस तिथि से नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक की करार अवधि कब समाप्त होगी ;

(ख) क्या ठेके की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विज्ञापनों द्वारा टेंडर आमंत्रित करने के संबंध में रेलवे का कोई निदेश है, यदि हां तो रेलवे ने यह विज्ञापन किस तिथि को निकाला है तथा उसका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में कुछ ठेकेदारों के ठेके 23 अगस्त, 1974 को समाप्त हो गए परन्तु उनके लिए विज्ञापन अभी तक नहीं निकाला गया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) छपरा स्टेशन पर मेसर्स दुर्गा प्रसाद गनेश प्रसाद का खोमचे का ठेका 23-8-74 को समाप्त हो गया है जिसके लिए 12-8-1974 को आवेदन आमंत्रित किये गये थे ।

(घ) इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(क) छपरा रेलवे स्टेशन पर खान-पान और खोमचों की व्यवस्था 8 ठेकेदारों द्वारा 44 खोमचे वालों के माध्यम से की जाती है । करार ठेकेदारों के साथ किया जाता है न कि उनके द्वारा नियोजित खोमचे वालों के साथ । छपरा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले ठेकेदारों का विवरण इस प्रकार है :—

ठेकेदार का नाम	तारीख जिससे काम कर रहे हैं	तारीख जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी
1. मैसर्स दुर्गा प्रसाद ध्रुव प्रसाद .	10-9-1960	30-9-1975
2. वैंडर्स इंडस्ट्रीयल को-आपरेटिव सोसाइटी . .	1-8-1960	31-7-1976
3. बेरोजगार स्नातक कैंटीन को-आपरेटिव सोसाइटी लि० .	11-6-1974	10-6-1975
4. मैसर्स जमुनाराम सुरीन्दर राम .	1-8-1960	31-7-1976
5. श्री शाम लाल भगत	1-8-1960	31-7-1977
6. श्री हरदेव यादव . . .	1-8-1960	31-3-1977
7. श्री वजीर हसन	1-8-1960	31-7-1974
8. मैसर्स दुर्गाप्रसाद गनेश प्रसाद . . .	27-2-1960	23-8-1974

(ख) खान-पान और खोमचों के ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद विज्ञापनों द्वारा टेंडर आमंत्रित करने का रलों द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है क्योंकि ऐसे ठेकों के लिए रेल प्रशासन लाइसेस देने की प्रणाली अपनाते हैं, न कि टेंडर की प्रणाली। तथापि, इस बात के अनुदेश हैं कि खाली जगहों का विज्ञापन ठेके के महत्व के अनुसार या तो ऐसे स्थलों पर सूचना लगाकर जहां सब की निगाह पड़े और/या समाचार-पत्रो में सूचना प्रकाशित कर के किया जाय।

आवेदन आमंत्रित करने से, सम्बन्धित ऐसी सूचनाएं ठेका समाप्त होने की तारीख से काफी पहले जारी की जाती हैं।

सूचना/विज्ञप्ति में स्टेशन, जिसके लिए खोमचा/खान-पान का ठेका दिया जाता है और वे मदे, जो ठेके के अंतर्गत बिक्री के लिए अनुज्ञप्त होगी मुख्य रूप से निर्दिष्ट की जाती है। सम्बन्धित अधिकारियों के पास आवेदनों के पहुंचने की अन्तिम तारीख भी उसमे निर्दिष्ट की जती है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Mr. Speaker, Sir, I want to know whether Government or the Ministry has prescribed any ceiling on the number of contracts that a person can take. Secondly, is the Government also aware that this particular contractor, has besides Chapra Station, contracts for Darbanga, Lehri Sarai and many other Stations? Whether contrary to the rules, he has sublet the contracts further? I also want to know the last date of submission of applications which were invited on 12th August?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : After the expiry period of the contracts for catering and vending either the licences of the contractors are grenewed or new agreement is made after due publication of advertisement. We have different rules for different places regarding the number of trollies allotted to contractors and the persons allowed to work thereon.

As far as the granting of contract is concerned, the applications are invited and one who has satisfactory credentials to his credit and who is able to a work according to standard is awarded the contract.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh ; Which is the last date of submission of applications?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I have already stated that the tenders were invited on 12th August, 1974 and I hope the applications will come with in 15—20 days.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : In the statement laid on the table of the House the names of 8 contractors who are managing catering and vending at Chapra station have been given. All these Contractors have been given contracts for a period of 3 years. There is one unemployed graduate. Canteen Cooperative Society. this Society has been given contract for one year only, why is it so? Whereas the policy of the Government is to encourage the educated unemployed. Does it not show that stepmotherly treatment is being meted out towards such institutions?

Has the Ministry issued any Circular to the effect that after the expiry of the contract period the contract shall be advertised? If so on what date the Circular was issued and what was the purport thereof? Is Government aware of the fact that this circular is not being followed and the contracts are being renewed arbitrarily?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It has been decided that persons having vending contracts for six years are required to apply afresh but the contracts of Scheduled Caste and Scheduled tribes are automatically renewed so that they may carry on their business satisfactorily. Then, preference is to be given to Cooperative Societies. Venders may also form their own Co-operative Societies, if they so desire. It has been decided that these contracts which have been awarded to the Contractors should be awarded to these Co-operative Societies. This practice is being followed.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What was the necessity of taking a decision that after the expiry of Six years the contractor is required to get his contract renewed? Is it not a fact that according to the present terms of contracts, the contract of a person can be terminated in case his work is not found satisfactory?

If so why all venders, are being made to suffer? Is it not a fact that the contracts of even those persons are being withdrawn who thave been carrying on this work satisfactorily even before 1947? Whether Government has decided to award contract to persons of their own liking only.

Minister of Railways (Shri L. N. Mishra) : It is not correct to say that we want to give contracts to our own men. Many a time complaints have been made in Parliament of that the quality of the eatables like Puris etc. erved by the vendors is not good. If a person has been working there for the last 17—20 years this does not mean that he has the monopoly to remain there. It has now been decided that a contractor who has worked for six year s shall not be disqualified but shall be eligible for grant of further contract provided he has the capacity and means to execute the contract. Then, of course preference will be given to unemployed educated persons. As we did not receive a good response from the co-operative Societies of unemployed educated persons we have now decided that if the unemployed educated person is individually interested in taking the contract we shall help him. The Book-selling contract which is now held A. Wheeler and Company is now being awarded to them. The policy has been changed—Only to provide employment to the educated unemployed persons.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not a fact that as the Government wants to give contracts to its favourites, the contracts of even those persons whose work has been satisfactory are not being renewed?

Shri L. N. Mishra : The limit of 6 year has been prescribed in the interest of efficient-service. A person who has been doing his job efficiently and whose preparations have been satisfactory will not be disqualified for a contract for further period.

Shri Nawal Kishore Sharma : The policy has been changed to provide employment to the unemployed. This is good and I support it but it will be equally wrong to throw on road those who have been employed in this work for 10—15 years and render them unemployed. Will those contractors who have worked for six years shall be given preference?

Shri L. N. Mishra : There is no question of any preference. Those who have worked or 6 years will not *ipsofacto* be disqualified.

श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी : मैं श्री वाजपेयी द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं हूं। लेकिन तथ्य यह है कि इस उपबन्ध ने प्राधिकारियों को असीमित अधिकार दे दिए है क्योंकि आपने कोई ऐसा ठोस मापदंड नहीं रखा है जिसके आधार पर प्राधिकारी किसी भी उस ठेकेदार को जिसे ठेका मिला हुआ है, अयोग्य ठहरा सके और इस प्रकार वह अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते है। उदाहरण के लिए यदि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी ठेकेदार के विरूद्ध लिखित आरोप लगाते हैं। और उनकी पुष्टि नहीं होती तो भी क्या इस आधार पर उस व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। साथ ही किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने से पहले क्या आप उस व्यक्ति को कारण बताने के लिए अवसर नहीं देंगे कि वह क्यो न अयोग्य ठहराया जाए।

श्री एल० एन० मिश्र : यदि साधारणसी शिकायत है और जब तक उसकी पुष्टि नही होती तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। जैसाकि मैंने पहले कहा है, यह 6 वर्ष वाली धारा कोई अयोग्य ठहराने वाली धारा नहीं है अत: प्राधिकारियों को असीमित अधि कार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक किसी विक्रेता के विरुद्ध ठोस आरोप नहीं मिलते तब तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपने इस नई पद्धति में जिसे आप अपनाने जा रहे हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुसलमानों और अल्पसंख्याक वर्गों के अन्य लोगों को भी शामिल किया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों और माननीय मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि प्रत्येक लाइसेंस के नवीकरण के लिए 75,000 रुपये मांगें जा रहे हैं ? . . . (**व्यवधान**)

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानता हूं कि श्री ज्योतिर्मय बसु के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है । क्या एक विक्रेता जो साल मे 6,000 रुपये कमाता है, ठेके के लिए 75,000 रुपये देगा.. (**व्यवधान**) यह बहुत बुरी बात है मैं इसका खंडन करता हूं । आपके मन में जो भी आए वही आप यहां नही कह सकते । बस काफी हो चुका. . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि हम शिक्षित बेरोजगार युवकों को इस मामले में प्राथमिकता दे रहे हैं चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय के क्यों न हों । दूसरी प्राथमिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसलमानों और अन्य अल्प संख्यक वर्गों को दी गई है ।

Shri Mohd. Jamilurrahman : Will the hon. Minister be pleased to state the number of applications received in regard to Chapra Stations contract? How many of them were from the unemployed graduates and minorities and how many such applicants have been granted contracts.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There were eight contractors at Chapra. At the moment the information is not available with me as to how many of the new applicants are Muslims or persons belonging to other coummunities. I will give the information to the hon. Member after collecting it.

Shri Mohd. Jamilurrahman : I have not asked for community-wise detail. I wanted to know the number of applications received from the unemployed graduates and the persons of minorities and how many scuch applicants have been granted these contracts?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This information is not available with me at present.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that the licence renewing officers do not renew the licence unless they are bribed. In Bombay, in central Railway and the Western Railway, they demand three thousand rupees for renewing a licence.

I want to know whether some rich persons like Deepchand, Nanak Chand and Agarwal of Bombay who possess property worth crores of rupees have started taking these contracts since the Six-year Contract has been started. You know them very well and they have approhached you and have requaested you to grant a stay order for two months for running their Canteen. For this purpose they have spent sixty lakh rupees. It has been done through Shri A. P. Sharma. I can prove it. Is the Government aware of all this and whether an inquiry will be instituted in this regard?

Shri L. N. Mishra : The hon. member has mentioned the names of three rich persons, whether they are individuals or companies I do not know. I have heared their names for the first time now.

As far as the question of renewing the licence is concerned, if the hon. member gives us the names of the officers who take bribes for brenewing the licences we will give them exemplory punishment

भारतीय रेलों में मजूरी में असमानता

*511. **श्री बी० वी० नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत बीस वर्षों में भारतीय रेलों में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की मजूरी में असमानता घटी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी घटी है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) रेल कर्मचारियों की न्यूनतम और उच्चतम वेतनभोगी कोटियों की परिलब्धियों में असमानता का अनुपात 1947-48 के 54.5 से घटकर अब 14.04 हो गया है ।

श्री बी० वी० नायक : बीस वर्ष पूर्व की असमानता 54.5 और अब की 14.04 कही गई है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार है ? क्या इसकी मात्रा बताई जा सकती है ? क्या आप हमें इसकी अधिकतम तथा न्यूनतम आय बता सकते है और क्या उस अधिकतम तथा न्यूनतम आय में महंगाई भत्ता आदि भी शामिल है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस जानकारी में अन्य परिलब्धियों का मूल्य या मात्रा भी शामिल की गई है ? क्या आप हमें इससे सम्बद्ध आंकड़े दे सकते है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : संगणना सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन तीसरे वेतन आयोग द्वारा किया गया था । वर्ष 1947-48 में न्यूनतम वेतन 55 रुपये था जिसका तात्पर्य है 30 रुपये वेतन और 25 रुपये महंगाई भत्ता । दूसरे वेतन आयोग की स्थापना 1959-60 में की गई और उसने 70 रुपये न्यूनतम वेतन के और 10 रुपये अन्तरिम सहायता सहित मंहगाई भत्ते के रूप में दी । आज स्थिति यह है कि न्यूनतम वेतन 196 रुपये है और मंहगाई भत्ता 47 रुपये है । अत: इस का मूल्य कुल जोड़ हुआ 243 रुपये । यह कम से कम न्यूनतम दर है । दूसरी ओर जहां तक अधिकतम मजूरी का सम्बन्ध है यह 1947-48 के 3,000 रुपये से बढ़कर 1973 में 3,500 रुपये हो गया है । 3,500 रुपया पाने वालों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता । अत: इससे पता चलता है कि जो असमानता दर प्रथम वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद 54.5 से घट कर 37.5 रह गई वह दूसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद अब घट कर 14.04 रह गई है । इसमें मंजूर की गई अन्तरिम सहायता तथा महंगाई भत्ता भी शामिल है ।

श्री बी० वी० नायक : यह संतोष की बात है कि असमानता कम हुई है । वर्ष 1952 में श्री जय प्रकाश नारायण ने चाहा था कि यह अनुपात 1:10 होना चाहिये जिसका तात्पर्य है कि अन्तर इस स्तर तक कम हो जाना चाहिये । अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में यह औसत 1:10 की हो जाने की आशा कब तक की जा सकती है ?

श्री महम्मद शफी कुरेशी : अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता । यह बहुत धीमी प्रक्रिया है । इसकी जांच की जा रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : रेल कर्मचारियों द्वारा रेल कर्मचारियों के संघर्ष के लिए, राष्ट्रीय समन्वय समिति के माध्यम से प्रस्तुत की गई मांगों में से एक मांग यह भी थी कि उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाये और उसके लिए एक वर्गीकरण न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उचित संवर्ग तथा वेतन दिया जा सके । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत के बाद, हुये समझौते में रेल कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार कर ली गई है ? जहां तक रक्षा कर्मचारियों का सम्बन्ध है, रक्षा मंत्रालय ने पहले ही एक वर्गीकरण न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर दी है जिसका चेयरमेन, उच्च-न्यायालय का एक न्यायाधीश है ? यदि नहीं तो क्या रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का न्यायाधिकरण या आयोग गठित किये जाने की कोई संभावना है ? इससे पहले तो प्रथम वेतन आयोग के बाद इस प्रकार की एक समिति का गठन किया गया था । मैं मंत्री महोदय से इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह मांगें फेडरेशन की बैठक में भी उठाई गई थी। भारतीय रेलों में कार्य-मूल्यांकन की मांग को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। हम यह जानने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ सम्पर्क बनाये हुये है कि वहां यह कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय का उत्तर आने पर ही इस मामले में आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० लकप्पा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों की असमानता के कारण रेलवे के विभिन्न कर्मचारियों में बड़े पैमाने पर फैले असंतोष को दृष्टिगत रखते हुये, इस असमानता को और अधिक कम करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं। सम्भवत: माननीय सदस्य महोदय उत्तर को समझ नहीं पाये है। प्रश्न भारतीय रेलवे के अधिकतम वेतन पाने वाले तथा न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनुपात के बारे में है। रेल कर्मचारियों की परिलब्धियों तथा उनके वेतनमानों की जांच की जा रही है। माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है कि रेलवे में होने वाले कुल व्यय का 70 प्रतिशत मजूरी बिल पर खर्च होता है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों की अच्छी देखभाल की जा रही है। यदि यह इसका ब्यौरा चाहते हों तो मैं वह भी प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री राम सहाय पांडे : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि व्यय में लगभग 25 प्रतिशत या इसकी प्रतिशतता कितनी भी हो, की वृद्धि की गई है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर इसके बाद रेलवे के विकास के लिए उनके पास क्या रह गया है ?

अध्यक्ष महोदय : पांडे जी, आप कृपया कोई सम्बद्ध प्रश्न पूछिये।

श्री राम सहाय पांडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनसे होने वाली आय की तुलना में उन पर होने वाले व्यय की प्रतिशतता क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि वेतनमानों पर होने वाले बढ़े हुये व्यय को पूरा करने के उपरान्त विकास के लिए जो आय शेष रह जाती है, उसकी प्रतिशतता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न पूछा गया है उससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप मुख्य प्रश्न को बिलकुल भूल गये हैं।

उत्तर प्रदेश को स्लैक कोयले के रैकों की सप्लाई

***512. श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 से चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की स्लैक कोयले के रेकों की औसत मासिक सप्लाई कितनी रही है ; और

(ख) क्या रेकों की मांग इसकी वास्तविक सप्लाई से बहुत अधिक है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जनवरी, 1974 से जुलाई, 74 तक ईंटें पकाने के लिए उत्तर प्रदेश को स्लैक कोयले के रेकों की मासिक औसतन सप्लाई 12-1/2 रेक प्रतिमाह और अगस्त, 1974 में 22-8-74 तक 10 रेक थी।

(ख) जी हां।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कोयला रेक की मासिक मांग अनुमानत: कतनी है ? क्या रेलवे बोर्ड ने कोई मासिक कोटा निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो मांग की तुलना में सप्लाई इतनी कम क्यों रही है ? इसके कारण क्या हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ईटों को पकाने के लिए प्रति मास 125 स्लैक कोयला रेकों को भेजने की मांग थी। परन्तु सिविल सप्लाई आयुक्त की मांग को पूरा करने के बाद हमें बताया गया कि रेकों का आबंटन वास्तविक ढंग से किया जाना चाहिये। अत: यह मांग घटकर 60 रह गई। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्लैक कोयले का उपयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है--बिजली घरों तथा उद्योगों व ईटों के पकाने के लिए। सबसे घटिया किस्म के कोयले का प्रयोग ईटें पकाने के लिए किया जाता है। जहां तक बिजली घरों की मांग की ताल्लुक है, उनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा है परन्तु उत्तर प्रदेश में हम इंटें पकाने के लिए भट्टे वालों की सम्पूर्ण मांग को पूरा नहीं कर सके है। यही कटौती यथा सम्भव समान रूप से सभी राज्यों पर लागू की गई है।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं यह जानना चाहता हूं रेलवे बोर्ड द्वारा कोटा ही क्यों निर्धारित किया गया जब कि उसके अनुसार उपयुक्त सप्लाई नहीं की गई है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह कोटे रेलवे बोर्ड या रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किये गये थे। यह कोटे विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों तथा सिविल सप्लाई आयुक्तों द्वारा निर्धारित किये गये थे। और क्योंकि कोयले का परिवहन करने वाले हम थे, अत: रेलवे को इसमें लाना स्वाभाविक ही था परन्तु प्रत्येक राज्य द्वारा की जाने वाली कोयले की खपत का निर्धारण सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके राज्य सरकारों द्वारा ही किया गया था।

Shri Narsingh Narain Pandey : Just now, it has been stated by the hon. Minister that the minimum requirement of U. P. was assaessed to be 60 rakes whea reas U.P. Government's demand was to the tune of 120 rkhes. Then, how it was assessed as 60 rakes and how you are going to supply the same?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Resident Commission er of U.P. is here and I had a meeting with him. I told him that if U.P. accepts the middlings of Durgapur Washeries 40 rakes can be made available to them if not 60 and he was satisfied with this.

Shri Ramsurat Prasad : U. P. was given very little quantity of Coal for brick burning due to which only a few brick-kilns functioned and lakhs of labourers working in these brick-kilns remained unemployed. I want to know the steps being taken by the Minister so that sufficient Coal is made available and workers do not remain un-employed?.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Just now I have stated that good middlings are available with Durgapur Washeries and 40 rakes can be arranged therefrom.

आसाम में बाढ़ के कारण रेलवे की हुई हानि

*514. **श्री तरुण गोगाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाढ़ के कारण आसाम में रेलवे को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ;

(ग) रेलवे लाइनों की मरम्मत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) मरम्मत का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या उक्त राज्य में रेल सेवाएं अब सामान्य हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 19 लाख रुपये।

(ग) रेल लाइनों की मरम्मत और उन्हें दुबारा बिछाये जाने के लिए द्रुत कदम उठाये गये हैं ।

(घ) सीलापाथर और मुरकोंग सेलक स्टेशनों के बीच के खंड को छोड़कर मरम्मत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और आशा है वह भी 3-9-74 तक पूरा हो जायेगा ।

(ङ) इस समय असम राज्य में केवल मुरकोंग-सेलक खण्ड को छोड़कर, जहां दुबारा लाइन बिछाने का कार्य चालू है, सामान्य रेल सेवाएं सुलभ हैं ।

श्री तरुण गोगाई : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि बाढ़ लगभग प्रत्येक वर्ष आती है और इस साल तो निरन्तर चार बार भारी बाढ़ आई है जिसके फलस्वरूप रेलवे लाइनों को भारी क्षति हुई है और रेलवे लाइनों की संचार व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है । आसाम देश के अन्य भागों से या देश का पूर्वी भाग देश के अन्य भागों से पूर्णतया कट गया है, अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या वह वर्तमान रेलवे लाइनों को उंचा करने या उन्हें और अधिक मजबूत करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वह बाढ़ के प्रकोप को सहन कर सके ? दूसरे, देश के इस भाग को परिवहन सम्बन्धी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वहां के अधिकांश लोगों को लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिक दाम देने पड़ते है क्योंकि वह देश के अन्य भागों से लाई जाती है, अतः इस सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ताकि जब कभी इस रेलवे लाइन पर कोई गड़बढ़ हो, तो उसका संचार व्यवस्था पर प्रभाव न पड़े ? तीसरे, बड़ी लाइन का विस्तार करने वाली निरन्तर मांग, जिसकी मंजूरी गोहाटी से बोंगाईगांव तक के लिए दे दी गई है के सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र: जहां तक गोहाटी से बोंगाईगांव का सम्बन्ध है, इसका कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जा रहा है । प्रधान मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इसका कार्य इस वर्ष या आगामी वर्ष के आरम्भ में शुरू कर दिया जायेगा । जहां तक वैकल्पिक रेल मार्ग आरम्भ करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वर्तमान वित्तीय परिस्थितियों में इसके बारे में कोई वायदा नहीं किया जा सकता । इसके बारे में अभी हम केवल पुलों तथा पुलियों की लम्बाई बढ़ाने के प्रयास में लगे हुये हैं ताकि बाढ़ के पानी का निकास अच्छी तरह हो सके ।

श्री नुरूल हुडा : माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण लुम्बडिंग और बदरपुर के बीच रेल व्यवस्था लगभग दो सप्ताह तक अस्तव्यस्त रही है ? रेल यातायत को इस गड़बड़ी के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ? दुसरे आसाम में प्रत्येक वर्ष, भूमिस्खलन के कारण रेल यातायात अस्तव्यस्त हो जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे बचाव के लिए मंत्री महोदय या रेल प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस क्षेत्र में भूमि स्खलन के कारण न केवल रेल सेवाओं को अपितु सड़क सेवाओं को भी क्षति होती है । पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेषतया ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत अधिक है भूमि स्खलन को रोकना बहुत कठिन होता है । परन्तु फिर भी जो कुछ भी निवारक कदम हैं, वह उठाये गये है । हमारे इंजीनियर तथा विशेषज्ञ वहां हैं । हम वहां की वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

श्री नुरूल हुडा : वहां कितनी हानि हुई है ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय मेरे विशिष्ट प्रश्न के उत्तर को टालने का प्रयास कर रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राम गंगा ब्रिज रेलवे स्टेशन में मकान किराया

*513. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राम गंगा ब्रिज रेलवे स्टेशन (मुरादाबाद डिवीजन उत्तर रेलवे) पर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों से उन क्वार्टरों के लिये, जिनका उपयोग रेलवे की वस्तुयें रखने के लिये हो रहा है बिजली के खर्च सहित मकान-किराया लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को दिये गये मकानों का उपयोग रेलवे सामान को रखने के लिये गोदाम के रूप में करने का क्या कारण है; और

(ग) इस प्रकार वसूल किये गये मकान किराये को वापस देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रिहायशी उपयोग के लिए एलाट किये गये क्वार्टरों का केवल मकान किराया वसूल किया जाता है। चूंकि राम गंगा ब्रिज रेलवे स्टेशन पर बिजली नहीं लगी है अतः तत्संबंधी प्रभार वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञात हुआ है कि वहां का वर्तमान स्टेशन मास्टर बिना अपने प्राधिकारी की अनुमति के मिट्टी का तेल और अन्य भण्डार अपने क्वार्टर में रखता है न कि स्टेशन की इमारत में जैसा कि उसका पूर्ववर्ती स्टेशनमास्टर किया करता था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल के उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने के लिये कार्यवाही

*515. **श्री ज्योतिमंय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के उत्पादों का दुरुपयोग रोकने और साथ ही कम से कम अशोधित तेल से आवश्यक तेल-उत्पादों का अधिकतम उत्पादन करने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, लगभग 43 लाख टन "हैवी स्टाक" का प्रयोग यदि भट्टी के ईंधन के रुप में नहीं किया जाये और उसे पुनः परिष्कृत किया जाये तो उससे लगभग 32 लाख टन मिट्टी का तेल और डीजल तैयार किया जा सकेगा ;

(घ) क्या इन विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि 43 लाख टन 'हैवी स्टाक' का भट्टी ईंधन के बजाय 'हाइड्रोक्रैकिंग' के लिये काम में लाया जाये तो उससे तेल के आयात में लगभग 76 लाख टन की कमी होगी जिसके परिणामस्वरूप आयात बिल में लगभग 456 करोड़ रुपये की बचत होगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) तेल के उत्पादों के दुर्पयोग पर रोक थाम लगाने के लिये उठाये गये कदमों में हाई स्पीड डीजल आयल तथा मिट्टी के तेल के विक्रय मूल्य का बराबर किया जाना तथा निम्न ग्रेड के स्नेहकों और हल्के विलायकों के

विक्रय मूल्यों में वृद्धि किया जाना सामिल है। अनेक उत्पादों की सप्लाई एवं मांग के प्रकाश में विभिन्न सोधनशालाओं के उत्पाद पैटर्न का प्रतिमास पुनरीक्षण किया जाता है और सम्भव सीमा तक समायोजन किये जाते हैं।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में इस प्रकार का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। किसी अशोधित तेल से हैवी स्टाक का बनाया जाना अशोधित तैल की विशेषताओं पर निर्भर करता है और यह प्रत्येक अशोधित तेल के बारे में व्यापक रुप से भिन्न भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर अंकलेश्वर का अशोधित तेल केवल लगभग 20 प्रतिशत हैवी स्टाक पैदा करेगा, जबकि नाहरकटिया अशोधित तेल लगभग 40 प्रतिशत तक पैदा करेगा. पश्चिमी गुजरात के तेल इस से भी अधिक अर्थात 55 से 60 प्रतिशत की सीमा तक पैदा करते हैं। मध्य पूर्व के सामान्य अशोधित तेल, जैसे कि, उदाहरण के तौर पर, आधाजारी अशोधित तेल है, से 40 प्रतिशत (शोधनशाला ईंधन को पूरा करने के पश्चात्) की उपज मानते हुए 7.6 मिलियन मीटरी टन आधाजारी तेल से केवल 3.04 मिलियन मीटरी टन हैवी स्टाक बनाया जा सकेगा (वायुमण्डलीय अवशेष) और न कि 4.3 मिलियन मीटरी टन।

हाइड्रो–क्रैकिंग की प्रक्रिया से हैवी स्टाक से भी पैट्रोल, मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की उपज हैवी स्टाक की विशेषताओं, हाइड्रो–क्रैकिंग यूनिट के डिजाइन तथा परिचालन की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। आसुत की किस्म की हाइड्रो–क्रैकिंग प्रक्रिया के लिये, आधाबारी अशोधित तेल से प्राप्त हैवी स्टाक से लगभग 40 प्रतिशत हल्के एवं मध्यम आशुत उपलब्ध किये जाने की आशा की जा सकती है। अतः हाइड्रो-क्रैकिंग से यदि आधाजारी असौधित तेल से 4.3 मिलियन मीटरी टन हैवी स्टाक की प्रक्रिया की जाए तो पैट्रोल, मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की उपज केवल लगभग 2.048 मिलियन मीटरी टन हो सकती है न कि 3.2 मिलियन मीटरी टन।

अशोधित तेल के आयात में कमी तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में हुई बचत हाईड्रो-क्रैकिंग से हैवी स्टाक की पन प्रक्रिया द्वारा पैट्रोल, मिट्टी के तेल तथा डीजल की उपज के प्रत्यक्ष रुप से अनुपात में नहीं है जिस के कारण निम्नलिखित है :–

(1) यहां दो मामलों पर विचार किया जाता है। पहले मामले में हाइड्रो-क्रेकिंग के बिना 7.6 मिलियन मीटरी टन आधाजारी अशोधित तेल की प्रक्रिया अथवा अन्य द्वितीयक प्रक्रिया संबंधी सुविधाओं से शोधनशाला ईंधन के लिये तथा 40 प्रतिशत की हानि की व्यवस्था करने के पश्चात् 50 प्रतिशत अर्थात् 4.256 मिलियन मीटरी टन आसुत (हल्के तथा मध्यम दोनों मिला कर) और 40 प्रतिशत अर्थात 3.04 मिलियन मीटरी टन हैवी एण्डज की उपज होगी।

(2) दूसरे मामले में हाइड्रो–क्रैकिंग प्रक्रिया के प्रयोग करने से 4.256 मिलियन मीटरी टन हल्के एवं मध्यम आसुतों की वही मात्रा 5.66 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल से प्राप्त की जा सकती है। इस मामले में अतिरिक्त शोधनशाला ईंधन तथा हाइड्रो–क्रैकिंग तथा संबंधित-प्रक्रिया–चरणों की हानि पूरी करने के पश्चात् शेष हैवी एण्ड्ज 0.951 मिलियन मीटरी टन होंगे।

इस प्रकार इस से यह परिणाम निकलेगा कि जबकि पहले मामले में, 7.6 मिलियन मीटरी टन अशौधित तेल की प्रक्रिया से 7.296 मिलियन मीटरी टन बिक्री योग्य उत्पादों की उपलब्धि होगी, दुसरे मामले में 5.66 मिलियन मीटरी टन अशौशित तेल से 5.207 मिलियन मीटरी टन उत्पादों की प्राप्ति होगी। जबकि दुसरे मामले में अशोधित तेल के आयात में 1.94 मिलियन मीटरी टन की कमी होगी, बिक्री योग्य उत्पाद में (समस्त रुप से हैवी एण्डज–ईंधन तेल) 2.09 मिलियन मीटरी टन की हानि होगी। अतः यह स्पष्ट है कि अशोधित तेल के आयात में कमी करने के

प्रयासों से बिक्री योग्य उत्पादों (ईंधन तेल) की उपलब्धि में कमी हो जायेगी। यदि इस ईंधन तेल के स्थान पर कोयले अथवा ऊर्जा के अन्य देशज संसाधनों का प्रयोग कर सकते हों तो हाइड्रो-क्रैकिंग प्रक्रिया से अशोधित तेल के आयात में की गई कमी से विदेशी मुद्रा में बचत हो सकेगी।

नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी बहाल किया जाना और बातचीत फिर से शुरू किया जाना

*516. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल कर्मचारियों की नवीनतम संख्या क्या है जिनसे मुअत्तिली और नौकरी समाप्त करने के नोटिसों को वापस लिया गया है और जिन्हें इस प्रकार नौकरी पर बहाल कर दिया गया है; नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी पर फिर से बहाल करने और जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उनकी सेवा-भंग न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस बारे में रेल यूनियनों के साथ बातचीत फिर से शुरु करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मुकद्दमे दायर दिये गये ; और

(घ) पिछली रेल हड़ताल से सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कितने मामले हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ) अब तक लगभग 8.540 निलम्बित कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाया गया है और लगभग 7,750 को, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी, जब तक बहाल किया गया है।

जहां तक नैमित्तिक मजदूरों का प्रश्न है, वे मौसमी और परियोजना संबंधी काम में लगाये जाते हैं तथा सेवा-मुक्त 18,500 नैमित्तिक मजदूरों में से आवश्यकतानुसार लगभग 10,000 को दुबारा काम पर लगाया जा चुका है। बाकी मजदूरी को दुबारा लगाये जाने का प्रश्न प्रत्येक रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार पैदा होगा।

हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों का सेवा-भंग माफ किये जाने के संबंध में व्यक्तिक मामलों की समीक्षा की जा रही है और लगभग 2 लाख रेल कर्मचारियों का सेवा-भंग माफ किया जा चुका है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों, अर्थात् नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवमेन्स और आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन को रेल प्रशासन के साथ विचार-विमर्श की सुविधाएं प्राप्त हैं और जो भी मामले वे लाते हैं उन पर यथोचित रुप से विचार किया जाता है।

न्यायालयों में पड़े मामलों की संख्या फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले 5.91 लाख रेल कर्मचारियों में से लगभग 10,500 मामलों में आनुशासनिक कार्रवाई की गयी है।

विधान सभाओं और लोक सभा के लिये साथ साथ निर्वाचन

*517. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :**

श्री के० मालप्पा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि विधान सभाओं के लिए निर्वाचन लोक सभा के निर्वाचनों के साथ-साथ किये जाने चाहिये जिससे व्यय में कमी हो और राजनीतिक दलों को भी दोनों निर्वाचनों के लिये एक साथ अभियान चलाने में सुविधा हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हड़ताल समाप्त होने से पूर्व काम पर लौटने वाले रेल कर्मचारी

*518. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़ताल समाप्त होने से पहले ही अपने काम पर लौटने वाले रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) हड़ताल के दौरान रेलवे की विभिन्न डिवीजनों में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों की डिवीजनवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) हड़ताल के बाद सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) हड़ताल के दौरान तथा उसके बाद रेलवे में नये भर्ती किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) (क) लगभग 3.5 लाख ।

(ख) क्षेत्रीय रेल और मण्डल-वार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8301/74]**

(ग) लगभग 550 ।

(घ) हड़ताल के दौरान और बाद में रेलों में लगभग 9,500 व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी । इनमें से लगभग 2,900 सामान्य रुप से हुई खाली जगहों में नियुक्त किये गये हैं और शेष वे हैं जिन्हें हड़ताल के दौरान आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया था ।

दिल्ली शाहदरा (उत्तर रलवे) के स्वास्थ्य एकक के एक रेल कर्मचारी को हिरासत में रखा जाना

*519. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे स्वास्थ्य एकक, दिल्ली-शाहदरा के एक कर्मचारी को 10 जुलाई, 1974 को, जब वह ड्यूटी पर था, अवैध रुप से हिरासत में लिया गया था तथा उसकी तलाशी ली गई थी और उसे दिल्ली-शाहदरा के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया था;

(ख) क्या इस घटना से उक्त स्वास्थ्य एकक में काम कर रहे कर्मचारियों में भय उत्पन्न हो गया है;

(ग) क्या सहायक मैडिकल आफीसर इंचार्ज, उत्तर रेलवे स्वास्थ्य एकक, दिल्ली-शाहदरा ने उस मामले पर उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया है; और

(घ) उत्तर रेलवे प्रशासन ने उक्त स्वास्थ्य एकक के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये, जब वे ड्यूटी पर हों, क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली–शाहदरा स्थित स्वास्थ्य इकाई में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनमें विश्वास की भावना पैदा करने हेतु कुछ समय के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की तैनात कर दिया गया है।

रेलवे कर्मचारियों से बांड भराया जाना

*520. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि रेलवे सेवा में जो व्यक्ति नये भर्ती किये जायेंगे उन्हें इस आशय का बांड अनिवार्य रूप से भरना होगा कि वे हड़ताल नहीं करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा तेल शोधन कार्यों में कटौती

*521. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन इस महीने से अपने तेल शोधन कार्यों में कटौती करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके अन्तर्गत विभिन्न तेल शोधक कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों पर इस कारण किस सीमा तक बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि एवं विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वर्ष में अशोधित तेल का आयात पूर्वानुमान से कम होने की आशा है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन शोधनशाला ने वर्ष 1974 के प्रथम 6 महीनों में अपनी 2.75 मिलियन मीटरी टन के सामान्य परिचालन स्तर (औषतन 2.3 लाख मिलियन मीटरी टन प्रतिमाह) से ऊपर कार्य किया। एच० पी० सी० को अगस्त के बाद से दिया जाने वाला अशोधित तेल, इस शोधनशाला को सामान्य स्तर पर परिचालन बनाए रखने में समर्थ बनाएगा। आयातित तेल की सीमित उपलब्धि एवं विभिन्न शोधनशालाओं के उत्पाद प्रारुप तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा विभिन्न शोधनशालाओं के परिचालन स्तर की निरंतर जांच की जा रही है।

(ग) वर्तमान में हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन की बम्बई स्थित शोधनशाला के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ल्यूब शोधनशाला के विस्तार करने की संभाव्यता पर जांच की जा रही है।

नेप्था के मूल्यों में कमी

*522. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेप्था के मूल्य में अभी हाल में कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कब कमी की गई तथा कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) उर्वरक उत्पादन के अतिरिक्त प्रयोग में लिए जाने वाले नेप्था का मूल्य जो 2 मार्च, 1974 से बम्बई पर प्रति मीटरी टन 2320.06 रु० तक बढ़ गया था 26 मार्च, 1974 से प्रति मीटरी टन 1000/- रुपये तक कम हो गया था।

औषधियों पर कर

*523. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशिष्ट औषधि के मूल्य के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर, विक्रय कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और चुंगी के रूप में कुल कितना कर लिया जाता है;

(ख) क्या कुछ मामलों में औषधियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर औषधियों के मूल्यों के लगभग 50 प्रतिशत होत हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कभी औषधियों पर इतने अधिक कर लगाये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) क्या सरकार मध्यवर्ती स्तरों पर लगे सभी करो को हटाएगी क्योंकि ये प्राणरक्षा के लिये आवश्यक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) आयातित दवाओं पर लगने वाले सीमाशुल्क जीवनरक्षक दवाओं पर 25 प्रतिशत से लेकर अन्य दवाओं पर 75 प्रतिशत के बीच है। इतना होने पर भी आयातित दवाओं के मूल्य सामान्यत: देश म निर्मित दवाओं क निर्धारित मूल्यों से कम हैं।

विभिन्न राज्यों म विभिन्न प्रकार की दवाओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, केन्द्रीय बिक्रीकर, राज्य बिक्री कर और चुंगी 12 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच है।

(ग) और (घ) सरकार ने 8-2-1974 से औषध और भेषज उद्योग के बारे में एक समिति नियुक्त की है जिसके निदश पद निम्नप्रकार से हैं :—

"उपभोक्ता क लिए दवाओं के मूल्य कम करने के बारे में अब तक किए गए उपायों की जांच करना और ऐसे अन्य उपायों क बारे में सुझाव देना जो कि मूल दवाओं और फारमूलों को तर्क-संगत बनाने के लिए आवश्यक हों।"

पेट्रोलियम पदार्थ के उपभोग के तरीके के कारण तेल फर्मों को हुई हानि

*524. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोग का तरीका जिसके आधार पर विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादनों के मूल्य निर्धारित किये गये थे, बदल गया है जिससे तेल कम्पनियों को हानि हो रही है;

(ख) क्या तेल कम्पनियों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री से भारी हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) मार्च 1974 से, जब प्रपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में संशोधन किया गया था तब से परिकल्पित खपत के स्तर के मुकाबले में केवल स्नेहकों की खपत में महत्वपूर्ण कमी हो गई है। मिट्टी के तेल हाई स्पीड डीजल और इंधन गैस के मूल्यों में अपर्याप्त वृद्धि के कारण स्नेहकों और ग्रीसों के मुल्यों में प्रतिपूरक वृद्धि को उच्चस्तर तक वृद्धि करने की अनुमति की गई थी। स्नेहकों और ग्रिसों की खपत में कमी के परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों की पर्याप्त रूप में कम वसुली हुई है।

(ख) और (ग): उत्पादों के विपणन के कारण तेल विपणन कंपनियों को होने वाली कम वसूलियों का अनुमान 12.36 करोड़ रुपये प्रति मास है। जिन साधनों से तेल कंपनियों को मुआवजा दिया जाना है वे साधन सरकार के निरन्तर विचाराधीन है।

उड़ीसा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*525. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पैरादीप उड़ीसा में उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रुप में स्वीकृती दे दी है परियोजना भारतीय उर्वरक निगम लि० द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने में बर्मा शैल की असमर्थता

*526. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्मा शैल ने चालू वर्ष में परलीकृत पेट्रोलियम तथा अन्य उत्पादों के लिये ग्राहकों की मांग पूरी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख) बम्बई शोधनशाला में पूर्ण अशोधित तेल मे कमी होने से इस चालू वर्ष के दौरान बर्मा शेल के पास उत्पाद उपलब्धता में कमी हो जाएगी। उसके परिणामस्वरुप अपने ग्राहकों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ न होगी। बर्मा शेल से उत्पाद उपलब्धता की कमी को सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों द्वारा अधिकतम संभव मात्रा को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता की कमी को कम करा कर आंशिक रुप से पूरा करने का सुझाव अभी अन्य शोधनशालाओं से उसका पुनरावंटन करने का प्रस्ताव है अभी प्रभावी क्षेत्रों में अतिरिक्त मिट्टी के तेल का वितरण कर आंशिक रुप से पूरा करने का प्रस्ताव है।

नंगल उर्वरक कारखाने का बन्द हो जाना

*527. **श्री वी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री आर० व्ही० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या 30 करोड़ रुपये की लागत वाले नंगल उर्वरक कारखाने को जो जुलाई, 1974 में 10 दिन के लिये बन्द पड़ा रहा, वहां 31 जुलाई, 1974 को हुए विस्फोट के कारण खोला नहीं जा सका था;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट के कारण कितनी क्षति हुई;

(ग) इस कारखाने को पुनः खोलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इसके बन्द होने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) नंगल उर्वरक संयंत्र, जिसे 22 जुलाई 1974 को बन्द कर दिया था, ने बिना किसी दुर्घटना के 3 अगस्त को पुनः उत्पादन करना शुरु कर दिया था।

(ख) और (ग) [प्रश्न नहीं उठता।]

(घ) नंगल उर्वरक कारखाने को की जा रही बिजली की सप्लाई में कटौती करने तथा कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली की अतिरिक्त सप्लाई करने का निर्णय समग्र राष्ट्रीय हित में किया गया था। तथापि, नाजुक उपकरणों की सुरक्षित रखने के लिए कारखाने के बन्द रखे जाने की अवधि के दौरान भी उर्वरक कारखाने को 20 एम डब्ल्यू बिजली की सप्लाई की जाती रही है।

कोचीन उर्वरक संयंत्र से यूरिया की ढुलाई

*528. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल वापस लिय जान क बाद भी कोचीन उर्वरक संयंत्र से यूरिया की भारी मात्रा की ढुलाई नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) कोचीन उर्वरक संयंत्र से यूरिया सीमित रुप में भेजा गया था क्योंकि इसका मुख्य कारण पिछले उठाने और भरने वाले ठेकेदार के मजदूरों की अवरोध प्रवृत्ति थी। इन मजदूरों का दावा था कि यूरिया की बोरियों को उठाने और भरने के लिए केवल उनको ही नियुक्त किया जाना चाहिए। नमक खुरपी में यांत्रिक खराबी के कारण यूरिया की बोरिया भरने में भी कुछ कठिनाईया हुई है।

औषधियों के ब्रांड नामों का समाप्त किया जाना

3602. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या औषधियों के मुल्य कम करने के उद्देश्य से सरकार का विचार ब्रांड नाम समाप्त करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : ब्रान्डों के नामो और उन्हें समाप्त करने के परिणामों की जांच हो रही है।

Air Conditioning of Officer's Rest House at Danapur

3603. **Shri Ramavatar Shastri :** Willthe Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether the officer's rest house in Danapur on Eastern Railway was airconditioned during June, 1974;

(b) if so, whether Government have decided to air-condition all such rest houses;

(c) if not, the reason for air conditioning the said rest house ; and

(d) the expenditure incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shr Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) and (c) In the present difficult ways and means position, it is not proposed further to provide air-conditioning in such officers Rest Houses.

(d) The approximate expenditure incurred on the air-conditioning of the rest house at Danapur is Rs. 30,000/-.

कोलगेट पामोलिव तथा केडबरी फ़ाई (इण्डिया) लिमिटेड के विरुद्ध आरोप

3604. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलगेट, पामोलिव तथा कैडबरी फ्राई (इण्डिया) लिमिटेड नामक विदेशी नियंत्रण वाली दो एकाधिकारी कम्पनियों के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार क्रियाएं आयोग किन किन विशिष्ट आरोपों की जांच कर रहा है; और

(ख) जांच में कहां तक प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) इनके द्वारा कुछ प्रथाओं में निरत होने के ब्यौरे;

(1) दि कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के, दिनांक 12 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5401 के उत्तर में दिये गये थे, तथा

(2) दि कोलगेट–पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के, दिनांक 16 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6863 के उत्तर में दिये गये थे।

(ख) जैसा कि तारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर में दिनांक 13 अगस्त, 1974 को सदन में बताया गया था, इन दोनों कम्पनियों की बाबत, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष कार्यवाहिया, संविधान के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई व्यवहारिक लिखित याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी। इन विषयों की सुनवाई के लिये इसी मास को विभिन्न तारीखें निर्धारित की गई है।

उड़ीसा में साबुन उद्योग के विकास के लिये सहायता

3605. श्री बनमाली बाबू : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने साबुन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है जिसके लिए राज्य विशिष्ट रूप से उपयुक्त है और जिसमें बेकार पड़ी जनशक्ति को खपाने की क्षमता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्य को दी जाने वाली तकनीकी वित्तीय सहायता की मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस मंत्रालय में कोई इस प्रकार का निवेदन नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का पुनर्विलोकन

***3606. श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री धामनकर :
श्री वसन्त साठे :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के कार्यकरण सम्बन्धी कोई पुनर्विलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) अधिनियम को सक्ति से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान जी। एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 62 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने, 1 जून 1970 से 31 दिसम्बर, 1971 तथा 1 जनवरी, से 31 दिसम्बर, 1972

तक की अवधि की, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण सम्बन्धी दो वार्षिक रिपोर्टें, व साथ ही आयोग द्वारा क्रमश: 30 अप्रैल, 1973 व 14 दिसम्बर, 1973 को प्रस्तुत की गई इन्हीं अवधियों की, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्य-कलापों पर रिपोर्टें, सदन के पटल पर प्रस्तुत की थीं।

(ग) परिनियम में अन्तर्निहित वस्तुनिष्ठ के कार्यान्वयन का उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कुछ उपबन्धों में कुछ संशोधन विचाराधीन है, एवं यह आशा की जाती है कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विधान यथाशीघ्र उपस्थित किया जायेगा।

नेफ्था का जापान को निर्यात

3607. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मई, 1974 को भारत में कोचीन से 20,000 टन नेफ्था जहाजों द्वारा जापान को भेजा ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी पूंजी का अर्जन हुआ ; और

(ग) नेफ्था का निर्यात कब तक जारी रहेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) प्रत्येक देश को निर्यात किए गए पेट्रोलियम उत्पाद के वास्तविक आंकडे बताना जनहित में वांछनीय नहीं होगा। तथापि जापान को नेफ्था निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा लगभग 2.205 डालर मिलियन थी।

(ग) नेफ्था के नियमित निर्यात के लिए इस समय कोई योजना नहीं है। कोई और अधिक निर्यात आन्तरिक खपत के वास्तविक स्तर पर आधारित है।

उर्वरकों का मूल्य

3608. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971–72, 1972–73, 1973–74, और 1974–75 की दूसरी तिमाही में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की प्रति टन कीमत कितनी थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खा) : इस समय भारत सरकार केवल तीन उर्वरकों अर्थात यूरियम, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट के सम्बन्ध में अत्याधिक फुटकर मूल्य निर्धारित करती है। सुपरफास्फेट के अतिरिक्त अन्य उर्वरकों के मूल्य अलग-अलग उत्पादक यूनिटों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सुपरफास्फेट के सम्बन्ध में मूल्य सरकार की स्वीकृति से तैयार किए गए एक सूत्र के अनुसार भारतीय उर्वरक संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अवधि के दौरान विक्रय मूल्यों के सम्बन्ध में विभिन्न उत्पादक फर्मों द्वारा वास्तविकता में लिए जाने वाले मूल्य उपलब्ध नहीं है किन्तु अवधि के दौरान सावधिक रूप में सरकार द्वारा यूरिया, कैल्शियम,

अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम सल्फेट के नियत किये गये अधिकतम मूल्य नीचे तालिका में दिये गये हैं ।

रुपये प्रति टन

उर्वरक	1971	1972	1973–74	1974
		17-3-72 से प्रभावी	11-10-73 से प्रभावी	1-6-74 से प्रभावी
यूरिया :				
46% एन . .	923 (4-3-71 से)	959	1050	2000
45% एन . .	..	940	1030	1960
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट				
26% एन . .	575	594	645	1145
25% एन .	545	565	615	1095
अमोनियम सल्फेट				
100 कि० ग्राम के पैकेट :				
सफेद क्रिस्टलाइन .	529	549	590	925
रंगदार पाउडर	429	449		
50 किलोग्राम के पैकट :				
सफेद क्रिस्टलाइन	540	560	600	935
रंगदार पाउडर . .	440	460		

बांकुरा दामोदर रेल्वे की स्थिति में सुधार करने का निर्णय

3609. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में दक्षिण पूर्व रेल्वे में बांकुरा दामोदर रेलवे की स्थिति में सुधार करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की योजना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बांकुड़ा-दामोदर रेल्वे कम्पनी द्वारा प्रबन्धित एक लाइन है जिसका परिचालन दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा किया जा रहा है । पटरी के सुधार, क्वार्टरों के निर्माण, रेलवे बस्ती में पानी की सफाई और सफाई आदि में सुधार करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) अनुमान तैयार किए जा रहे हैं और लागत में कम्पनी के हिस्से की रकम की स्वीकृति मिलते ही ये काम शुरू कर दिये जायेंगे ।

Cancellation of trains in South Central Railway in May, 1974

3610. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled some trains in South Central Railway in May, 1974;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor; and

(c) the estimated loss suffered by Government thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 88 pairs of passenger carrying trains and about 190 Goods trains were cancelled daily due to strike by Railwaymen and to conserve coal.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 1.48 crores.

Cancellation of trains in Northern Railway in May, 1974

3611. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled some trains in Northern Railway in May, 1974 ;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor; and

(c) the estimated loss suffered by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 40 pairs of passenger carrying trains and about 216 Goods trains were cancelled daily due to strike by Railwaymen and to conserve coal.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 8.15 crores.

Permanent and Temporary Employees on strike in Southern Railway

3612. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be plesed to state :

(a) the number of permanent and temporary employees at present in the Southern Railway separately;

(b) the number of employees who took part in the Railway Employees strike resorted to from 8th May, 1974; and

(c) the number of those who attended to their duties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a)	Permanent	1,19,335
	Temporary	14,223
(b)	. . . . .	65,115
(c)	. . . . .	68,443

Incidents of sabotage on Northern Railway during Railway Strike

3613. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number o incidents of sabotage in Northern Railway during the Railway strike from 8th May, 1974; and

(b) the total value of the Railway property damaged as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Three cases.

(b) Nil.

नेफ्था का निर्यात

3614. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेफ्था का निर्यात किन-किन देशों को किया गया था, उसकी मात्रा कितनी-कितनी थी और उसका मूल्य क्या था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : अब तक अदन, जापान तथा सिंगापुर को 1974 के दौरान नेफ्था का निर्यात किया गया है जिससे 12 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ।

प्रत्येक देश को निर्यात किए गए विभिन्न पट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तथा मात्राएं बताना जनहित में नहीं होगा ।

रतनपुर स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर जाना

3615. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 मई, 1974 को जमालपुर के निकट रतनपुर में कोयले की विशेष मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : दुर्घटना 14-5-1974 को नहीं, 12-5-1974 को हुई थी । इस दुर्घटना के अन्तर्गत रेलवे सम्पत्ति की हुई आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया गया है जो लगभग 300 रुपय है ।

बम्बई हाई में तेल की खोज करने के लिये विदेशी सहयोग

3616. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बम्बई हाई में तेल की खोज करने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या विदेशी फर्मो को तेल की खोज करने के लिए कुछ अन्य क्षेत्र दिए जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कतिपय अपतटीय क्षेत्रों में संविदा देने के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक चर्चाएं की जा रही है । इस अवस्था में उसका ब्यौरा देना जनहित में ठीक नहीं है ।

कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और सल्फूरिक एसिड के उत्पादक

3617. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडा, सोडा ऐश तथा सल्फ्युरिक एसिड के प्रमुख उत्पादक चार एकाधिकार गृह हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की अधिष्ठापित क्षमताष्ठा, उत्पादन और पूंजीका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उत्पादकों अथवा उनके अनुचरों द्वारा इन उत्पादों को 100 प्रतिशत लाभ कमा कर बेचे जाने की ओर दिलाया गया है और इस पर वे कोई टैक्स भी नहीं दे रहे हैं ; और

(घ) सरकार ने लाभ को समाप्त करने और छोटे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) जो यूनिट कास्टिक सोडा, सोडा राख और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने में लगे थे, वर्ष 1973-74 के दौरान उनकी उत्पादन और स्थापित क्षमता एक विवरण पत्र में दी है जो सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8302/74 ।**]

(ग) कास्टिक सोडा, सोडा राख और सल्फ्यूरिक एसिड के विक्री मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

(घ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नीचे दिए विस्तृत विवरण के अनुसार इन मूल रसायनों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए लाइसेंस/आशय पत्रों को जारी किया जाचु है ।

	(मी० टन)
कास्टिक सोडा	11,55,000
सोडा राख	8,82,000
सल्फ्यूरिक एसिड	20,36,430

सोडा ऐश संयंत्र का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र

3618. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बिडला उपक्रम ने सोडा ऐश संयंत्र का विस्तार करने के लिए कोई आवेदन-पत्र भेजा है ;

(ख) क्या विस्तार करने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) इन आवेदन पत्रों के एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को न भेजे जाने के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) गुजरात राज्य के क्रमश: जूनागढ़ व अमरली जिलों में वर्तमान कारखानों में सोडा भस्म के निर्माण में अत्याधिक विस्तार के उद्देश्य के लिए, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत दो नोटिस–एक सौराष्ट्र केमिकल्स (स्वामी जयाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड) एवं दूसरा सेन्चरी केमिकल्स (सेन्चरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड) से प्राप्त हुए थे ।

(ख) सौराष्ट्र केमिकल्स यूनिट के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया था, जबकि सेन्चरी केमिकल्स का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था।

(ग) धारा 21, 22 व 23 में विशिष्ट रुप से निर्धारित है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत कोई आदेश, बिना किसी जांच के नहीं दिया जा सकता, तो आवेदन पत्र को इस प्रकार की जांच के लिए एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित कर दिया जाये। इन दोनों आवेदन पत्रों की पुनः जांच उचित नहीं ठहराई जा सकी थीं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय करने के लिए, सभी आवश्यक तथ्य एवं सामग्री, जो निर्णय के आधार स्तम्भ थे, उपलब्ध थे।

पोलोनिल क्लोराइड, पोलीएस्टिरीन और पोलीएथिलीन के मूल्य और इनका वितरण

3619. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छह एकाधिकार उत्पादकों द्वारा निर्मित पोलिनिल क्लोराइड, पोलीएस्टिरीन लो डेन्सिटी, पोली एथिलिन और हाई डेन्सिटी पोलीएथिलीन के नेफ्था के मूल्यों में विभिन्न वृद्धियों से पहले मूल्य क्या थे और हाल के महीनों में हुई वृद्धियों के बाद विद्यमान मूल्य क्या है ;

(ख) बड़े और छोटे उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में इनकी वितरण पद्धति क्या रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि छोटे उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार अधिक युक्तियुक्त वितरण पद्धति निर्धारित करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पी वी सी, एल डी ई पी, एच डी पी ई और पी एस के मूल्य निम्न प्रकार है :—

मद	निर्माता	नेफ्था 4461 रु० की दर फरवरी, 74	नेफ्था 1000 रु० की दर अप्रैल, 1974
		रु०	रु०
एल डी पी ई	यूसिल (नेफ्था आधारित)	7880	9425
	ए सी सी आई (एलकोहल आधारित)	6852	7094
एच डी पी ई . .	पी आई एल (नेफ्था आधारित)	6774	8450
पी एम जी पी . .	पोलीकेम (एल्कोहल भाग नेफ्था भाग)	6650	9250
	एच आई पोलीकेम भाग	7750	10550
	जी पी हिन्दुस्तान भाग (अल्कोहल आधारित भाग नेफ्था)	9500	12400
	एच आई —वही—	10400	13500
पी वी सी .	नोसिल (नेफ्था आधारित)	4900	6000
पी वी सी .	केबीको (कार्बाइड)	6680	6680
पी वी सी	डी सी एम —वही—	4900	5100
पी वी सी .	पी आर सी (नेफ्था आधारित)	5300	7300
पी वी सी . .	केक कास्टिक (अल्कोहल आधारित)	4900	5150

दिनांक 17 जून 1974 से संशोधित एल डी पी ई को ए सी सी आई मूल्य (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्कोहल पर 10 पैसे से 50 पैसे तक निर्यात पास शुल्क का वृद्धि के कारण)

निर्माण कार्य से बाहर रु० 8800 प्रति टन

(ख) से (घ) लघु उद्योग क्षेत्र और भारी उद्योग क्षेत्र में लगी वितरण पद्धति निम्नप्रकार है :—

	लघु उद्योग उपभोक्ता	भारी उद्योग में उपभोक्ता
पी वी सी . .	40%	60%
एल डी पी ई . . .	80%	20%
एच डी पी ई .	80%	20%
पी एस . . .	80%	20%

उक्त आंकडों से यह पता चलता है कि लघु उद्योग ग्राहकों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं है।

मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम की खपत उत्पादन और आयात

3620. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मिटटी के तेल, पेट्रोलियम और इसके उप-उत्पादों की वर्तमान खपत, उत्पादन और कमी कितनी है और इस कमी को पूरा करने के लिए कितना और कितने मूल्य का आयात किया जाता है ;

(ख) उनका समस्त देश में निर्धारित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेचा जाना सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार उनकी चोर बाज़ारी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) पांचवी पन्चवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी आवश्यकता तथा उत्पादन होने का अनुमान है और तब तक आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन का वर्तमान कठिनाई के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धि लगभग 22.0 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है। मिटटी के तेल की उपलब्धि लगभग 3.0 मिलियन टन तक आयोजित की गई है जो 1974–75 के शेष भाग के दौरान अनुमानित सामान्य मांग से लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक कम होगी। वर्ष के दौरान अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा के कुल नियतन के लगभग 1120 करोड़ रुपये होने की आशा है। यद्यपि पी ओ एल की खपत, विशेष रूप से अनावश्यक प्रयोगों के लिए, पर विभिन्न प्रकार से रोक लगाई जा रही है, तथापि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए अपेक्षित अत्यवश्यक पी ओ एल की आवश्यकताओं को पुरा करने के प्रत्येक प्रयत्न किए जा रहे है।

(ख) प्रपुंज शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के गोदामों तथा प्रतिष्ठापन केन्द्रों से बाहर मूल्य सरकार-द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मिटटी के तेल, एल डी ओ तथा मटटी के तेल के मूल्य भी अत्यवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा सांवधिक रूप से नियन्त्रित किए जाते हैं। शेष पेट्रोलियम उत्पादों पर

तेल कम्पनियों की मार्फत अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण हैं। किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की चोर-बाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। तेल कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए हैं कि उनके डीलर कोई चोर-बाजारी न कर पायें।

(ग) तेल के मूल्यों में परिवर्तन तथा अर्थ व्यवस्था की बदली हुई परिस्थिति के प्रकाश में सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए संशोधित मांग अनुमानों पर विचार कर रही है। देश में देशीय अशोधित तेल की वर्तमान पूर्वानुमानित उपलब्धि से पांचवीं पन्चवर्षीय योजना की अवधि में अशोधित तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा। तथापि, अशोधित तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तटीय तथा अतटीय अन्वेषण करने सम्बन्धि प्रयत्नों को तेज किया जा रहा है।

नई रेलवे लाइनों के लिय सर्वेक्षण

3621. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी नई रेलवे लाईनों के लिए सर्वेक्षण जोन-बार, पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) क्या ऐसी नई लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी जो ऐसे राज्यों में बनाई जानी है जिनकी अब तक उपेक्षा की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिम्नलिखितनयी लाइनों का क्षेत्रवार सर्वेक्षण पूरा हो चूका है :—

रेलवे क्षेत्र	सर्वेक्षणों की संख्या
उत्तर	दस
मध्य	सात
दक्षिण-पूर्व	छः
पूर्वोत्तर	पांच
पश्चिम	छः
दक्षिण	पांच
दक्षिण मध्य	दो
पूर्वोत्तर सीमा	पांच
पूर्व	एक

(ख) जी हां, धन उपलब्ध होने पर।

पठानकोट से जम्मू जाने के लिये रेलगाडियों में स्थान प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन

3622. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर पंजाब की जनता ने रेलवे प्राधिकारियों को पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जम्मू जाने के लिए रेलगाडियों में स्थान प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जैसलमेर जिले में सुमेर तलाई में तेल की खुदाई पर किया गया व्यय

3623. श्री बीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुमेर माली तलाई में तेल की खुदाई पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : राजस्थान के जैसलमेर जिले के समरतलाई क्षेत्र में जुलाई, 1974 तक व्यधन कार्य पर खर्च की गई राशि 161.10 लाख रुपये है ।

हरियाणा और पंजाब में डीजल और मिट्टी के तेल की कमी

3624. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली है कि हरियाणा और पंजाब राज्यों में डीजल और मिट्टी के तेल की भारी कमी है जिसका राज्यों में कृषी तथा उद्योग पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) पंजाब और हरियाणा से एच एस डी/मिट्टी के तेल की कमी को हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए हैं। खपत को कम करने के लिए जून 1974 से सभी राज्यों को मिटटी के तेल के आबन्टन पर 30 प्रतिशत की कटौती लगाई गई है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि कृषि उपयोग के लिए कार्डों पर, डीजल तेल की सप्लाई के लिए व्यवस्था करें ताकि इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर; पूरा किया जा सक । उनको यह भी सलाह दी गई है कि परिवहन क्षेत्र में डीजल के उपयोग में किफायत करने के लिए कदम उठाय तथा अनावश्यक खपत को कम करें ।

बीकानेर डिवीजन में जल-पान और खौंचा लाइसेंस

3625. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में उन जल-पान और खौंचा धारियों के नाम और पते क्या हैं जिनके लाइसेन्स सरकार द्वारा निर्धरित नीति के अनुसार 6 वर्ष और 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर समाप्त कर दिये गये हैं ; और

(ख) ऐसी सहकारी समितियों तथा बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं जिनकों इस डीवीजन में गत तीन वर्षों में ये लाइसेन्स दिये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क)

विवरण

स्टेशन का नाम	बीकानेर मण्डल के उन लाइसेन्सधारीयों के नाम और पते जिनके ठेके खतम कर दिये गये ।
सुदार . .	1. श्री कस्तुर चन्द डाकघर सुदार
चुरु . . .	2. श्री० मनराज डाकघर चुरु
चुरु . . .	3. श्री नानकचन्द, डाकघर चुरु
चुरु . . .	4. श्री सत्य नारायण, डाकघर चुरु
सादुलपुर . .	5. श्री भवर सिंह, डाकघर सादुलपुर
सादुलपुर . .	6. मेसर्स किशोरीलाल एण्ड सन्स, डाकघर सादुलपुर
दिल्ली लाहोरी गेट .	7. श्रीमती रुक्मीणीदेवी, मालगोदाम, दिल्ली लाहोरी गेट (मी० ला०)
रिवाड़ी . .	*8. मेसर्स आर० एस० सुचेतसिंह एण्ड सन्स, गंगा भवन, ओम निवास, मालरोठ, देहरादून ।
सुदसर . . .	*9. श्री जीवनराज सिंह, डाक घर सुदसर
सुदसर . . .	*10. श्री तुलसी राम, डाक घर सुदसर
पैलम . . .	*11. श्री वल्लभभाई पटेल, पालम स्टेशन के समीप
	*समाप्ति नोटिस दिए जाने के बाद इनके ठेके अस्थायी रुप से बढ़ा दिए गए हैं ।
बीकानेर और रतनगढ़ के बीच बी० बी० आर/2 बी० बी० आर० के वुफे कार	%12. मेसर्स सुसददी लाल एण्ड सन्स, बालभारती स्कूल के समीप, गंगा शहर रोड, बीकानेर
रमन . .	%13. मेसर्स मदन लाल हरीराम, डाकघर रमन %6/10 वार्षिक नियम के अधीन ठेके समाप्त कर दिए गए लेकिन फिर दे दिए गए हैं ।

(ख) बीकानेर मण्डल में गत तीन वर्षों में निम्नलिखित सहकारी समितियों और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खानपान/खोमचे के ठेके दिए गए हैं :—

(1) मेसर्स इण्डियन रेलवे केटरिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, घास मण्डी रोड, जोधपुर	चुरु स्टेशन पर खोमचे का ठेका ।
(2) दी राजस्थान केटरिंग/वेल्डिंग वर्कस कोआपरेटिव सोसायटी लि० सादुलपुर	सादुलपुर स्टेशन पर खोमचे का ठेका ।
(3) श्री जगन्नाथ, एक बेरोजगार स्नातक	दिल्ली सदर बाजार में खोमचे का ठेका ।

लुधियाना में वैगनों का पटरी से उतर जाना

3626. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना में 13 मई 1974 को एक माल गाड़ी के साथ वैगन पटरी से उतर गये थे ;

(ख) क्या कुछ नौसिखिये गाड़ी चला रहे थे ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इससे कितनी क्षति हुई है ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सम्भवतः यह सन्दर्भ 31-5-1974 को लुधियाना यार्ड में माल गाड़ी के 7 वैगनों के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 13-5-74 को लुधियाना यार्ड में एक लाइन से दूसरी लाइन में शन्टिंग करते हुए चलते पहियों के नीचे कांटों में फेरबदल के कारण 7 माल डिब्बे पटरी से उतर गए रेल परिसम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई ।

(घ) चूक करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही की जा रही है ।

उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाना

3627. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी उर्वरक बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है ; और

(ख) क्या राज्यों की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : कृषि विभाग के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(क) 1974–75 की रबी फसल के मौसम के लिए उर्वरक आवश्यकताओं की तुलना में उर्वरकों की उपलब्धता में लगभग 33 प्रतिशत कमी होगी ।

(ख) 1974–75 के खरीफ फसल के मौसम के लिए राज्यों की उर्वरक आवश्यकताएं मोटे तौर पर पूरी की गई थी, खरीफ मौसम के दौरान 6 प्रतिशत की न्यूनतम कमी रही है ।

केरल और तमिलनाडु में एक करोड़ रुपये और इससे अधिक प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनियां

3628. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल और तमिलनाडु में उन निर्माता कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपये और इससे अधिक है और जो एकाधिकार तथा प्रतिबन्धामक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आती है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन निर्माता कम्पनियों के नाम जिन्होंने अपने उपक्रमों का 31-7-1974 तक, एकाधिकार एं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत, पंजीकरण करा लिया है एवं जिनकी प्रदत्त पूंजी एक करोड़ पये या इससे उपर है व जिनके पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडु तथ केरल राज्यों में है --

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	राज्य	प्रदत्त पुंजी (करोड़ रु० में)
1	मदुरा मिल्स कम्पनी लि०	तमिलनाडु	7.00
2	अशोक लेलैण्ड लि०	,,	7.79
3	एन्नारे फाउन्ड्रीज लि०	,,	1.60
4	बिन्नी लि०	,,	7.06
5	काब्रोरिण्डम यूनिवर्सल लि०	,,	1.06
6	टयूब इन्वैम्टमेन्टस आफ इण्डिया लि०	,,	3·75
7	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०	,,	2.45
8	लक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०	,,	1.59
9	साउथ इण्डिया विस्कोस लि०	,,	4.90
10	मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लि०	,,	5.96
11	प्लास्टिक रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स लि०	,,	1.12
12	शेषाशायी इन्डस्ट्रीज लि०	,,	1.00
13	सिम्पसन एण्ड कप्पनी लि०	,,	2.25
14	ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्यूपमेन्ट लि०	,,	2.00
15	बेक्स इण्डिया लि०	,,	1.96
16	लूकास-टीवीएस लि०	,,	2.62
17	सुन्दरम इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०	,,	1.20
18	व्हील्स इण्डिया लि०	,,	1.30
19	के० सी० पी० लि०	,,	1.78
20	इण्डिया सीमेन्टस लि०	,,	5.23
21	डब्यू० ए स० इन्सूलेटर्स आफ इण्डिया लि०	,,	1.08
22	शेषाशायी पेपर एण्ड बोर्डस लि०	,,	3.49

टिप्पणी

एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अन्तर्गत केरल राज्य में एक करोड़ रुपयों की प्रदत्त पूंजी युक्त कोई निर्माता कम्पनी पंजीकृत नही हुई है ।

दक्षिण रेलवे में रेलवे प्लेटफार्म पर बिजली की रोशनी

3629. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में इस समय ऐसे रेलवे प्लैटफार्मों की संख्या कितनी है जहां पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे प्लेटफार्मों पर बिजली लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की भावी योजना क्या है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 139 स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 34 स्टेशनों के प्लेट फार्मों पर बिजली लगाने का काम चालू किया जा रहा है ।

(ग) निकटवर्ती स्थानों पर जब कभी बिजली पावर सप्लाई उपलब्ध होगी, शेष स्टेशनों पर बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया जाएगा ।

केरल में रेलवे का विस्तार कार्यक्रम

3630. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्षों में केरल में रेलवे के विस्तार कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : केरल राज्य में अंशत: या पूर्णत: पड़ने वाले निम्नलिखित सर्वेक्षणों/परियोजनाओं पर काम जारी है :—

(i) गुरुवय्यूर के रास्ते कुत्तिपुरम से त्रिचूर तक एक रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए हाल ही में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है जिस पर 86,421 रूपये की लागत आयेगी । इस प्रस्ताव पर और आगे विचार करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों के मिल जाने और उनकी जांच के कर लिये जाने तक प्रतीक्षा करना होगी ।

(ii) एरणाकुलम से तिरुवनंतपुरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्माण कार्य जारी है और आशा है कि यह काम 1976 तक पूरा हो जायेगा ।

(iii) नागरकोइल के रास्ते तिरुवनंतपुरम से तिरुनेलवेली तक एक बड़ी लाइन और साथ ही कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन, जो आंशिक रूप से केरल राज्य में पड़ती है, की मंजूरी दी जा चुकी है । इस काम पर 14.53 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । यह काम जारी है ।

(iv) अलेप्पी के रास्ते कायमकुलम से एरणाकुलम तक बड़ी लाइन बनाने के लिए 1970 में जो यातायात सर्वेक्षण किया गया था उससे मालूम हुआ है कि 97.0 किलोमीटर लम्बी इस लाइन पर 10.0 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह लाइन बड़ी अलाभप्रद रहेगी । पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली प्रस्तावित नयी लाइनों की सूची में इस लाइन को भी शामील कर लिया गया है बशर्ते कि योजना आयोग इस काम के लिए अतिरिक्त धन आबंटित कर दे ।

केरल में अखिल भारतीय औसत के अनुसार रेल लाइनों का बिछाया जाना

3631. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी रेलवे लाइन अखिल भारतीय औसत के अनुरुप हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और शेष कार्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केरल में प्रति एक लाख की आबादी और प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मार्ग किलोमीटर रेलवे लाइन का औसत 4.17 और 22.90 है जब कि अखिल भारतीय औसत क्रमश: 11.01 और 18.87 है ।

(ख) रेल विकास कार्यक्रम राज्य वार या क्षेत्रवार धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित की धारणाओं पर बनाया जाता है। रेलवे विकास की योजना बनाते समय मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि औद्योगिक परियोजनाओं और भारी उद्योगों के क्षेत्र में विकास कार्यों द्वारा देश के विभिन्न भागों में संभावित रेल परिवहन की मांग, पत्तन सुविधाओं का विस्तार, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपयोग, सागरिक आवश्यकताएं, रेलों की निजी परिचालनिक आवश्यकताएं क्या हैं और साथ ही योजना आयोग द्वारा निर्धारित राशि की मात्रा के अन्तर्गत ही विकास-कार्यों की योजना बनायी जाती है।

केरल राज्य में आंशिक रुप या पूर्ण रूप से पड़ने वाले निम्नलिखित सर्वेक्षण / परियोजनाएं जारी हैं :—

(i) हाल ही में कुटटीपुरम से गुरुवायूर होकर त्रिचर तक एक रेल सम्पर्क (56 कि० मी०) के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण मंजूर किया गया है जिसकी लागत 86,421 रु० होगी। जब तक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं मिल जाती और उनकी जांच नहीं कर ली जाती तब तक इस प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं किया जा सकता।

(ii) एरणाकुलम से तिरुअनन्नपुरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने (220 कि० मी०) का काम जारी है, और आशा है कि 13.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह काम 1976 तक पूरा कर लिया जायेगा।

(iii) तिरुअनन्तपुरम से नागरकोइल होकर तिरुनेलवेली तक एक एक बड़ी लाइन बनाने की मंजूरी दे दी गई है जिसकी एक शाखा लाइन कन्याकुमारी तक बनाई जायेगी (164 कि० मी०) जिसका कुछ भाग केरल राज्य में पड़ता है। इस शाखा की अनुमानीत लागत 14.53 करोड़ रुपये की होगी। यह काम जारी है।

(iv) 1970 में कायकुलम से एलेप्पी होकर एरणाकुलम तक एक बड़ी लाइन बनाने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था जिससे यह मालूम हुआ था कि 97.00 कि. मी. लम्बी प्रस्तावित बड़ी लाइन जिसकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये होगी, बहुत ही अलाभप्रद होगी। यह लाइन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू को जाने वाली प्रस्तावित लाइनों की सूची में शामिल कर ली गई है बशर्ते की योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया जाये।

कोयले पर आधारित उर्वरक सयंत्र

3633. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाए जाने सम्बन्धी नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : स्थानीय उपलब्धता, प्रोद्यो-गिकी बातों, संपूर्ण वित्त व्यवस्था आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह नीति है कि उर्वरक कार्यक्रम, विविधीकृत सम्भरण सामग्री पर आधारित हों। पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग पर निर्भ-रता को कम करने के लिए तथा उससे उर्वरक सम्भरण सामग्री में अत्यधिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए तालचट, रामागुण्डम तथा कोरबा में कोयले पर आधारित तीन बड़े संयंत्रों को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस प्रकार के और संयंत्र, यदि सम्भव हुआ, स्थापित किए जाने की सम्भा-वना है।

फूलपुर उर्वरक संयंत्र के लिये आई० एफ० एफ० सी० ओ० को दी गई अनुमति

3634. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलपुर उर्वरक संयंत्र के कार्य को चलाने के लिए आई०एफ०एफ० सी० ओ० को अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) फूलपुर में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजना के लिए आशय पत्र जारी करना स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) वर्तमान सम्भावनाओं के अनुसार परियोजना का कार्य 1974 के अन्त तक आरम्भ होगा ।

फाफामऊ स्टेशन के निकट रेल फाटक पर ऊपरी पुल

3635. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद वाराणसी सड़क पर अधिक यातायात तथा इसकी महत्ता को देखते हुए सरकार का विचार इलाहाबाद-फजाबाद रेलवे लाइन पर फाफामऊ रेलवे स्टेशन के निकट रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल निर्माण करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव है कि फाफामऊ में जी० टी० रोड़ के वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था की जाये । यह काम जांच और योजना के प्रथम चरण में है ।

बिहार में विधान सभा तथा लोक सभा के लिए उपनिर्वाचन

3636. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विधान सभा के लिए तथा इस राज्य से लोक सभा की एक सीट के लिए उपनिर्वाचन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद् भवन में खान-पान विभाग चलाने के कारण रेलवे को वर्ष 1973-74 के दौरान हुई हानि

3637. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को संसद भवन में खान-पान विभाग चलाने के कारण वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार ने इन हानियों के बारे में जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973-74 के दौरान संसद भवन में स्थित रेलवे खान-पान यूनिट को हुई हानि का अनुमान 1,93,787.91 रु० है (अपरिशोधित)।

(ख) संसद भवन में स्थित खान-पान संस्थापनाओं के कार्य की जांच करने के लिए नियुक्त संसदीय समिति हानि के कारणों की जांच कर रहा है।

हड़ताल में शामिल होने वाले रेल कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों का पुनः अलाट किया जाना

3638. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत रेलवे हड़ताल के दौरान सरकारी क्वार्टरों से निकाल दिया गया था और जिन्हें रेल हड़ताल समाप्ति के उपरान्त ड्यूटी पर आने के बावजूद भी सरकारी क्वार्टर अभी तक नहीं दिए गए हैं और उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : केवल एक; उसके मामले में क्वार्टर देने प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कटक में रेल उपरीपुल

3639. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक में रेल उपरीपुल के निर्माण कार्य में क्या प्रगति है ; और

(ख) इस परियोजना के शीघ्र पूरा होने में क्या बाधाएं आ रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कुछ नहीं।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा कटक में उपरी/निचले सड़क पुल के लिए स्थान निर्धारण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Expenditure on Account of Grant of Dearness Allowance to Railway Employees

3640. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the expenditure to be incurred in the form of dearness allowance to railway employees during 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): An expenditure of about Rs. 110 crores is estimated for incurrence on this account during 1974-75 against sanctions issued so far.

Days fixed for Medical Examination of Candidates in Railway Hospital, Delhi-6

3641. **Shri B. S. Chowhan**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in the Northern Railway Hospital at Delhi, Tuesday, Friday and Saturday are the days fixed for medical examination of candidates of category A-3 and below ;

(b) whether such examinations are conducted on other days also and there are allegations that this is resulting in corruption; and

(c) if so, the reasons for conducting such medical examination on days other than those fixed for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): ı) Yes.

(b) Yes, but there are no allegations that this practice of doing examinations on addi-onal days is resulting in corruption.

(c) It is done to dispose of cases early and to avoid delays. When large number of andidates come, Wednesday being a day with spare capacity with doctors, cases for A-3 nd below are also entertained. Somethime due to rush of work cases fixed for Tuesday, 'riday and Saturday are also carried over to the next days and are examined after the day's egular work is over.

Radiographers working against Junior Scales (Northern Railway)

3642a. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Radiographers in the Northern Railway, Zone-wise at also their number in Junior and senior scales, separately;

(b) the number of Radiographers who have been working against junior scales for more than ten years; and

(c) the steps proposed to be taken to remove such stagnation?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a)

Division	Grade Rs.330-560(RS)	Grade Rs. 260—430(RS)
Delhi . . .	1	
Ferozepur	1	1
Allahabad .	2	..
Moradabad .	1	..
Jodhpur	1	..
Bikaner .	2	..
Lucknow .	2	..
Central Hospital	3	..

(b) One.

(c) There is no general stagnation in the cadre.

Quarters for persons working in Amritsar Divisional Railway Hospital (Northern Railway)

3643. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether most of the Railway medical pool quarters have been allotted to the persons who are out of medical pool and the medical staff is experiencing in convenience as a result thereof; and

(b) the time by which the persons working in the Amritsar Divisional Railway Hospital will be provided with quarters?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No. Only two quarters of the medical pool at Amritsar were allotted to employees outside the medical category by the Housing Committee because at the time the Housing Committee met, these quarters had not been accepted by those in the medical category to whom they were allotted. The Housing Committee has since decided to allot two newly built quarters in lieu to further claimants from the medical category according to their priority.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत नये औषध एककों की स्थापना

3644. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में नए औषध निर्माण एककों की स्थापना करने के प्रश्न पर निर्णय किया है ;

(ख) क्या इनमें से एक एकक मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों के उत्पादन के लिये आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता को कम करने के लिये प्रस्ताव

3645. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) वर्तमान में अशोधित तेल को उर्वरक के संभरण सामग्री के रूप में सीध प्रयोग नहीं किया जाता । लेकिन नेफ्था और ईन्धन तेल हैवी फ्रक्शन जैसे पैट्रोलियम उत्पादों को उर्वरक के उत्पादन करने से प्रयोग किया जाएगा या जा रहा है । ऐसे पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग पर निर्भरता को न्यूनतम करने तथा परिणामस्वरूप उर्वरक के सम्भरण सामग्री के बारे में अधिकतम आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु, तालचेर, रामागुण्डम और कोर्बा में कोयले के संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करने पर आधारित तीन बड़े संयंत्रों का कार्यान्वियन किया जा रहा है । उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उर्वरक संयंत्रों में अधिकतम लाभप्रद रुप से प्रयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उर्वरक उद्योग को विभिन्न पेट्रोलियमें उत्पादों के प्रयोग बचत करने के लिए भरसक प्रयत्न करने की सलाह दी गई है ।

सिद्दी के तेल के व्यापार को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव

3646. श्री के० मालन्ना : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या मिटटी के तेल के थोक तथा खुदरा व्यापार को अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टिकटों की चोर बाजारी रोकने के लिए एडवांस बुकिंग की व्यवस्था

3647. **श्री गजाधर मांझी :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के परामर्शदाताओं ने टिकटों की चोर बाजारी आदि जैसे कदाचारों को रोकने हेतु रेलवे के लिए "बिल्ट इन करेक्शन" से अग्रिम बुकिंग करने का एक नया तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान ने अन्य बातों के साथ साथ कुछ कदाचारों की समाप्ति के उद्देश्य से आरक्षण की एक नयी प्रणाली खोज निकाली है।

(ख) इस प्रणाली की प्रमुख बातें ये हैं :—

(i) आरक्षण रजिस्टर हटा दिये जायेंगे क्योंकि "नव-अभिकल्पित मांग कार्ड" ही अभिलेख चार्ट तैयार किए जाने, आदि के लिए मूल प्रलेख के रूप में काम आयेगा।

(ii) "मांग कार्ड" शायिकाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना पट्ट की तरह काम करेगा क्योंकि यह जनता के लिए उपलब्ध शेष स्थानों को इंगित करेगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे के अनारा स्टेशन के विश्रामालयों और प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा कब्जा

3648. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अनारा स्टेशन के पुरुष और महिला दोनों विश्रामालयों और प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों पर हड़ताल की समाप्ति के बाद भी जून के मध्य तक कब्जा किया हुआ था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : दक्षिण पूर्व रेलवे के अनारा स्टेशन पर विश्राम गृहों और पहले दर्जे के प्रतिक्षा कक्षों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा विश्राम गृहों और प्रतीक्षा कक्षों में रहने का प्रश्न नहीं उठता।

निष्ठावान रेल कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

3649. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत रेलवे हडताल में निष्ठावान बने रहने के आधार पर कितने रेल कर्मचारियों को रिहायशी क्वार्टरों का आबंटन किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे में निचली अदालतों द्वारा बर्खास्त किए गए और सजा दिए गए रेल कर्मचारी

3650. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे में ऐसे रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें इस दलील पर बर्खास्त कर दिया गया है कि उन्हें निचली अदालतों ने सजा दी थी ; और

(ख) इन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई रेलवे लाइनों पर आस्थगित लाभांश का भुगतान

3651. श्री मूलचंद डागा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को नई रेलवे लाइनों पर आस्थगित लाभांश के भुगतान के कारण वर्ष 1971-72 के अन्त तक आम राजस्व में 70.28 करोड़ रुपया देना था ;

(ख) रेलवे ने व्यय कम करने और इन रेलवे लाइनों पर और अधिक भाड़ा देने वाले यातायात को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

(ग) उसके परिणाम क्या निकले हैं ; और

(घ) रेलवे को इसके कारण आम राजस्व में अब कितना देना पडेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) लोक लेखा समिति ने भी जिसने इस मामले की जांच की है, इस बात पर जोर दिया है कि इन लाइनों को अधिकाधिक धन उपार्जक बनाने के लिये तमाम कोशिशें की जाएं। इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश रेलों को भेज दिये गये हैं। कुछ नई लाइनों पर यातायात बढ़ रहा है और वित्तीय स्थिति में अनुकूल प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किन्तु दूसरी लाइनें इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है और उन रेलवे लाइनों के जो अच्छी विकसित सड़कों के समानान्तर चलती हैं और समीप है पर ऊंचे दर वाले यातायात को प्रभावित करना कठिन है। सम्बन्धित रेलों से इस मामले में लगातार खोज-बीन की जा रही है।

(घ) 1972-73 वर्ष के दौरान 70.28 रुपये की राशि में से 2.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और 1973-74 के दौरान 1.88 करोड़ रुपये (अनन्तिम संख्या) भुगतान किये जाने की सम्भावना है। इस के पश्चात 65.30 करोड़ रुपये (संशोधित संख्या) बाकी रह जायगे। इसमें से 39.93 करोड़ रुपये की राशि उन नई लाइनों के लिए है जो 31-3-72 तक निर्धारित समय पर पूरी नहीं हुई।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

3652. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरकों के मूल्य में लगभग 80 प्रतिशत की भारी वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि करने के बारे में कृषि मंत्रालय ने विरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) तीन मुख्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, जिनपर इस समय सांविधिक नियंत्रण है, के मूल्यों में दिनांक 1-6-1974 से संशोधन किया गया है, जिसे निचे बताया गया है :—

(रुपये प्रति टनों में)

उर्वरक का नाम	संशोधन से पूर्व फुटकर मूल्य	1-6-74 से फुटकर मूल्य
यूरिया (46 प्रतिशत एन) .	1050	2000
अमोनिया सल्फेट (21 प्रतिशत एन) . .	600	935
निट्रेट (26 प्रतिशत एन)	645	1145

साबुन का उत्पादन

3653. श्री वयालार रवि : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साबुन का उत्पादन करने वाली विभिन्न कम्पनियों ने वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान कुल कितनी मात्रा में साबुन का उत्पादन किया था ;

(ख) प्रत्येक कम्पनियों की उत्पादन क्षमता की तुलना में वास्तविक उत्पादन कितना रहा ; और क्या यह सच है कि उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिये जानबूझकर साबुन का उत्पादन बहुत कम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शालीमार वर्क्स लिमिटेड, हावड़ा को अपने नियंत्रण में लेना

3654. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्थित शालीमार वर्क्स लिमिटेड, हावड़ा को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) उपक्रम को अपने हाथ में लेने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन, लखनऊ द्वारा ट्रैक रिकार्डिंग कार का डिजाइन तैयार करना

3655. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद स्थित सिग्नलिंग तथा टेली-कम्युनिकेटिंग वर्कशाप ने अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन, लखनऊ द्वारा तैयार किए गए डिजाइन पर इलैक्ट्रानि किस्म की एक ट्रैक रिकार्डिंग कार का निर्माण किया है ;

(ख) क्या पहले इस प्रकार के ट्रैक रिकार्डिंग कार का आयात किया जाता था ;

(ग) क्या सिकन्दराबाद के उक्त वर्कशाप में ऐसी कारों का निर्माण करने के लिये कोई क्षमता बनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इससे विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि यांत्रिक उपस्करों वाली एक ट्रैक रिकार्डिंग कार आयात की गई थी, किन्तु इलैक्ट्रानिक उपस्करों वाली कोई कार आयात नहीं की गई ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर ऐसी कारें बनाई जा सकती हैं ।

(घ) 15 लाख रुपये प्रति ट्रेक रिकार्डिंग कार ।

हड़ताल में भाग लेनेवाले कर्मचारियों को कड़ा दंड देना

3656. श्री समर गुह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने इस आशय का डी० ओ० नं० सी० 3399-3088, दिनांक 8 जुलाई, 1974 जारी किया था कि हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, की सेवा में व्यवधान किया जायेगा ;

(ख) क्या इसी डी० ओ० में इस आशय का नोट/अनुदेश दिया गया था कि उन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किया जाये जिन्होंने रेलवे हड़ताल के दौरान निष्क्रिय रूप से भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस परिषद् अथवा डी० ओ० के नोट के बारे में मुख्य बातें क्या हैं तथा अस्थायी कर्मचारियों को कड़ा दंड देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन भेदभावपूर्ण आदेशों को वापिस लेने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) इस सन्दर्भ में जारी किये गये किसी अर्द्ध सरकारी पत्र का पता नहीं चला है। तथापि मौजूदा नियमों के अन्तर्गत स्थायी अथवा अस्थायी रेल कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने पर उनकी सेवा भंग कर दी जाती है ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में हड़ताल का प्रभाव

3657. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे भारतीय रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले कुल माल के लगभग एक तिहाई माल की ढुलाई करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस माल यातायात का 50 प्रतिशत भाग इस्पात कारखानों को माल जाने तथा वहां माल आने तक सीमित है और यह रेलवे पूर्वी क्षेत्र की खनीज पट्टी के लिये ढुलाई का साधन है तथा चार प्रमुख पत्तनों कलकत्ता, विशाखापटनम, पारादीप तथा हल्दिया के लिये यह लाइन पाइपलाइन का कार्य भी करती है ;

(ग) क्या देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिये हड़ताली नेताओं ने इसी रेलवे पर अपने प्रयास केन्द्रीत किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलवे के रेल कर्मचारियों की कैसी प्रतिक्रिया रही ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के यातायात के रुख से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर होने वाले कुल माल यातायात का लगभग 40 प्रतिशत इस्पात संयंत्रों को जाने और वहां से आने वाला यातायात होता है। यह रेलवे पूर्वी क्षेत्र की खनीज पट्टी तथा कलकत्ता, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया की चार प्रमुख बन्दरगाहों की सेवा करती है।

(ग) और (घ) दक्षिण पूर्व रेलवे पर भी अन्य रेलों के समान ही निष्ठावान कर्मचारी अपने काम पर आते रहे और उनमें से लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल की पूरी अवधि के दौरान अपनी ड्यूटी पर जमे रहे। जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उनमें से अधिकतर कर्मचारी हड़ताल समाप्त होने से पहले ही अपने काम पर लौट आये थे ।

श्रमिकों का दुरुपयोग और रेलवे सामग्री के बेचे जाने की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल

3658. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **रेल** मंत्री श्रमिकों का दुरुपयोग और रेलवे सामग्री के बेचे जाने संबंधी शिकायत के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3777 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच-पड़ताल पूरी हो गई है और आरोप सिद्ध हो चुके है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी पाये गये कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस मामले में जांच-पड़ताल पुरी हो चुकी है। विशिष्ट रुप से लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये ।

(ख) और (ग) परन्तु प्रसंगवश जांच-पड़ताल के दौरान, यह पाया गया कि जिस वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध आरोप लगाया गया है उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समान यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किया कि उसके पूर्ववर्ती ने उसे भण्डार नहीं सौंपे तथा उसने सम्बन्धित मंडल चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य से भी अवगत नहीं कराया कि इस कारणवश उसके कर्मचारी बकाए रहे। सम्बन्धित वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध उसकी इस चूक के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

सहारनपुर में न्यून शुल्क के लिए जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारी

3659. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री लालरु से सहारनपुर तक (उत्तर रेलवे) बुक किये गये सामान टिकटों पर न्यून-शुल्क की वसूली के बारे में 7 मई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसके लिए जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों को चार्ज-शीट किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नही उटता ।

Pending Cases Under M.R.T.P Act

3660. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications for licences pending at present under M.R.T.P. Act indicating the time since when these have been pending together with the names of the parties whose appllicatoions are pending ;

(b) the time by which a decision would be taken thereon together with the reasons for the delay;

(c) whether Estimates Committee in thier 50th Report (5th Lok Sabha) have made a recommendation that new methods should be applied to pending cases with effect from November, 1973; and

(d) if so, whether those recommendations are being implemented in regard to those pending cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L.T.* 8303/74]

(b) In terms of Section 30 of the MRTP Act where the Central Government is of the opinion that no approval can be accorded under Section 21 or Section 22 unless a further inquiry has been held into the matter by the Commission, it shall refer the matter to the Commission within 60 days from the date of receipt of such notice, provided that where further particulars in connection with any such notice, application are called for by the Central Government, the said peroiod of 60 days shall be computed from the date on which such further particulars are furnished to the Government. Despite of all efforts to dispose of the applications as expeditiously as possible, delay to some extent becomes unavoidable because of the requirement of examination of the proposals with regard to the techno-economic aspects of such cases by D.G.T.D. and other connected authorities and the necessary consultations

with the sister Ministries as well as the requirement of a statutory hearing to be given to applicant companies under Section 29 of the MRTP Act before any final order is issued. In many cases, the companies enter into correspondence before making up their mind with regard to the conditions sought to be imposed for approving the proposal and also ask for adjournment of hearings. Efforts are being made to ensure that as far as possible applications are ordinarily disposed of within the prescrib time limit.

(c) Yes, Sir.

(d) The recommendations of the Estimates Committee are under consideration in the administrative Ministry, namely the Ministry of Industrial Development.

Inspection of High Courts

3661. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the judges of the Supreme Court and the High Courts are required to dispose of a particular number of cases in a month;

(b) whether the High Courts are inspected and if so, who inspects them and in what manner and how many times they are inspected in a year, the names of the Hight Courts which were inspected during 1973;

(c) whether the inpsection report is submitted to the Law Ministry: and

(d) the names of the Judges of the Supreme Court which inpsected the High Courts during 1973 indicating the names of High Courts inspected and the mistakes/lapses pointed out?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) Under the Constitution, there is no provision for inspection of High Courts by any authority.

(c) & (d) Do not arise.

Consumption of Petrol in Delhi

3662. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the consumption of petrol in Delhi in January, 1974 and the figures regarding successive decline in the consumption thereof in the following months, and

(b) the consumption of petrol in liters in Government vehicles in Delhi in January, 1974 and in June, 1974, separately and the economy made in the Government expenditure on petrol?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The collection of this information will involve too much time and labour which will not be commensurate with the results to be achieved.

रेलवे कर्मचारीयों की सेवा में व्यवधान मुत्तअली और मुकदमा के सम्बन्ध में दिवीजनवार स्थिती

3363. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों की नवीनतम रेलवे–वार स्थिति क्या है जिनके विरुद्ध गत अखिल भारतीय हड़ताल के सम्बन्ध सेवा में व्यवधान, मुअत्तली, मुकदमा आदि इस बीच वापिस

ले लिया गया है तथा समुचे देश में रेल-वार तथा पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजनवार उन रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके मामले अभी भी विचाराधीन है अथवा अस्वीकृत कर दिए गये हैं; और

(ख) हड़ताल के आरम्भ होने से पूर्व रेलवे कर्मचारियों की स्वीकार की गयी छह मांगों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) सूचना इकटठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) स्वीकार की गयी छः मांगे कार्यान्वियन की प्रक्रिया में हैं ।

रेल कर्मचारियों व्दारा एक और हड़ताल की योजना

3664. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारी फिर से हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों की कुछ बैठकों में आन्दोलन पुनः शुरु करने की धमकियां दी गयी हैं ।

(ख) भारत रक्षा नियमों की धारा 118 के अधीन भारतीय रेलों पर हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध अभी भी लगा हुआ है और आवश्यकता पड़ने पर स्थिति से निपटने के लिये समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

बम्बई और दिल्ली में ट्यूब रेलवे

3665. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में टयूब रेलवे पर कार्य चालू वर्ष के आरम्भ में होना है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इसी प्रकार की परियोजना पर अनुमानतः कब से कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) योजना आयोग ने बम्बई में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली की भूमि उपरियोजना का एक भाग 1974–75 में प्रारम्भ करने के लिये अनन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान की है जिसके लिये सम्बन्धित बजट में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी थी। योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप से इस परियोजना को स्वीकृति दिये जाने के बाद इसके निर्माण के लिये सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(ख) व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली सम्बन्धी तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन इस समय दिल्ली महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन के हाथ में है। सरकार द्वारा व्यावहारिकता अध्ययन रिपोर्टों और उनमें की गयी सिफारिशों पर विचार किये जाने के बाद ही विभिन्न योजनाओं को चरण बद्ध क्रियान्वित करने का समय मालूम हो जायेगा। आशा है कि 1974 की अन्तिम तिमाही से अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्टें एक-एक करके प्राप्त होने लगेंगी ।

रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन मुकदमें चलाना

3666. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के अलावा अन्य किसी अपराध का जिन रेल कर्मचारियों पर आरोप नहीं है, उनके विरुद्ध भारत रक्षा अधिनियम के अधीन अभियोजन की कार्यवाही न की जाये ;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को समुचित आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ग) इस वर्ष में कितने मामले अनिर्णित हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जिन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण न्यायालायों में मामले चलाये जा रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होगी ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

औषधियों के लिए कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि

3667. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्पीसिलिन एक्सटिक एसिड क्लोरोफार्म ग्लाईसिरिन और विटामिन बी-2 जैसे मुल्य कच्चे माल के मुल्यों में दिसम्बर, 1973 और अप्रैल, 1974 के बीच 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इसी अवधि में बेनजीन क्लोरोपेनीकोल, फोलिक एसिड, मेथानोल और फोनोहर लुटोन जैसे अन्य मुल कच्चे माल के मुल्यों में इसी अवधि में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का औषधी के मुल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जहां तक एम्पीसिलीन, विटामिन बी, फोलिक एसिड, ग्लीसरीन आई० पी० और फिनोबार्बिटोन का सम्बन्ध है सरकार औषध (मुल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अधीन इन प्रपूंज औषधों के मूल्यों का नियंत्रण और नियतन करती है और दिसम्बर, 1973 और अप्रैल, 1974 में इन औषधों के मल्यों में किसी प्रकार की वृधि न करने की आशा दी थी। एसेटिक एसिड, क्लोरोफार्म, बेंजीन और मैथनाल के मुल्यों को नियंत्रित नहीं किया जाता है। ये रसायन और दिसम्बर 1973 और अप्रैल, 1974 से प्रचलित मुल्य निम्न प्रकार दिए हैं :—

मद	दिसम्बर 1973 में जो मुल्य था	अप्रैल 1974 में जो मुल्य था
	रूपये/किलोग्राम	रूपये/किलोग्राम
एसेटिक एसिड . . .	3.01 से 3.98	4.40 से 6.75
क्लोरो फार्म	10.24	16.74
बेंजीन	1.22	1.811 से 3.175
मैथनाल	1.346 से 1.83	3.67 से 4.34

6—30 LSS(ND)/74

(ग) औषध और भेषजों के मूल्यों का नियंत्रण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा आवश्यक छान-बीन करने के पश्चात् ही मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी जाती है।

कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों में डाकेजनी के मामलों में वृद्धि

3668. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रो के आसपास रेलवे में डाकेजनी के मामलों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार रेल गाडियों में होने वाले अपराधों के लिये संक्षिप्त मुकद्दमें चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिसे वे सरकारी रेलवे पुलिस के माध्यम से पूरा करती हैं।

सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा उपनगरीय खण्ड के भेद्य भागों में रेल की पटरी पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां नियुक्त की गयी हैं। इस खण्ड पर रात में चलने वाली कुछ चुनी हुई सवारी गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस के अनुरक्षी चलते हैं। ऐसे अपराधों के लिये जिम्मेदार दल के सदस्यों पर नजर रखने के लिये रात की गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी भी सादी पोशाक में यात्रा करते हैं।

(ग) 1-1-1974 से 15-8-1974 तक की अवधि में पुलिस दवारा 71 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(घ) संविधान के अधीन, "कानून और व्यवस्था" राज्य का विषय है, इसलिए गाड़ियों में होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में तत्काल अदालती कार्रवाई करने के प्रश्न की जांच करना और उस पर निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है।

सरकारी परिवहन संगठनो को रियायती दर पर डीजल तथा पेट्रोल सप्लाई करने की योजना

3669. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन संगठनों की कुल मिलाकर डीजल तथा पेट्रोल की कुल खपत कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी परिवहन की लागत उचित हद तक कम करने के दृष्टि में रखते हुये समुचे देश में डीजल तथा पेट्रोल रियायती दर पर सप्लाई करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय तेल निगम अधिकतर राज्य परिवहन उपक्रमों को एच० एस० डी० की सप्लाई कर रहा है।

अन्य तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई न्यूनतम है। भारतीय तेल निगम द्वारा इन उपक्रमों को 1973–74 वर्ष के दौरान अस्थायी अनुमानित सप्लाई लगभग 618,000 एम० टी० एस० है।

राज्य परिवहन उपक्रम मुख्यतः अपनी गाड़ियों के लिये एच० एस० डी० का प्रयोग करती है। उनको पेट्रोल की सप्लाई बहुत थोड़ी मात्रा में की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में भारतीय तेल निगम के पेट्रोल पम्प

3670. श्री अनादि चरण दास : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1974 को पंजाब में भारतीय तेल निगम के कुल कितने पेट्रोल पम्प थे ; और

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान कितने पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिये मंजूरी दी गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 31 जुलाई 1974 तक की सूचना के अनुसार पंजाब में भारतीय तेल निगम के फुटकर पम्प 218 थे।

(ख) पंजाब में फुटकर पम्पों के लिये 1973–74 के दौरान जारी किए गए नियुक्ति पत्रों की कुल संख्या 39 थी जिनमें से वर्ष के दौरान 32 पम्पों ने कार्य करना आरंभ किया था।

रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

3671. श्री मधु दण्डवते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जुलाई, 1974 को लोकसभा में दिये गये अपने स्पष्ट वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, वह रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधिओं को वह बातचीत फिर से शुरु करने के लिये शीघ्र आमंत्रीत करेंगे, जो श्री जार्ज फर्नान्डीज और उनके साथियों की गिरफ्तारी से टूट गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत कब पूरी होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जैसा कि 30 जूलाई को सदन में स्पष्ट किया गया था, ए० आई० आर० एफ० तथा एन० एफ० आई० आर० से वार्ता की गयी थी। छः मुद्दो पर सहमति हो गयी थी और दो मुद्दों पर हम सहमत नहीं हो सके। इसलिए, उक्त वार्ता द्वारा शुरु करने का प्रश्न नही उठता। फिर भी, दोनों फेडरेशनों को जिन्हें वार्ता की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं, सदैव स्वागत है। वे विचार विमर्श के लिए विषय प्रस्थापित कर सकते हैं और उन पर यथास्थिति स्थायी वार्तातंत्र या संयुक्त परामर्श तंत्र के तत्वावधान में बिचार विमर्श किया जायेगा।

एस० एस० लाईट रेलवे को बड़ी लाईन में बदलना

3672. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिसम्बर, 1973 में अपने चुनाव अभियान के दौरान खेकड़ा, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) में कहा था कि एस० एस० लाईट रेलवे को बड़ी लाईन में बदला जायेगा तथा खेकड़ा कस्बा को दिल्ली से जोड़ा जायेगा;

(ख) इस परियोजना पर कब कार्य शुरु किया गया, इसमें कितना व्यय अन्तर्ग्रस्त है और अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पुरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) खेकरा स्टेशन भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे पर था । भूतपूर्व लाईट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में नयी बड़ी लाईन के निर्माण का अनुमोदन किया जा चुका है तथा अन्तिम स्थान सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है । इस परियोजना को अनुमानित लागत 17.42 करोड़ रुपय है । मिट्टी का काम फरवरी 1974 में शुरु किया गया था और अब तक 95300 घनमीटर का काम पूरा हो गया है । लेकिन, सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और रिपोर्ट की जाँच कर लेने के बाद किये जाने वाले सर्वेक्षण और स्टेशनों के स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(ग) आशा है कि यह परियोजना अप्रैल, 1978 तक पुरी हो जायगी ।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रेलवे सुविधाओं के बारे में सर्वेक्षण

3673. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे महानगरों में अथवा अन्य बड़े नगरों में रेलवे सुविधाओं की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिये कोई प्रौद्योगिकी आर्थिक सर्वेक्षण करने के आदेश दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण ने उस विकास कार्य की व्याख्या की है जो कि इन क्षेत्रों में न केवल यात्री यातायात की वर्तमान मांग को पूरा करने अपितु पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ने वाली मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के लिये किये जाने वाले द्रुत परिवहन प्रणाली के सर्वेक्षणों के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं :—

कलकत्ता :— दमदम और टालीगंज के बीच लगभग 17.5 कि० मी० लम्बी, उत्तर दक्षिण दिशा में, मुख्यत: एक भूगत योजना ।

बम्बई :—हारबर शाखा में सबंध्द परिवर्तनों सहित, फोर्ट मार्केट और गोरेगांव के बीच, लगभग 35.7 कि मी० लम्बी , उत्तर दक्षिण दिशा में, मुख्यत : सिरोपरि योजना ।

मद्रास, दिल्ली आदि :—कलकत्ता और बम्बई के साथ-साथ, मद्रास, दिल्ली आदि के लिए उन अन्य योजनाओं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, के मुख्य पहलुओं का पता, रिपोर्टों को अंतिम रुप दिय जाने तथा सरकारद्वारा उन पर विचार किये जाने के बाद चलेगा ।

अशोधित रुटिन का आयात करने के लिए एक विदेशी कम्पनी को अनुमति दिया जाना

3674. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रुटिन का निर्माण करने के लिये "रा रूटीन" का आयात करने के लिये एक विदेशी कम्पनी को अनुमति दी गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त कच्चा माल किस किमत पर आयात किया जा रहा है और शुद्ध रुटिन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में उक्त कच्चे माल की कीमत कितनी है ;

(ग) क्या परिष्कृत रुटिन रंगीन शुद्ध रुटिन ही होती है और रंग के अलावा यह सभी औषधी परिक्षणों पर खरी उतरती है;

(घ) क्या रुटिन की चिकित्सीय क्षमता सन्देहास्पद है और संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य तथा औषधि प्रशासन ने रुटिन के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये निर्माताओं को नोटिस जारी कर दिये है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो रुटिन के निर्माण के लिये कच्चे माल के परिहार्य आयात पर विदेशी मुद्रा के खर्च की बरबादी न होने देने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) मैसर्स ई मर्क (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, एक कम्पनी जिसमें 50% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है, को अशोधित रुटिन के आयात पर आधारित रुटिन के प्रतिवर्ष 4 मि० टन के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया है । तथापि पार्टी ने मूल स्तरों से रूटिन के उत्पादन करने की सम्भावनाओं का पता लगाना तथा इस सम्बन्ध में चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करना था । उन्होंने यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है ।

पार्टी के आयातों के आवेदन पत्रों में उल्लिखित क्रूड रुटिन का सी०आई०एफ०मूल्य लगभग 51.2 रुपये प्रति किलोग्राम निकाला गया है । शुद्ध रूटिन का सी० आई० एफ० मूल्य लगभग 123 रुपये प्रति किलोग्राम (1972–73 के आंकडे) हैं ।

(ग) इस संबंध में टिप्पणी का पता लगाया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) : रुटिन जो कि फ्लेबोनाइड का व्युत्पन्न है, का उपभोग रोग निरोधन अथवा अनेक प्रकार के विकारों ; जिसके अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण केशिका पारगम्यता और भंगुरता, जिसमें सामान्य एवं घटनाबस गर्भपात और पोस्टमार्टम, रक्तस्त्राव इत्यादि सम्मिलित हैं, के उपचार हेतु प्रयोग किया गया है । इसका प्रयोग शल्योपचारोंपरान्त रक्तस्त्राव के रोग निरोधन एवं जाड़ा बुखार के लिए भी व्यापक रूप में किया गया है ।

विदेशी फर्मों द्वारा निर्मित कुछ औषधियों की कीमतों में वृद्धि की अनुमति देना

3675. **श्री धामनकर :**

श्री वसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अनेक विदेशी फर्मों को विटामिनों, बी-कम्पलेक्स, एन्टी-बायोटिक फार्मूलेशनों और टामिन फार्मूलेशनों जैसी उत्पादों को, बिना इस बात की जांच किये कि इन कम्पनियों ने अपने शीघ्रता से बिक जानेवाली किसी औषधि का अत्यधिक मूल्य निर्धारित नहीं कर रखा है, 50 प्रतिशत या उस से भी अधिक किमत बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और जनवरी, 1974 से जिन उत्पादों की मूल्य-वृद्धि करने की अनुमति दी गई है उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि मामलों की तर्कसंगती और आवश्यकता के बारे में सरकार की संतुष्टी बिना मूल्य वृद्धि न की जाये?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) से (ग):— विटामिन-बी-काम्प्लेक्स, एन्टीबायोटिक्स सूत्रयोग तथा विटामिन सूत्रयोगों जैसे विदेशी फर्मों के उत्पादों के लिए 50 प्रतिशत तथा उनसे अधिक की कोई मूल्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है। सभी फर्मो चाहे वे भारतीय हो अथवा विदेशी उनको मूल्य वृद्धि की अनुमति लागत की जांच के बाद ही दी जाती है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु एककों के उत्पादों की बिक्री

3676. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों को भारत में उत्तम रसायन का निर्माण करने की अनुमति दी है और यह कंपनियां लघु एककों से सस्ते मूल्यों पर उत्तम रसायन खरीद कर और उन्हें फिर से पैक करके इन रसायन को बहुत ऊचे मूल्यों पर बेचती है ;

(ख) क्या मैसर्स हेक्स्ट फार्मास्युटिकल्स प्राइवट लिमिटेड ने एक लघु फर्म द्वारा बनाए गए एम-पिसिलीन को औषध (मूल्य) नियंत्रण अधिनियम 1970, विदेशी फर्मों के व्यापार संबंधी कार्य पर रोक और उत्पादन क्षमता पर डी० जी ० टी० डी० के रोक का उल्लघन करके बहुत ऊंचे लाभ पर वेचा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यापार को रोकने और लघु एककों को अपने उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य पर बेचना , सुविधा देना, सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कांगड़ा घाटी रेलवे के निर्माण कार्य के लिए सीमेंट की सप्लाई

3677. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे मार्ग को सीधा बनाने संबंधी निर्माण-कार्य के लिए सीमेंट कम मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है, और यदि हाँ, तो क्या इस कमी के कारण उक्त निर्माण कार्य की प्रगति धीमी पड़ गई है ;

(ख) सारी परियोजना के लिये अनुमानत: सीमेंट की कितनी मात्रा की जरुरत होगी और अब तक कुल कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया है :

(ग) क्या इस कमी को पूरा करने के लिए और रेल मार्ग को समय-सूची के अनुसार सीधा बनाने के कार्य को पूरा करने के लिये रेलवे ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) सारी परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित सीमेंट की अनुमानित मात्रा 26,000 मीटरिक टन है जिस में से 18,900 मीटरिक टन सीमेंट पहले ही सप्लाई की जा चुकी है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेड" में विदेशी निदेशकों की नियुक्ति को जारी रखने का निर्णय

3678. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेड' में विदेशी निदेशकों की नियुक्ति को जारी रखने के बारे में अपने पहले निर्णय को सरकार ने बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त निर्णय कब लिया गया और क्या कंपनी को जानकारी दे दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) और (ख) कम्पनी को सौंपे गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि से सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को वंचित संशोधित कर दिया है ताकि शीर्ष प्रबन्ध के परिवर्तन में कुछ क्रमिकता सुनिश्चित की जा सके। केवल श्री हाक-लार्सन को 1 अप्रैल 1974 से एक वर्ष के लिये प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है ।

(ग) उपरोक्त निर्णय मार्च 1974 के अन्त में किया गया था । कम्पनी द्वारा परवर्ती पारित किया गया इस विषय में संकल्प, सरकार के निर्णय के अनुसरण में है ।

लार्सेन एण्ड टोब्रो लि० के उप प्रबन्ध-निदेशक

3679. श्री पी० जी० मावलंकर: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लार्सेन एण्ड टोब्रो लि० को देश से बाहर भेजे गये दो उप प्रबन्ध-निदेशक, सरकार के निर्देश का उल्लंघन करते हुए सहयोगी और सम्बन्द्ध कम्पनियों के अभी भी निदेशक बने हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी निदेशों का पालन किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ):(क)तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

जी० आर० पी० कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

3680. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने जी० आर० पी० कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो विशेष रूप से वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने का क्या कारण है

(ख) रेल मंत्रालय ने जी० आर० पी० में जितने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जी० आर० पी० में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत उन के लिये आरक्षित कोटे से काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और उन उक्त प्रतिशत को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) संविधान के अंतर्गत सरकारी रेलवे पुलिस, जो राज्य पुलिस का अंग है, राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तगत कार्य करती है इसलिये सरकारी रेलवे पुलिस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के निर्धारित कोटे का भरा जाना सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकारी है ।

ब्रैंडी एण्ड कम्पनी

3681. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री 12 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रैंडी एण्ड कम्पनी के निदेशक बोर्ड सरकार के नामनिर्देशित व्यक्तियों ने कम्पनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिये और गैर-कानूनी बातों तथा अनियमितताओं का पता लगाने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये है और उनका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या मोरारका बन्धुओं ने सरकार के नामनिर्देशित व्यक्तियों को सहयोग दिया है ;

(ग) क्या कर्मचारियों की अनेक शिकायतें अब भी दूर नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ये शिकायतें क्या हैं जो अब तक दूर नहीं की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सूचना कत्र की जा रही है और एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

बम्बई के निकट गहरें समुद्र और तारापुर में सागर सम्राट द्वारा दें गयें कूंओं को क्षति

3682. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय के प्रकाशित समाचार देखे है कि बम्बई के निकट गहरे समुद्र और तारापुर में सागर सम्राट द्वारा खोदे गये कुओं को नुकसान पहुंचा है और वे अपेक्षित मात्रा में तेल नहीं दे सकते ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस समय सागर सम्राट का किस स्थान पर उपयोग किया जा रहा है और उस का क्या प्रभाव हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) तारापुर संरचना के 2,782 मीटर कि गहराई तक व्यधन करने के बाद, कप को व्यधन करते समय सामने आने वाली कठिनाइयाँ तथा व्यधन प्लेटफार्म की समग्र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कूप को अस्थायी रुप से छोड़ देना पड़ा । इस कूप के व्यधन करते समय तेल के कोई संकेत नहीं मिले थे इस लि इस कूप से अपेक्षित मात्रा न प्राप्त कर सकने का प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई हाई संरचना में व्यधन किए गए प्रथम कूप से तेल और गैस की प्राप्ति हुई थी। इस में से प्राप्त मुख्य पदार्थ के उत्पादन परीक्षण किये जाने पर इस कूप की इष्टतम तेल उत्पादन क्षमता अनिर्णायक पायी गई परीक्षण के दौरान संभवित गैस अन्तवहि/धारा के कारण तेल-गैस का ऊचा अनुपात पाया गया।

(ग) बम्बई हाई संरचना में प्रथम कूप के व्यधन एवं उत्पादन परीक्षण कार्य को पूरा कर लेने पर 8-5-74 को सागर सम्राट को एक सहायक टैंक फूटिंग की छोटी-मोटी मरम्मत करने हेतु बम्बई बन्दरगाह में ले जाया गया और तत्पश्चात अनुकूल मौसम के पुर्वानुमान मिलने पर सागर सम्राट ने अग्रिम व्यधन स्थल के लिए प्रस्थान किया लेकिन गत वर्ष के विरूद्ध उस समय बम्बई हाई क्षेत्र में मौसम के प्रतिकूल होने के कारण सागर सम्राट को 30 मई, 1974 को बम्बई बन्दरगाह पर लौटना पड़ा।

उस समय से बम्बई हाई क्षेत्र में मौसम प्रतिकूल बना हुआ है और कार्य स्थल पर जाने और व्यधन कार्य को पूनः आरंभ करना संभव नहीं हो सका है। यह आशा की जाती है कि सागर सम्राट सितम्बर, 1974 के मध्य तक बम्बई हाई संरचना में दूसरे कार्य स्थल के लिए प्रस्थान कर सकेगा।

कुकिंग गैस कन्टेनरों का देश के अन्दर ही निर्माण और उनका आयात

3683. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुकिंग गैस के कितने सिलिण्डर हर साल आयात किये जाते है और कितने सिलिण्डरों देश के अन्दर ही निर्माण होते है, और उक्त निर्माण किन स्थानों पर होता है; और

(ख) सम्पूर्ण मांग कि पूर्ति के लिये देश के अन्दर ही निर्माण करने के लिए क्या प्रयास किय गये है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) देश में एल पी जी सिलैण्डर निर्माण क्षमता इस समय तेल कम्पनियों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। अतः देश में एल पी जी सिलैण्डरों का आयात नहीं होता। परन्तु स्वदेशी इस्पात उपलब्धी मांग के मुकाबले कम है। 1973-74 में 5,000 मीटरी टन एल पी जी इस्पात के आयातको अनुमति दी गई थी और इस वर्ष भी इतनी मात्रा का आयात किया जा रहा है। तकनीकी कठनाईयों के कारण इस समय एल पी जी सिलैण्डर के लिये उपयुक्त इस्पात के स्वदेशी उत्पादन की सतह नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि यह "किल्ड क्वालिटी शीटों" में से बनाया जाता है। जिसकी उपलब्धि सामान्य रूप से कम है। ऐसे विषेश प्रकार के उत्पादन को साधारण इस्पात के उत्पादन को अननुपातिक रूप में अस्त व्यस्त किये बिना, बढाने के प्रश्न की इस्पात मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

साबुन बनाने में काम आनेवाली चर्बी और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु का आयात

3684. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और वर्ष 1975 में जून के अन्त तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चर्बी का आयात किया गया ; और

(ख) साबुन बनाने में चर्बी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए, क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ): (क) 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 जून के अन्त तक, के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित चर्बी की मात्रा जिसके

द्वारा आयात किया जाता है तथा 1972-73 एवं 1973-74 के वर्षों के लिए लगी तदनुरूपी विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

	मीटरी टन	रुपये करोड़ों में
1972-73 .	63,783	9.16
1973-74	72,703*	19.92
1974-75 जून तक . . .	21,156	..

(ख) सरकार साबुनों के उत्पादन के लिए धान कि भूसी का तेल तथा छोटे 2 बीजों के तेल जैसे साल, करंज, नीम और महुआ के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है जिसके लिए साबुन के उत्पादन में ऐसे तेलों के प्रयोग पर गत वर्ष से उत्पादन शुल्क की छूट दी गई है। सरकार ने कपड़े धोने के साबुन के एवजी में प्रयोग किये जाने वाले एक संश्लिष्ट प्रक्षालक के लिए क्षमता हेतु कई नई स्वीकृतियां भी दी है।

गुजरात राज्य में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कमी

3685. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 के जुलाई और अगस्त के महीनों में गुजरात राज्य में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की भारी कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कमी से कच्चे माल के लाने लेजाने में हुई कठिनाई के कारण औद्योगिक उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस राज्य के लिय निर्धारित कोटा सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) और (ख) गुजरात सहित देश के किसी भाग में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की कोई कमी नहीं है। तथापि जून, 1974 से राज्यों को मिट्टी के तेल के कोटे में 30% की कटौती की गई है। अत: राज्यों से मिट्टी के तेल की कमी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गुजरात सरकार ने भी जुलाई और अगस्त, 1974 महीनों के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन में वृद्धि करने को कहा था। अशोधित तेल तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों, जिनके मूल्यों में भिन्न बाजार में भारी वृद्धि हो गई है, के लिए विभिन्न विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के अन्तर्गत मांग की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कम की गई उत्पाद उपलब्धता के कारण कोटे में कटौती करने की आवश्यकता हुई।

(ग) टैक्सटाइल आदि जैसे कुछ उद्योगों में बहुत कम मात्रा के अतिरिक्त मिट्टी का तेल का प्रयोग प्राय: घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। ये मांगे राज्य को दिये गये कोटे के अन्तर्गत पूरे किये जाने है। राज्य के कोटा का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है

(घ) गुजरात को मिट्टी के तेल की सप्लाई आम तौर पर अधिक है। जुलाई और अगस्त के दौरान, गुजरात सरकार से प्राप्त आवेदन को मध्यनजर रखते हुए जुलाई और अगस्त में क्रमश: 1,557 एवं 3,200 मी० टन अतिरिक्त आबंटन किया गया था।

*इसमें ताड़ के तेल का 40,132 मीटरी टन शामिल है जिसको साबुन के उत्पादन हेतु योग किया जाता है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये मिट्टी के तेल के लाइसेंस

3686. श्री अम्बेश : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के तेल को बेचने के लिये अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों को हाल में लाइसेंस प्रदान किय गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) जी, हां। 1-1-1974 के बाद अब तक 6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रार्थीयों को मिट्टी के तेल/एल डी ओ की डीलरशिपों के लिए नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं।

बिहार में रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा

3687. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ व्यक्तियों ने लम्बी अवधि से कुछ रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ;

(ख) क्या बिहार के छपरा जिले में प्लाट सं० 15 से 24 पर भी अनधिकृत कब्जा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनधिकृत कब्जे के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) बिहार में ऐसे कुछ मामले है जिनमें रेलवे की भूमि लम्ब समय से अनधिकृत कब्जे में है। अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सार्वजनिक-परिसर (अनधिकृत कब्जा करने वालों की बेदखली) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किंतु छपरा जं० स्टेशन पर प्लाट नं० 15 से 24 पर अनधिकृत रूप से कब्जा नहीं किया गया है। ये प्लाट उचित ढंग से श्रीमती महारानी देवी और श्री अनूप राय को वर्ष 1974 के लिए लाइसेंस पर दिये गये हैं।

रेल हड़ताल के दौरान और उसके बाद आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन आसनसोल के राष्ट्रीय रेल संघर्ष समन्वय समिति के नेताओं की गिरफ्दारी

3688. श्री रोबिन सेन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल हड़ताल के दौरान और हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्वी रेलवे के आसनसोल के राष्ट्रीय रेल संघर्ष समन्वय समिति के सात नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी ; और

(ख) क्या उनकी रिहाई के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उक्त मामले पर विचार करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सरकार रेल कर्मचारी संघर्ष समन्वय समिति को मान्यता नहीं देती, और एक रेल कर्मचारी के रुप में उनकी गतिविधियों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है न कि उनके किसी विशेष वर्ग के नेता होने के नाते। विभिन्न अधिनियमों के अधीन गिरफ्तार होने की स्थिति में कानून अपना कार्य करता है।

आसनसोल डिवीजन में बर्खास्त किये गये स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारी

3689. श्री रोबिन सेन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत रेलवे हड़ताल के दौरान और उसके बाद पूर्वी रेलवे की आसनसोल डिवीजन में कितने स्थायी और नैमित्तिक कर्मचारियों को बर्खास्त को किया गया ; और

(ख) क्या उन्हें फिर से नौकरी पर बहाल करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) बर्खास्त किये गये अथवा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों तथा सेवामुक्त किये गये नैमित्तिक मजदूरों की संख्या इस प्रकार है :—

(i)	सेवा से बर्खास्त अथवा हटाये गये	252
(ii)	सेवा मुक्त किये गये नैमित्तिक मजदूर	216
(ख)	(i) क (i) से वापस लिये गये लोगों की संख्या . . .	23
	(ii) क (ii) से वापस लिये गये लोगों की संख्या . .	कुछ नहीं ।

थोक औषधियों की बिक्री के लिए औषध निर्माता फर्मों पर लगाई गई शर्तें

3690. श्री के० एस० चावडा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत में विदेशी औषध निर्माता फर्मों को दी गई सुविधाओं की तुलना में भारतीय संगठित क्षेत्र के अंतर्गत औषध उद्योग पर 2 करोड़ रुपये की थोक औषधियों की संयुक्त बिक्री के लिये लगाई गई अनिवार्य उत्पादन सम्बन्धी शर्तों की सरकार पुन: जांच करेगी ;

(ख) क्या सरकार ने गत 6 महीनों में इस शर्त से किसी को छूट दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में फर्मों के नाम क्या हैं तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों के नीति में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है । फरवरी, 1973 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुसार औषध एवं भेषज उद्योग को उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियां तथा बड़े घरानों से सम्बंधित कम्पनियां भाग लेने के योग्य हैं । औद्योगिकी पहलुओं, निर्यात सम्भावनाओं तथा भुगतान के शेष पर उनके समग्र रूप में प्रभाव के विशेष सन्दर्भ में विदेशी साम्य पूंजी के अवमिश्रण पर मार्गसूचक बातों के अनुसार ऐसे कम्पनियों से निवेश के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है ।

औषध एवं भेषज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है । भारतीय कम्पनियां, जिनके पास पर्याप्त रूप में बिक्री होती है, के प्रपुंज औषधों के उत्पादन में अपने प्रयत्न करने की आशा है । समय समय पर प्रभावी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत गुणों के आधार पर औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर विचार होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु औषध उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

3691. श्री के० एस० चावडा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु औषध उद्योग को, विशेष रूप से पूल से तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सप्लाई किये जाने वाले कच्चे माल की वर्तमान सप्लाई स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या लघु क्षेत्र को कच्चे माल की सप्लाई करने के लिये कोई निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) देश में औषध एवं भेषज यूनिटों के आयात के लिए उनकी हकदारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम तथा आई डी पी एल सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थों का विवरण करता है । हाल ही में पेट्रोलियम संकट के कारण न केवल विश्व बाजार में औषधों के मूल्यों में ही वृद्धि हुई अपितु उनमें से कुछ उत्पादों की उपलब्धता में भी कठिनता आने लगी । यहां तक कि 36 औषध एवं औषध मध्यवर्ती पदार्थों के भारतीय राज्य निगम द्वारा आयात तथा भारतीय राज्य निगम एवं आई डी पी एल द्वारा करने पर भी 1973–74 की हकदारी के अनुसार विटामिन बी6, टेट्रासाइक्लीन एस सी एल सल्फा गुनोडाइन तथा फेनोबारबिटोन को छोड़कर अनेक औषध उत्पादक एककों को पूर्ण मात्रा उपलब्ध की गई है । जहां तक 1974-75 की हकदारी का प्रश्न है कुछ औषधों के सम्बन्ध में पर्याप्त रीलीज किया गया है तथा जहां अन्य मामलों में कुछ सप्लाई प्राप्त एवं रीलीज की गई है वहां अन्य मामलों में फनोबारबिटोन एवं सल्फागुनीडाइन की सप्लाई की शीघ्र संभावना है जिससे शीघ्र ही कमियों को पूरा किया जा सके । यहां तक कि विटामिन बी 6 के सम्बन्ध में यद्यपि बहुत कुछ अन्तर रहता है, जिसे पूरा करने के लिए प्रयत्न जारी है, कुछ सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां । कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए निम्नलिखित मार्गसूचक बातों का अनुपालन होता है :—

(i) गत दो वर्षों की खपत तथा विकासहेतु 30% अधिक माल के आधार पर एक करोड़ रुपये तक बिक्री करने वाले एककों को सरणीबद्ध कच्चा माल दिया गया है ।

(ii) गत दो वर्षों की खपत तथा विकासहेतु 15% अधिक माल के आधार पर एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की बिक्री करने वाले एककों को सरणीबद्ध कच्चा माल दिया जाता है ।

फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के लिये मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्तर

3692. श्री डी० एन० सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्धारित किया है और उनके मंत्रालय ने किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को निर्धारित किया है ; और

(ख) इन दोनों के बीच क्या अन्तर है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) औद्योगिक यूनिटों की स्थापना करने की पद्धति एवं प्रक्रिया के अनुमोदन के साथ साथ एक विशेष उद्योग के वर्तमान स्तर एवं भविष्य की सम्भावनाओं के संबन्ध में सूचना देने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा "दि गाइडलाइन फार इन्डस्ट्रीज, 1974-75" प्रकाशन जारी किया गया है । पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा औषध उद्योग को जारी किये गये मार्गसूचक बातों का सम्बंध सूत्रयोगों के अन्तरिम मूल्यों में संशोधन करने से है तथा उसकी एक प्रति संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०8304/74]**

भारतीय औषध उद्योग की प्रगति के बारे में आई० डी० एम० ए० का सुझाव

3693. श्री डी० एन० सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध उद्योग की प्रगति के लिये आई०डी०एम०ए० ने क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ख) इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) भारतीय औषध निर्माता संघ ने जो सुझाव दिय है वह संलग्न विवरण-पत्र में बताए गए है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8305/74]**

विदेशी बहु-शेयरी कंपनियों तथा उनकी शाखायें तथा विदेशी कंपनियों की सहाय्यक कंपनियों, औषध एवं भेषज क्षेत्र में बहुत समय से कार्य कर रही है। अब औषधों का अधिकतर उत्पादन इन कंपनियों द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि सरकार की नीति भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की रही है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के शेयरों पर नियंत्रण रखने तथा इस उद्योग में भारतीय क्षेत्र को बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, व निम्न लिखित है :—

(i) निर्माण योजनाओं के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है ;

(ii) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से प्रमुंज औषधों का अधिकाधिक निर्माण ;

(iii) साधारणतया सूत्रयोगों के निर्माणहेतु विदेशी कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस तब तक नहीं दिय जाते जब तक कि व प्रमुंज औषधों के निर्माण से संबंद्ध न हो ;

(iv) उनसे प्रमुंज औषधों का निर्माण अधिक मूलभूत चरणों से करने तथा क्षमता विस्तार या नए कार्यकलापों की अनुमति देने से पहले उनके सामने अपने प्रमुंज औषधों के उत्पादन का एक उपयुक्त भाग देश के असंबद्ध सूत्रयोग धारियों को देने की शर्त रखी जाती है।

(v) क्षमता विस्तार या नए कार्यकलापों को हाथ में लेने की अनुमति देने से पहले, उन पर उपयुक्त निर्यात-प्रतिबन्ध की शत लगाई जाती है ;

(vi) निर्माण कार्य-कलापों में विस्तार करने की अनुमति देने से पहले, उन पर विदेशी शेयर पुंजी सहभागिता में उत्तरोत्तर कमी तथा भारतीय शेयर पूंजी में तदनुरूपी मात्रा में वृद्धि करने की शर्त लगाई जाती है। विदेशी कम्पनियों के कार्य-कलाप, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अंतर्गत भी आ जाते है।

(vii) उन उपक्रमों को जिनका वार्षिक विक्रय 50 लाख रुपये से अधिक का नहीं है औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 9, 10 और 13 के कतिपय उपबन्धों, जिनके अंतर्गत औषध सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण/संशोधनहेतु सरकार की पूर्वानुमति लेनी होती है, के नियंत्रण से छूट दी गई है ;

सरकार ने 8-2-1974 को जो जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग समिति की नियुक्ति की है। जिसका अन्य कार्य-कलापों के अतिरिक्त एक निम्नलिखित कार्य भी है :—

(iii) "औषध उद्योग, विशेष रूप से भारतीय तथा लघु उद्योग क्षेत्र में के शीघ्रगामी विकास करने के लिए सिफारिशें करना। अपनी सिफारिशें देते समय यह समिति उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखगी।"

गाइडलाइंज फार ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री

3694. श्री डी० एन० सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्ज मैन्युफैक्टरर्ज एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव "गाइडलाइंज फार ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 1973-74" के प्रकाशन में छपे थे ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन सुझावों को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रकाशित "उद्योगों के मार्गदर्शक सिद्धान्त 1973-74" प्रकाशन में लाइसेंस देने और सिद्धान्तों की गूंजाइश का स्पष्टीकरण है जो उचित निवेश के निर्णयों पर पहुंचने के वास्ते ठेकेदारों की सविधा के लिये प्रस्तावों के विचारों का नियंत्रण करेंगे और जिसमें किसी विशिष्ट संगठन के सुझावों को उसी रूप में नहीं दिया होता है।

रेलवे विभाग में नौकरी कर रहे स्वाधीनता सेनानियों को लाभ

3695. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता के बाद रेलवे सेवा में शामिल होने वाले स्वाधीनता सेनानियों को सरकार ने कोई लाभ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसे लाभ प्राप्त हुए ; और

(घ) अतिरिक्त लाभों की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता सेनानियों के कितने मामले रेल अधिकारियों के विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जिन्हें देश भक्ति सम्बन्धी गतिविधियों अथवा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण सेवा से हटाया/मुक्त/बर्खास्त किया गया था और जिन्हें रेलवे में फिर नौकरी पर लगा लिया गया था, प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर, वेतन छुट्टी, पेंशन, वरिष्ठता, पदोन्नति अथवा स्थायीकरण आदि निर्धारित करने में कुछ रियायतें दी गयी हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जाँच आयोग अधिनियम का संशोधन

3696. श्री समर गुह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार जांच आयोग अधिनियम में संशोधन करने की अनुज्ञा दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने जांच आयोग (पश्चिम बंगाल संशोधन) अध्यादेश, 1974 को उसे प्रस्थापित किए जाने के पूर्व, संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए भेजा था। राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उसका यह प्रस्ताव है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के विरुद्ध, उनके शासकीय कार्य के संबंध में, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की, यदि कोई हों, जांच करने के प्रयोजनार्थ जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग नियुक्त किया जाए। कोई व्यक्ती आयोग के समक्ष मिथ्या और तुच्छ अभिकथन न कर सके और ऐसा करने पर वह बिना दंड पाये न रहे—इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्थापना की गई थी कि शपथ-भंग के अपराध का संक्षिप्त रीति से विचारण करने और अपराधी को कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित करने की शक्तियां आयोग में निहित की दी जाएं। भारतीय दंड संहिता की कतिपय धाराओं के अधीन लोक सेवकों द्वारा किए गए कतिपय अपराधों का संक्षिप्त रीति से विचारण करने की शक्ति आयोग में निहित करने की भी प्रस्थापना की गई थी।

साबुनों की कीमतों में वृद्धि

3697. **श्री वनमाली बाबू :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान साबुनों की कीमतों में 100 प्रतिशत वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो साबुनों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) देश में आधे से अधिक साबुन का उत्पादन लघु क्षेत्र में होता है जिस पर कोई मूल्य नियन्त्रण नहीं है। कुछ बढ़िया नहाने के साबुनों को छोड कर संगठित क्षेत्र में उत्पादित साबुन पर अनौपचारिक मूल्य नियन्त्रण है जिसके अनुसार इण्डियन सोप्स एण्ड टाइलेट्रीज मेकर्स ऐसोशियशन मूल्य में किसी वृद्धि से पहले सरकार से परामर्श करते है ।

1973 में स्वदेशी तेलों तथा आयातित चर्बी पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण 20-7-73 से निम्नलिखित मूल्य वृद्धि को अनुमति दी गई थी :—

नहाने का साबुन (100 ग्राम टिकिया) . .	11 पैसे प्रति टिकिया
कारबोलिक साबुन (150 ग्राम टिकिया) . .	9 पैसे प्रति टिकिया
कपडे धोने का साबुन (150 ग्राम टिकिया) .	6 पैसे प्रति टिकिया
कपड धोने का साबुन . .	42 पैसे प्रति किलो

इसके बाद साबुन के मूल्यो में वृद्धि की कोई अनुमति नहीं दी गई है। परन्तु टाटा आयल कं० से ज्ञात हुआ है कि उन्होंने 7 जून 1974 से कपडे धोने के साबुन (270 ग्राम की आधी छड) का मूल्य रु० 1.20 से बढा कर रु० 1.50 किया गया है । तेल लागत में वृद्धि के कारण साबुन के मूल्यो में वृद्धि के लिये इन्डियन सोप एण्ड टाइलेट्रीज मेकरर्स असोशियशन से प्राप्त अभिवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। साबुन उद्योग को कच्चा माल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है ।

हड़ताल के दौरान निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को रोजगार

3698. **श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेलवे हडताल में भाग न लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों तथा आश्रितों को रोजगार देने का वचन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, रेलों पर होने वाले अनेक आंदोलनों और कार्य स्थगन की स्थितियों में रेल मंत्री ने संसद में पहले जो यह घोषणा की थी कि निष्ठावान कर्मचारियों की सेवा व्यर्थ नहीं जायेगी, उसके अनुसरण में फरवरी, 1974 में निर्णय लिया गया था कि निष्ठावान रेल कर्मकारियों के लड़कों के या लड़कियों को प्रारंभिक भर्ती पदक्रम में रिक्तियों के 20 प्रतिशत तक रोजगार दिया जाय ।

(ख) अब तक लगभग 3,000 ।

भूतपूर्व सैनिकों को गैस एजेन्सियों के नियतन में विलम्ब

3699. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को अनुमति देने में अनुचित विलम्ब के ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें सभी औपचारिकताओं को पूरा किए जाने तथा बहुत पूंजी लगाने पर भी गैस के सैलन्डर का नियतन नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया सम्बन्धी इस विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) ऐसा कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । भारतीय तेल निगम वितरण केन्द्रों को, जब कभी के गोदामों आदि के लिए मुख्य विस्फोट नियन्त्रक की स्वीकृति सहित सभी पहलुओं में तैयार हो जाएंगे, आरंभ करने के लिए प्रयत्न कर रहा है । निगम के अनुसार जब सभी औपचारिकतायें पूरी हो जाती है तो डीलरशिपों को आरंभ करने में कोई विलंब नहीं होता है ।

चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन

3700. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि चौथी योजना अवधि में 26 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों द्वारा कितनी थोक औषधियों का उत्पादन किया जाता है तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके द्वारा फर्मवार कितना उत्पादन किया जाएगा तथा उनका वार्षिक कुल उत्पादन क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : 50% से अधिक विदेशी साम्य शेयर वाली पार्टियों के नाम और प्रपुंज औषधों के नाम वाला विवरण पत्र संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी० 8306/74**] उक्त पार्टियां दिनांक 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनका निर्माण कार्य कर रही थी। 26 % से 50 % तक विदेशी साम्य शेयर रखने वाली कंपनियों और प्रपुंज औषधों की फर्मवार कुल विक्री के सम्बन्ध में तद्वत सचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

औषध निर्माता फर्मों ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से उल्लिखित किसी निर्माण करने वाले प्रस्तावों को नहीं रखा है। जारी किए औद्योगिक अनुमोदनों का विवरण "उद्योग लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक समाचार पत्र" म प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसदीय लाइब्रेरी में उपलब्ध हो जाते हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

3701. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डी० जी० टी० डी०, डी० जी० एच० एस० अथवा मंत्रिमंडल सचिवालय से परामर्ष किए बिना औद्योगिक लाइसेंसों की सिफारिश करने के लिए उनके मंत्रालय में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है । और यदि हो, तो उन मार्गदशी सिद्धान्तों की रूपरखा क्या है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : जी, नहीं ।

गुजरात और आसाम राज्यों में उत्पादित अशोधित तेल के स्वामित्व में वृद्धि की मांग

3702. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और आसाम राज्य सरकारों ने इन राज्यों के तेल क्षेत्रों से निकाल गए अशोधित तेल के स्वामित्व में वृद्धि किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) असम सरकार ने सुझाव दिया है कि रायल्टी की दर 30 रुपये प्रति मीटरी टन बढ़ायी जानी चाहिए। गुजरात सरकार ने पूर्ण दर्ज शुदा मूल्य से सम्बन्धित मूल्य वृद्धि के आधार पर रायल्टी दर के संशोधन का सुझाव दिया है । कोई अन्तिम निर्णय अब तक नही लिया गया है ।

परिवहन निगमों के लिये अंशदान सम्बन्धी रेलवे की योजना में कटौती

3703. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने परिवहन निगमों के लिए अंशदान सम्बन्धी रेलवे की योजना में 10 करोड रुपये की स्थान पर 3 करोड रुपये की राशि देकर भारी कटौती कर दी है, यदि हां, तो इस कटौती के लिए क्या कारण बताये गए हैं; और

(ख) इस कटौती पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और रेलवे ने राज्य परिवहन निगमों की मांग को पुरा करने के लिए क्या कदम उठाए है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) साधनों पर भारी दबाव होने के कारण 1974-75 में राज्य सडक परिवहन निगमों की 1764.46 लाख रुपयों की मांग क स्थान पर उन्हें 272 लाख रुपये अंशदान के रूप में आबंटित करना सम्भ हुआ है ।

(ख) राज्य सरकारें उनके द्वारा किये गये अंशदान के बराबर केन्द्रीय सरकार (रेलवे) के हिस्से के भुगतान के लिए जोर दे रही है परन्तु यह अंशदान धन की उपलब्धि के अनुपात के आधार पर किया जा रहा है ।

कोयले की कमी के कारण राजस्थान में बन्द की गयी तेज रफ्तार वाली गाड़ियां

3704. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण राजस्थान क्षेत्र में तेज रफ्तार वाली बहुत सी गाड़िया बन्द कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से अब कितनी गाड़िया पुनः चालू कर दी गयी है; और

(ग) सभी गाड़िया कब तक चालू कर दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जो तीन जोड़ी द्रुत गामी गाड़ियां (मेल और एक्सप्रेस) रद्द कर दी गयी थी वे फिर से चालू कर दी गयी हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

नं० और गाड़ी का विवरण	रद्द किये जाने की तारीख	फिर से चलाए जाने की तारीख
1. 5/6 आगरा फोर्ट अहमदाबाद एक्सप्रेस .	19–1–74	4/5–6–74
2. 97/98 जोधपुर–बाड़मेर एक्सप्रेस . .	19–11–73	14–6–74
3. 89/90 बीकानेर एक्सप्रेस . . .	23/22-1-74	20–6–74

(ग) जिन अन्य सवारी गाड़ियों की आवश्यकता है और जो अभी तक निलम्बित पड़ी हैं कोयले की स्थिति सुधारते ही धीरे-धीरे फिर से चालू कर दी जाएंगी।

मैसूर साउथ में रेलवे वर्कशाप की कन्टीन में कार्य कर रहे कर्मचारी

3705. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्कशाप, मैसूर साउथ, मैसूर से सम्बद्ध कैंटीन में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे है तथा उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये रिक्तपद आरक्षित थे तथा क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिये आवेदन मांगे गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कैन्टीन में 23 कर्मचारी काम कर रहे है । उनमें से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का एक भी कर्मचारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कैन्टीन एक कर्मचारी समिति द्वारा चलायी जाती है। रेलवे के भर्ती नियम लागू नहीं होते ।

रेलवे वर्कशाप, मसूर साउथ के कन्टीन कर्मचारियों के वेतनमान

3706. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्कशाप, मैसूर की कैंटीन के कर्मचारियों को सम्पूर्ण दक्षिण रेलवे में सबसे कम वेतन मिलता है ;

(ख) दक्षिण रेलवे में गोल्डन राक पैराम्बूर और पोडानूर में कन्टीनों के कर्मचारियों के वेतनमान की तुलना में उन कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं ;

(ग) वेतनमानों में यह अन्तर अब तक क्यों रहने दिया गया है; और

(घ) इस सम्बध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०8307/74]

(ग) और (घ) विभिन्न रेल कारखानों की कर्मचारी कैन्टीनें सामान्यत: सहकारी समितियों या कर्मचारी समितियो द्वारा चलायी जाती है, न कि विभागीय रूप से। इन कैन्टीनों के वेतनमान इन निकायों द्वारा निश्चित किये जाते हैं, क्योंकि वे ही वास्तविक नियोक्ता होते हैं। ऐसा करते समय इस विषय पर राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ऐसी कैन्टीनों के वेतनमानों में समानता बनाये रखना सम्भव नही है ।

कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के लिये आंन्ध्र प्रदेश सरकार का आवेदन-पत्र

3707. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अक्तूबर, 1973 में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्रीकाकुलम जिले में 850 लाख रुपये की पूंजी परिव्यय से प्रतिदिन 100 टन कास्टिक सोडा के उत्पादन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित किये जाने की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार के निर्णय की रूप रेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में कास्टिक सोडा उद्योग के विशेष महत्व को ध्यान में रखा है क्योंकि कास्टिक सोडा उत्पादन के लिये आंध्र प्रदेश में मूलभूत कच्चा माल उपलब्ध है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन की क्षमता के साथ कास्टिक सोडा के उत्पादन के सम्बन्ध में एक नये उपक्रम की स्थापना के लिए आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, हैदराबाद द्वारा पेश किये गये एक औषध आवेदन पत्र, जिसमें स्थल की सूचना नहीं है तथा निर्यात परिसम्पति पर 6 करोड रुपये का निवेश लगेगा, पर विचार हो रहा है ।

Difficulties faced by Railways due to coal shortage

3708. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether railways have been experiencing difficulties because of shortage of coal and all the trains are not operating normally; and

(b) it so, the quantity of coal consumed by the railways daily and the steps taken by Government to bring normalcy in the rail service?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) At present the daily average consumption of coal is about 39,500 tonnes. Close coordination is being maintained with the coal producing authorities to improve the supplies of steam coal to the Railways to enable running of normal services.

शा वलेस एण्ड कम्पनी

3709. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी के कुछ मैनेजिंग डायरेक्टरों को भारत के राष्ट्रपति से अधिक वेतन मिलता है;

(ख) क्या उदारतापूर्वक बोनस शेयर जारी किये जाने से इस कम्पनी के विदेशी व्यक्तियों के शेयरों के अंकित मूल्य में बहुत वृद्धि हुई है;

(ग) इस कम्पनी के धोखाधडी के कार्यों के सम्बद्ध में कम्पनी विधि बोर्ड के निष्कर्षों के अनुसार सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या इस कम्पनी के प्रबन्ध का भारतीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी का इस समय दो प्रबन्ध निदेशकों और एक पूर्वकालीक निदेशक नामक श्री ए० डब्ल्यू० बी० हवार्ड, श्री एस० पी० आचार्य और एम० के० कुमार द्वारा प्रबन्ध किया जा रहा है । श्री ए० डब्ल्यू बी० हैवार्ड को 10,000 रु० मासिक वतन के साथ कम्पनी क शुद्ध वार्षिक लाभों पर 5 प्रतिशत कमीशन जो प्रबन्ध और पूर्णकालिक निदेशकों को दिये जाने वाले उनके वेतनो के अनुपात में इस शर्त पर कि उनका पारिश्रमिक, वेतन और कमीशन के रुप में 1,75,000 रु० वार्षिक से अधिक न हो जाए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित संदर्शिक नियमों के अनुसार परिलब्धियों सहित दिया जा रहा है । श्री एस० पी० आचार्य और अन्य प्रबन्ध निदेशक को 7,000 रु० प्रतिमाह क साथ कम्पनी के शद्ध लाभ पर 1 प्रतिशत कमीशन जो संदर्शिक नियमो के अनुसार परिलब्धियों सहित 41,000 रु० वार्षिक अधिकतम के आधार पर दिया जा रहा है । श्री एम० के० कुमार पूर्णकालिक निदेशक को 7,000 रु० प्रतिमास और संदर्शिक नियमों के अनुसार परिलब्धियां दी जा रही है ।

(ख) 31-12-73 तक के तुलन पत्र के अनुसार मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड की साम्य शेयर पूंजी एक करोड है; जिसमें 25 लाख रुपये आरक्षको के पूंजीकरण के रुप में, जिस के लिए 16-11-1966 की पूंजी प्रेषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति दी गई थी । एक करोंड़ रुपये तक के आरक्षणों के पूंजीकरण हेतु वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग, पूंजी निवेश के नियंत्रक के कार्यालय में प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड ने 28-5-1973 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत 3 वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल में 2 निदेशकों को नियुक्ति करने का आदेश पारित किया है । इससे पूर्व सरकार ने अधिनियम की धारा 250(4) के अन्तर्गत 18-12-72 से तीन वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स शा वेलेस एण्ड कम्पनी लिमिटड में, आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, शा डर्बी एण्ड कम्पनी लिमिटेड शा स्काट एण्ड कम्पनी लिमिटेड और थाम्स राइस मिलिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों के हस्तांतरण निषिद्ध करते हुए 18-12-72 को भी एक आदेश पारित किया था। (2) सूचना आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को भेज दी गई है । (3) प्रादेशिक निदेशक को कम्पनी के साथ, कम्पनी अधिनियम के कतिपय उल्लंघनों को हाथ में लेने का अनुदेश दिया गया है ।

(घ) नहीं श्रीमान जी ।

नायलोन फिलामेंट धागा परियोजना

3710. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश उद्योग निगम की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें तिरुपति, जिला चित्तूर, जिसे पिछडा हुआ क्षेत्र अधिसूचित किया गया है, में नायलोन फिलामेंट धागा परियोजना की विस्तृत जानकारी मांगी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक आई० बी० और सी० जी० आवेदन पत्रों पर अनुकुल रुप से विचार किया है, जिससे परियोजना में आगे प्रगति हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहानवाज खाँ) : (क) केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ तिरुपति, चितोड़ जिला आंध्र प्रदेश में नायलोन फिलामेन्ट यार्न प्रोजेक्ट की स्थापना के संबंध मे नियम द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में बताया गया है ।

(ख) और (ग) देश में नायलोन यार्न के सम्पूर्ण विकास तथा नायलोन संयंत्रों के लिये विदेशी प्रौद्योगिकी की आयात करने की आवश्यकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की विभिन्न संबंधित तथ्यो को ध्यान में रखकर जांच हो रही है ।

इसको मध्दे नजर रखते हुए एफ० आई० बी० तथा सी० जी० आवेदन पत्रों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

देश में हबील तथा एम्सल संयंत्र की स्थापना

3711. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हबील तथा एम्सल संयत्र स्थापित करेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र कहां पर लगाया जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उक्त संयंत्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग) जी हां। यह काम चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जायेगा। संयंत्र की स्थापना में पांच वर्ष लगेंगे।

(ख) पहियां एवं धुरा संयंत्र कर्नाटक राज्य में यलाहंका में बनेगा । संयत्र की स्थापना पर लगभग 21 करोड रुपये की लागत का अनुमान है ।

फुट और माउथ "वैक्सीन" के उत्पादन का प्रस्ताव

3712. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनका फुट और माउथ वैक्सीन उत्पादन करने का प्रस्ताव हाल में स्वीकार कर लिया गया है और प्रत्येक मामले में उनकी क्षमता और मूल्य क्या हैं;

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन वस्तुओं की कितनी मांग होने का अनुमान तथा क्या इस मांग के संदर्भ मे विदेशी फर्मों को इनके उत्पादन की अनुमति दिये जाने का विचार है; और

(ग) क्या भारतीय फर्मों को इसकी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और यदि हां, तो विदेशी फर्मों को इस की अनुमति दिये जाने की क्या आवश्यकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) फर्मों के नाम जिन्हे दी गई क्षमता तथा मुल्य के साथ पद तथा मुख रोग टीका के निर्माण के लिए आशय पत्र दिये गये थे, नीचे दिए गये है ।

क्रम सं.	फर्म का नाम	अनुमोदीत क्षमता	अनुमोदीत मुल्य
1	होयस्ट फार्म	10 मिलियन खुराक	50 मिलियन रुपये
2	फाईजर लि०	4 मिलियन खुराक	20 मिलियन रुपये
3	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन	3.2 मिलियन चतुर्यूक्त खुराक	25.5 मिलियन रुपये

(ख) 15 मिलियन खुराक । किसी अन्य विदेशी कम्पनी द्वारा पद तथा मुख रोग की टीकाओं के निर्माण के लिए इस समय और कोई प्रस्ताव नही है ।

(ग) एकको के आवेदन पत्रों पर पद तथा मुख रोग की टीकाओं की पांचवी योजना में आवश्यकताओं को पूरा करने को ध्यान में रखकर विचार किया गया था । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर मे उल्लिखित 3 पार्टियों को दिए गए आशय पत्रों के बाद किसी भारतीय कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है ।

कुल औषधियों के उत्पादन के लिये मैसर्ज सैनडोज, मे० एण्ड बकर तथा सिनेमाइड को दिये गये लाइसेंस

3713. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज सैनडोज, मे० एण्ड बेकर तथा मैसर्ज सिनेमाइड को अनुमति पत्रों के अन्तर्गत कितनी स्वीकृत/कुल क्षमता मंजूरी की गई है और इन फर्मों को किन वस्तुओं के लिय औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं तथा प्रत्येक वस्तु के लिये 1952 में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिये किये गये आवेदन में तथा भारतीय फर्मों द्वारा बनायी जाने वाली ऐसी वस्तुओं की सूची में कितनी-कितनी क्षमता दी गई है; और

(ख) उक्त फर्मों को दिये गये अनुमति पत्रों पर आधारित वस्तुओं का वस्तुवार कुल उत्पादन कितना है और अनुमति पत्रों के आधार पर कच्चे माल, लाभांश तथा आस्तियां जुटाने के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी मुद्रा कम की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स सेंडोज (इण्डिया) लि०, मेसर्ज मे० एण्ड बेकर लि० तथा मैसर्स साइनामाइड (इण्डिया) लि० को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों, अनुमति पत्र/अनापति पत्रों के साथ मदों तथा स्वीकृत क्षमता के तौर संलग्न

विवरण पत्र में दिए गये है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8308/74) मैसर्स सेण्डोज (इण्डिया) लि०, बम्बई, औषध एवं भेषज के उत्पादन के लिए कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं रखत, मैसर्स मे० एण्ड बेकर तथा साइनामाइड (इण्डिया) लि० पंजीकरण प्रमाणपत्र उत्पादों के नाम, क्षमता तथा भारतीय फर्मों के नाम जो एक समान मदों का उत्पादान करते हों, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

पाचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल विक्री कच्चे माल का आयात अनुमति/अनापत्ती पत्रों में दिये गये मदों के सम्बन्ध में बाहर भेजे गये लाभांश और जों लाइसेंसों में उल्लिखित उत्पादन से भिन्न है के बारेमे बताना सम्भव नही है कारण की उत्पादन तथा प्रत्येक सूत्रयोंगों के अन्य ब्यौरे नही रख गये है चूंकी अनुमति/अनापत्ति पत्रों को अन्य शर्तो के साथ साथ इस कार्य के लिए कोई अतिरिक्त संयंत्र एवं मशिनरी की आवश्यकता नही होगी, पर दिया गया था । अनुमति/अनापत्ति पत्रों के कारण सूत्रयोंगों को तैयार करने के कारण ऐसे उदाहरण सरकार की जानकारी मे नही आए।

बुकिंग अवसरों की कमी के कारण केरल (मालाबार) के लकड़ी व्यापारियों की कठिनाइयां

3714. **श्री सी० के० चन्द्रपन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मालाबार वाणिज्य मण्डल द्वारा केरल में कालीकट, कल्लई, वैस्ट हिल और फेरोब रेलवे स्टेशनों से रेल द्वारा बाहकुला को माल बुक कराने के अवसरों के अभाव में लकड़ी व्यापारियों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयलें पर आधारित उर्वरक के कारखानों की स्थापना के लिये चुने गये स्थान

3715. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए किसी क्षेत्र के चुने जाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या एक निश्चित क्षमता के कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की लागत के बारे में अध्ययन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्य कच्चे माल पर आधारित कारखानों की तुलना में इन कारखानों की लागत कितनी न्यूनाधिक है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय अन्य बातों के साथ साथ कोयले के भण्डारों के निकट स्थल; कोयले खानों के विकास की सीमा, इन्फ्रास्ट्रक्चलर की उपलब्धता परिवहन सुविधाएं तथा उपभोक्ता केन्द्रों की निकटता सहित, कुछ बातों पर आधारित है।

(ख) कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र पर किये गये संभाव्य अध्ययनों से पता चला है कि संयंत्र में प्रतिदिन 900 मीटरी टन की क्षमता निवेश का उचित लाभ दे सकेगी।

(ग) इस समय पैट्रोलियम सम्भरण माल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के संदर्भ में, कोयले पर आधारित संयंत्र से उर्वरक उत्पादन की लागत तरल पैट्रोलियम संभरण माल पर आधारित संयंत्र के उत्पादन की लागत एक समान है।

C. B. I. Investigations against Officers of F. C. I.

3716. **Shri Shrikishan Modi** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the C.B.I. has investigated the cases against the officers of the Fertiliser Corporation of India;

(b) if so, whether 93 officers were found guilty and suspended in the aforesaid cases; and

(c) whether they will be prosecuted and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The informatiion is being collected and will be laid on the table of the House.

मैट्रानाइडेजोल के लिये मैसर्स में एण्ड बेकर को अनुमति पत्र जारी करना

3717. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री अनुमति पत्र जारी करने के प्रक्रिया समाप्त करने के बारे में 4 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1839 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या मैसर्स में एण्ड बेकर को 1969 में मैट्रानाइडेजोल अनुमति पत्र जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो 5 मार्च 1974 के प्रश्न के उत्तर में यह क्यों बताया गया है कि औषध निर्माण के लिये अनुमति पत्र 1965 के बाद जारी नहीं किये गये हैं; और

(ग) इसे सी० बी० ओ० लाइसेंस में कब परिवर्तित किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उद्योग मंत्रालय के दिनांक 27-10-66 के प्रैस नोट में यथा वर्णित उदारीकरण नीति के अनुसार मेसर्स मे० एण्ड बेकर को 1968 में प्रपुज मैट्रानिडजोल का उत्पादन शुरु करने की इजाजत दी गई थी ।

(ख) पत्र उस अवधि के दौरान लागू विविधीकरण नीति के संदर्भ में था और यह 1953 में लिय गये लाइसेंसिंग कमेटी के निर्णय के अनुसरण में जारी किया गया अनुज्ञा/अनापत्ति पत्र नहीं है ।

(ग) उन्हे 6 जुलाई, 1971 को एक सी० ओ० वी० लाइसेंस दिया गया था ।

"मेट्रोनाइडेजोल" के उत्पादन के लिये मैसर्स मे एण्ड बेकर को अपेक्षित कच्चे माल का मूल्य

3718. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रोनाइडजोल के लिये मैसर्स म० एण्ड बेकर द्वारा अपेक्षित मूल्य के कच्चे माल का आयात किया गया;

(ख) यदि थोक औषधि का ही आयात किया जाये तो उसका सी० आई० एफ० मूल्य क्या हो ;

(ग) इस मद के लिर्ये मेसर्स मे एण्ड बेकर की लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इसका उत्पादन क्या था ; और

(घ) क्या यह कंपनी इस का उत्पादन फार्मूलेशन के निर्माण के लिये प्रतिबन्धित उपभोग के लिये कर रही है और क्या यह इसका उत्पादन दिनांक 27 मई,1969 की आई० डी० आर० अधिसूचना के अन्तर्गत कर रही है, और यदि नहीं, तो इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : (क) मेट्रोनाइडे-जोल के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिये लागत–बीमा– भाड़े सहित 74.5 रुपये मूल्य के आयातित कच्चे माल की आवश्यकता होती है।

(ख) प्रति किलोग्राम मैट्रोनाइडाजोल का आयात मूल्य लागत–बीमा–भाड़े सहित (आयात आंकड़े 1972–73) 133.20 रुपये है।

(ग) मेट्रोनीडाजोल के लिये मैसर्स मे एण्ड बेकर की लाइसेंसयुक्त क्षमता प्रति वर्ष 602 किलोग्राम है। 1973 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान मेट्रोनाडाजोल का उत्पादन इस प्रकार था :—

1969	152 किलोग्राम
1970	602 किलोग्राम
1971	5941 किलोग्राम
1972	6922 किलोग्राम
1973	7645 किलोग्राम

(घ) पार्टी मेट्रोनीडाजोल के अपने उत्पादन को केप्टिव खपत के लिये और निर्यात के लिये प्रपुंज रुप में अथवा सूत्रयोगों के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय की दिनांक 27 मई, 1969 की अधिसूचना प्रपुंज औषधों के निर्माण के बारे में लागू नहीं होती।

उपर्युक्त कायवाही करने हेतु मैसर्स में एण्ड बेकर को शामिल करते हुए अधिक उत्पादन किये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

विदेशी तथा भारतीय औषध फर्मों के उत्पादन के बार में ग्रोवर समिति की सिफारिशे

3719. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रोवर समिति की, जिसने विदेशी तथा भारतीय फर्मों के औषध तथा भेषज उत्पादन का ब्यौरा जानने के लिये बम्बई और अन्य स्थानों का दौरा किया था, मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या समिति को उपलब्ध हुई विषम सामग्री तथा संदर्भ सामग्री को सदस्यों की जानकारी के लिए संसद् के ग्रंथालय में रखा जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सूत्रयोगी और तकनीकी विकास महा निदेशालय के प्रपुंज औषधों के संबंध में अनाधिकृत क्षमता तथा उनके आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिए सूचना एकत्र करने के लिए फरवरी, 1973 में अधिकारियों के एक दल, जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा इस मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, ने बम्बई का दौरा किया विभिन्न यूनिटों द्वारा प्राप्त सूचना का सरकार द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ग्रोवर कमेटी नामक कोई समिति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों के उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग समिति को प्राप्त आवेदन-पत्र

3720. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० आई० ए० और पी० एस० आई० ए० को औषधियों और फार्मास्युटिकल्स के निर्माण के लिए कितने औद्योगिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनका फर्म-वार तथा उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने आवेदन-पत्र लाइसेंसिंग समिति को भेजे गये और सम्बन्धित फर्मों को इस बारे में निर्णयों से अवगत कराया गया या नहीं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रशासनिक मंत्रालय विशेष रूप से भारतीय फर्मों के लिए अवरोध लगा रहा हैं जिससे हमारे देश में स्थित प्रतिष्ठित विदेशी फर्मों को लाभ पहुंच सके और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशी फर्मों के फार्मूल्येशन और उनके कीमत का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 1 जनवरी 1973 से 30 नवम्बर, 1973 के दौरान पी० एस० आई० ए० के अंतर्गत 100 आवेदन पत्र तथा 1 नवम्बर 1973 से 31 जुलाई 1974 की अवधि में एस० आई० ए० के अन्तर्गत 58 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1 जनवरी 1973 से 31 जुलाई, 1974 तक फर्मवार तथा उत्पाद वार लम्बित आवेदन पत्रों के ब्योरे सलग्न विवरण पत्र में दिये गये है **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8309/74)**

(ख) 1 जनवरी 1973 से 31 जुलाई 1974 के बीच प्राप्त 158 आवेदन पत्रों में से 133 आवेदन पत्र लाइसेंसिंग कमेटी को भेज दिये गये है तथा आवेदकों द्वारा 6 आवेदन पत्र वापिस ल लिए गये है । रद्द कर दिये गए। 83 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आवेदकों का निर्णय बता दिये गये है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि पंजीकरण प्रमाण पत्र में अलग-अलग सूत्रयोगों की कोई क्षमता की स्वीकृति नहीं दी गई हैं तथा अनुमति पत्र / अनापति पत्र में भी अलग-अलग सूत्रयोगों के सम्बन्ध में कोई क्षमता नही दी गई है अत: विदेशी फर्मों द्वारा सूत्रयोगों के उत्पाद-वार मूल्यों बताना संभव नहीं हैं । समस्त लाइसेंसों कृत/अनुमोदित क्षमता के अन्तर्गत सूत्रयोगो के उत्पादन के लिए भी कुछ औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये है ।

Maximum age limit for old age marriage

3721. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased t o state ;

(a) whether Government propose to lay down statutorily a maximum age limit of old age marriage for both males and females; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वर्ष 1973 में डिंडिगुल निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन का निरीक्षण करने के लिए तैनात किए गये संप्रक्षेक

3722. श्री विजय पाल सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 में डिंडिगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपनिर्वाचन के मतदान का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन आयोग ने काफी संख्या में संप्रेक्षक तैनात किये थे;

(ख) क्या सभी संप्रेक्षक एक ही क्षेत्र के थे;

(ग) कुल कितने सेप्रेक्षक भेजे गये और इतने अधिक संप्रेषक भेजने के क्या कारण थे;

(घ) इसके लिए तैनात किये गये सभी अधिकारियों के पदनामों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या उनमें से कुछ निर्बाचन होने के तत्काल बाद छुट्टी पर चले गये थे;

(च) क्या इस निर्बाचन के बाद या उससे पहले किसी अन्य उपनिर्वाचन का संप्रेषण और पर्यवेक्षण करने के लिए इतना बडा दल भेजा गया था; और

(छ) इन संप्रेक्षकों को डिंडिगुल भेजने पर निर्वाचन आयोग ने कुल कितना खर्च किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 20 मई, 1973 को तामिल नाडु में 23 डिंडिगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन में हुए मतदान का पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया गया था, जिनकी सहायता एक उपनिर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सचिवालय के अधिकारियों के दल द्वारा की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) दल में छह अधिकारी है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छह सभा खण्डों में से प्रत्येक के लिए एक था। उपनिर्वाचन में मतदान का पर्यवेक्षण करने के लिए निर्वाचन आयोग से कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों तथा संसद सदस्यों द्वारा अनुरोध किए गए थे, क्योंकि यह आशंका थी कि वहां पर्याप्त रूप से प्रपीडन और अभित्रास तथा बडी मात्रा में प्रति-रूपेण के मामले होंगे ।

(घ) एक सचिव 2 अवर सचिव और 3 अनुभाग अधिकारी ।

(ङ) उपनिर्वाचन समाप्त होने के पश्चात इन अधिकारियों में से दो ने कुछ दिनों के लिए आकस्मिक छुट्टी ली थी ।

(च) निर्वाचन आयोग ने इस अवसर के पूर्व और पूर्व पश्चात अन्य निर्वाचनों और उपनिर्वाचनों दोनों ही की बाबत मतदान का पर्यवेक्षण करने के लिए सप्रेक्षक भेजे थे । दलों के सदस्यों की संख्या प्रत्येक स्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर थी ।

(छ) यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के रूप में 3643 रु० ।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए रेलवे लाइनें

3723. **श्री वरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरम्भ किये गये पर्वतीय और पिछडे क्षेत्रो में रेलवे लाइनों का निर्माण करने की योजना के अन्तर्गत केरल भी आता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत केरलको शामिल करने के बारे में सरकार का विचार अपने निर्णय पर पुन: विचार करने का है; और

(ग) कितने किलोमीटर रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा तथा सरकार का इस सम्बन्ध में अनुमानत: कितना धन व्यय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केरल राज्य में अंशत: या पूर्णत: पड़ने वाले निम्नलिखित सर्वेक्षणों परियोजनाओं पर काम जारी है :—

(i) अलेप्पी के रास्ते कायमकुलम से एरणाकुलम तक बड़ी लाइन बनाने के लिए 1970 में जो यातायात सर्वेक्षण किया गया था उस से मालूम हुआ है कि 97.0 किलोमीटर लम्बी इस लाइन पर 10.0 करोड़ रुपये की लागत आय और यह लाइन बड़ी अलाभप्रद रहेगी। पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए पांच पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली प्रस्तावित नयी लाइनों की सूची में इस लाइन को भी शामिल कर लिया गया है बशर्ते कि योजना आयोग इस काम के लिए अतिरिक्त धन आवंटित कर दे ।

(ii) गुरुवरयूर के रास्ते कुतिपुरम से त्रिचुर तक एक रल सम्पर्क (56 किलोमीटर, के निर्माण के लिए हाल ही में एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है जिस पर 86.42 रुपये की लागत आयेगी। इस प्रस्ताव पर और आगे विचार करने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्टों के मिल जाने और उनक जांच करने लिये जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

(iii) एरणाकुलम से तिरुवन्तपुरम तक (220 किलोमीटर) मीटर लाइन को बडी लाइन में बदलने का काम भी जारी है और आशा है कि यह काम 1976 तक पूरा हो जायेगा । इस पर 13.60 करोड रुपये लागत आयेगी ।

(iv) नागर कोईल के रास्ते तिरुवनंतपुरम से तिरुनेलवेली तक एक बडी लाइन और साथ ही कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन (164 किलोमीटर), जो आंशिक रुप से केरल राज्य में पड़ती है, की मंजूरी दी जा चुकी है । इस पर 14.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी। यह काम जारी है और आशा है कि यह 1976–77 तक पूरा हो जायेगा ।

रक्षाविभाग तथा आयुध कारखानों को घटिया किस्म के तेल की सप्लाई

3724. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के 17 जून 1974 के अन्क में, नौसना तथा आयुध कारखानों सहित, हमार रक्षा विभाग का त्रुटिपूर्ण या घटिया किस्म के तेल की सप्लाई के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या विस्कासिटी सम्बन्धी विशेष विवरण में कमी करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी निश्चित कर दी गयी है और क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके राष्ट्रविरोधी कृत्यों को क्षम्य करने और इसमें अन्तर्ग्रस्त एक अधिकारी को तीन विभिन्न पदों पर नियुक्त करने क क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) देश में बेचे जाने वाले भट्टी के तेल की विस्कासिटी बढ़ाने के संबन्ध में किये गये प्रयत्न सर्वोपरि राष्ट्रीय हित में थे। तथापि, कुछ परिचालन संबंधी कठिनाइयो के कारण कुछ इक्के-दुक्के मामलों में नौसेना को उच्च विस्कासिटी युक्त तेल की सप्लाई अनजाने में हो गई थी और इस की पुनरावृत्ति न होने देने के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की गई थी। अन्य संबंधित मंत्रालयों ने इस बारे में न ही कोई संदेह व्यक्त किया है और न ही कोई संकेत दिया है कि इन प्रयत्नों में लगे व्यक्तियों में से किसी भी एक ने कोई राष्ट्रविरोधी कृत्य किया है । दूसरी ओर, पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध की अवधि के दौरान भारतीय तेल निगम के प्रयत्नों एवं कर्तव्य निष्ठा जिस के साथ इस के अधिकारियों तथा व्यक्तियों ने अग्रिम क्षेत्रों में अत्यावश्यक पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई लाइन बनाये रखी थी, की प्रतिरक्षा के प्राधिकारियों द्वारा सराहना की गई है। अतः इन प्रयत्नों में लगे अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोल्चा प्रोपरटीज लिमिटड

3725. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्चा प्रोपर्टीज लिमिटेड के समापक के अन्तर्गत आस्तियों से होने वाली आय में गत दो वर्षों के तुलना में निरन्तर वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) समापक के पास कुल कितनी धनराशि जमा हुई है; और

(ग) भुगतान किये जाने वाले देय धन का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मैसर्स हो चैस्ट, जोन वायथ और मे एण्ड बेकर को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस

3726. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स होचैस्ट, जोन वायथ और मे एण्ड बेकर को पूंजीगत कच्चे माल के आयात के लिये कितने औद्योगिक लाइसेस जारी किये गये;

(ख) गत तीन वर्षों में से इनमें से प्रत्येक फर्म के आयात लाइसेंस के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है और कितने आवेदन का अस्वीकार किये गये है; और

(ग) उनके अनधिकृत उत्पादन को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मैसर्स होचैस्ट, जान वीथ और मे तथा बेकर के उत्पादन सहित औषधों के अधिक उत्पादन के बारे में सारेप्रश्न की देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर जांच की जा रही है।

मैसर्स फिजर्स को दिये गये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

3727, **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फीजर ने अधिष्ठापित क्षमता के सम्बन्ध में दिये गये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है;

(ख) उन पहलुओं की मुख्य बातें क्या है जिनके आधार पर लाइसेंस समिति ने मैसर्स फिजर्स को दूसरी बार विस्तार की अनुमति दी, विस्तार की अनुमति किन शर्तों पर दी गई और फर्म ने उनका कहां तक पालन किया है; और

(ग) शर्तों को पूरा न करने के लिये इस फर्म के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1961, 1967–68 तथा 1968–69 के वर्षों को छोडकर मैसर्स फाइजर्स टैट्रासाइक्लीन का अपनी लाइसें सयुक्त क्षमता से अधिक उत्पादन करते रहे है। इसी प्रकार उन्होनें क्लोरोप्रोपेमाइड का अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन किया है।

(ख) और (ग) लाइसेंसिंग कमेटी ने मैसर्ज फाइजर्स के सयंत्र के द्वितीय विस्तार की स्वीकृति का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर किया है :–

(i) सयंत्र किसी भी अवस्था में प्रति वर्ष 14000 किलो ग्राम टैट्रासाइक्लीन से अधिक उत्पादन नहीं कर सकेगा;

(ii) 10 मीटरी टन टैट्रासाइक्लीन से अधिक के उत्पादन का निर्यात करना पडेगा जब तक कि सरकार पुर्वानुमति द्वारा इस के किसी भाग को देश में बेचने की इजाजत नहीं देती; प्रथम वर्ष में चार मीटरी टन का निर्यात आवश्यक रूप से किया जाय;

(iii) दूसरे वर्ष के बाद से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्यात की टैट्रासाइक्लीन की वास्तविक मात्रा का ध्यान न रखते हुए, टेट्रासाइक्लीन तथा भेषजों के अन्य-मदों के पांच वर्षों के अधिक की औसत के रूप में प्रतिवर्ष कुल 15 लाख रुपये का निर्यात आवश्यक रूप से होना चाहिए। 15 लाख रुपये का यह निर्यात, निर्यात के वर्तमान स्तर से ऊपर होना चाहिए।

(iv) 10 मीटरी टन टैट्रासाइक्लीन मूल्य में की प्रारंभिक क्षमता के 25 के निर्यात का दायित्व रहता है । तथापि, टैट्रासाइक्लीन तथा भेषजों की अन्य मदों के निर्यात किये जान में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि 2500 किलोग्राम टेट्रा-साइक्लीन का कुल मूल्य परिकलन घटक होता है ।

कम्पनी ने अपने निर्यात दायित्वों के बारे में अभी तक कोई बंध पत्र नहीं भरा है यद्यपि वे पिछले वर्षों के दौरान टैट्रासाइक्लीन की काफी मात्राओं का निर्यात करते रहे है । पार्टी के 1978 तक वैध एक निर्यात बंध पत्र जिसकी अवधि सरकार की इच्छा पर 5 वर्षों तक बढ़ायी जा सकती है, भरने के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकार लाइसेंसयुक्त क्षमताओ से अधिक उत्पादन किये जाने से संबंधित समस्त मामले की जांच कर रही है ।

कुछ औषधियों का उत्पादन करने के लिये सेन्डोज की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

3228. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्डोज के तरल पदार्थों के उत्पादन लिये कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है और सेन्टीविनी तथा अन्य वस्तुओं का पृथक पृथक वर्ष वार गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन क्या है;

(ख) देश में कितनी भारतीय फर्म इसी प्रकार की फार्मूल्येशन तैयार कर रही है तथा उनकेनामो उत्पादों तथा क्षमताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सेन्डोज के विरुद्ध अनधिकृत अधिक उत्पादन के लिये दण्डिक कार्यवाही आरंभ की है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) मैसर्स सैन्डोज तो (इण्डिया) लिमिटेड के गत तीन वर्षों के तरल एवं उत्पादन क्षमता के अनुमोदित ब्योरे निम्नलिखित हैं :–

(आंकडे लीटर में)

क्र० संख्या	श्रेणी	कुल अनुमोदित क्षमता	कुल उत्पादन		
			1971	1972	1973
1.	तरल (ओरल)	2,13,000	2,16,622	6,05,943	6,34,798

क्यों कि सेन्टीविजी को उनकी पूर्ण साइसेंसीकृत क्षमता के अंतर्ग्रस्त निर्माण हेतु लाइसेंसी कृत किया गया था, तरल (ओरल) संबंधी पृथक मदानुसार उत्पादन आंकडे उपलब्ध नहीं है ।

(ख) देश की संगठित एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में बहुत से भारतीय एकको द्वारा लगभग से टीविनो के समरप सूत्रयोगों का निर्माण किया जा रहा है । संगठित क्षेत्र में कुछ भारतीय एककों के पक्ष में अनुमोदित की गई क्षमताओं के उत्पाद सहित नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गए है । क्यों कि लघु उद्योग एककों को औद्योगिक विकास विनियमन धारा के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती, उनके उत्पादों क्षमताओं आदि में ब्योरे उपलब्ध नहीं है ।

(ग) मैसर्स सैन्डोज (इण्डिया) सहित, अत्यधिक उत्पादन करने के प्रश्नपर उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मद का नाम	वार्षिक स्वीकृत क्षमता
1	मै० हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स	विटाहेक्स्ट	2 लाख लीटर
2	मै० इन्डो फार्मा फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स (प्रा०) लि०	टोनिक इन्डोन	उत्पादन कार्यकरण के आधार पर दो वर्ष बाद क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।
3	मै० राप्टाकोस ब्रेट एण्ड कम्पनी लि०	(i) एलिक्जीर यूपेप्टाइन (ii) न्यूगेडाइन (एलिक्जीर और एस० जी०)	72,000 लीटर 3,45,600 लीटर
4	मै० साराभाई कैमिकल्स प्रा० लि०	फास्फोमिन	लागू नहीं होता।
5	मै० रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि०	रैनफैरन	लागू नहीं होता।
6	मै० रैलिस इण्डिया लि०	टी० सी० एफ० टेनोफोस लिक्विड	उत्पादन कार्यकरण के आधार पर दो वर्ष बाद क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली विदेशी औषध फर्मों को लाइसेंस जारी करना

3729. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) मंत्रालय द्वारा भेषज तथा औषध सम्बन्धी समिति के गठन के बाद सी० ओ० बी० सहित कितने नये लाइसेंस जारी किये गये अथवा कितने लाइसेंसों के जारी किये जाने के लिये सिफारिश की गई; और

(ख) उनमें से लाइसेंसिंग समिति ने कितने अस्वीकृत किये और कितने स्वीकार किये तथा जो स्वीकार किये गये उनका फर्म-वार, क्षमता-वार तथा ट्रेड-नाम-वार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) 8-2-1974 को औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति के गठन के पश्चात् 31-7-1974 को विभिन्न एककों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों में सम्मिलित उत्पादन मद तथा क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 8310/74]**

8-2-74 से 31-7-74 के बीच इंडस्ट्रियल अप्रूवल के सचिवालय को इस मंत्रालय द्वारा भेजे गये 87 मामलों में से 18 मामले सरकार द्वारा रद्द किये गये।

कुछ फर्मों द्वारा फार्मुलेशनों का निर्माण

3730. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री कुछ फर्मों द्वारा फार्मुलेशनों के निर्माण के बारे में 9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच फर्मों द्वारा कौन-कौन फार्मूलेशन बनाने के लिए क्षमता-वार, मद-वार और मूल्यवार आवेदन पत्र दिये तथा उनमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत हुए ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन लाइसेंसों की शर्तों में संशोधन करने का विचार है ताकि इनमें निर्यात सम्बन्धी शर्तों, विदेशी इक्विटी में कमी करने की तथा अन्य शर्तों का समावेश हो सके, क्योंकि वे मंत्रालय के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली मदें, आशय पत्र उत्पादन, मूल्य और निर्यात दायित्वों का विस्तृत विवरण और निर्दिष्ट पांच फर्मों के सम्बन्ध में लागू विदेशी इक्विटी के अवमिश्रण की शर्तें विवरण पत्र में दी है जो इसके साथ संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8311/74]**

विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के लागू होने से मैसर्स बेकम (इंडिया) लि० और मैसर्स एग्लो फ्रैंच ड्रग कंपनी (ईस्टर्न) लि० से अपेक्षा की जाती है कि 26% तक भारतीय पूंजी को साथ मिलाए। इस मंत्रालय में कंपनियों से अब भी इसके लिए प्रस्ताव आ रहे हैं।

मैसर्स सेंडोज को दिये गए औद्योगिक लाइसेंस

3731. श्री डी० एन० सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सेंडोज को पंजीकरण प्रमाण-पत्रों तथा अनुमति-पत्रों सहित कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं तथा उनके अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुएं और कितनी-कितनी क्षमता आती है ;

(ख) देश के कच्चे माल का उत्पादन किये बिना कितने मामलों में तकनीकी ज्ञान के लिये शुल्क अदा किया जाता है ; और

(ग) क्या यह शुल्क वर्षों तक बिना कोई ठोस परिणाम प्राप्त किये अदा किया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस शुल्क की वापसी के लिये कहेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) मैसर्स सन्डोज (इण्डिया) लि० को औषध और भेषज निर्माण के लिये कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया गया है। औद्योगिक लाइसेंस में अनुमोदित मदों तथा उनकी क्षमता का विवरण संलग्न पत्र में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8312/74]**

(ख) मैसर्स सेन्डोज इण्डिया लि० बम्बई द्वारा औषध और भेषज निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी फीस दिये जाने का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की कार्यवाहियों में विलम्ब करने के प्रयास

3732. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे सभी कम्पनियां, जिनके विरुद्ध एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अभियोग एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन है न्यायालय से रोक-देश प्राप्त करके आयोग की कार्यवाही में विलम्ब कराने का प्रयास कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ऐसी प्रक्रियाओं के विरुद्ध एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को अन्तरिम निषेधाज्ञा (इन्टेरिम इंजंक्शन) जारी करने की शक्ति प्रदान करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तीन कम्पनियों से अलग नामश: केडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन जिनके सम्बन्ध में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष कार्यवाही दिल्ली उच्च-न्यायालय द्वारा रोक दी गई थी, चार अन्य मामले नामश:

(1) (1) दि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता, और

(2) दि बंगाल पोटरीज लिमिटेड, कलकत्ता

के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37(4) के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा जांच प्रारम्भ की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई ।

(2) (1) दि इण्डियन टोबाको कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, और]

(2) दि पैट्रोल डीलर्स के विषय में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित धारा 10(क)(4) के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई जांच दिल्ली उच्च-न्यायालय द्वारा रोक दी गई है ।

ये मामले सम्बन्धित उच्च-न्यायालयों में लम्बित हैं ।

(ख) तथा (ग) सदन में 20 अगस्त, 1974 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर से दिखलाई देगा कि आयोग ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के मामले में अन्त: कालीन इंजेक्शन के प्रेषण करने की शक्ति का प्रयोग किया था । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कुछ उपबन्धों से सम्बन्धित प्रशासनिक पद्धति और मौखिक परिवर्तन, उन उपबन्धों में असंगति, जो प्रगट हो दूर करने और उन उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने विषयक कतिपय आशोधन विचाराधीन है ।

सयालदह डिवीजन के दक्षिण सेक्शन में अपराधों की संख्या में वृद्धि

3733. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनकी जानकारी में लाई गई हैं कि पूर्व रेलवे के सयालदह डिवीजन के दक्षिण सेक्शन में डकैती, लूट, चोरी तथा अन्य समाज विरोधी अपराध प्रतिदिन होते रहते ह ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यदि कोई उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । लेकिन जुलाई, 1974 के दौरान इस खण्ड में ऐसे अपराधों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) यात्रियों के जान-माल की रक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जिसे वह सरकारी रेलवे पुलिस के माध्यम से पूरा करती है ।

सरकारी रेलवे पुलिस ने बाघा यतीन और जादवपुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेल पथ पर सशस्त्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात की हैं। अपराधियों के लिए आकस्मिकता के तत्व को ध्यान में रखते हुए इस खण्ड की लगभग 50 प्रतिशत गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस के अनुरक्षी चलते हैं। ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पीछा करने के लिए रात के समय चलने वाली कुछ चुनी हुई गाड़ियों में सादा कपड़ों में सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी भी यात्रा करते हैं।

कुकिंग गैस एजेंसी का आवंटन

3734. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के राजकोट जिले में धुराजी के लिए कुकिंग गैस एजेंसियों हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) किन-किन व्यक्तियों अथवा फर्मों को एजेंसी आबंटित की गई है और किस आधार पर की गई ; और

(ग) कुकिंग गैस एजेंसी देने के लिए क्या सामान्य मानदंड अपनाए जाते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) ईंधन गैस की एजेंसियों सहित भारतीय तेल निगम की एजेंसियों देने में, रक्षा मंत्रालय, पुनर्वास महानिदेशालय से प्राप्त नामांकनों के आधार पर, इस समय, अपंगु रक्षा सैनिकों, युद्ध में मारे गये अथवा लापता सैनिकों के विधवाओं एवं आश्रितों को तरजीह दी जाती है। 1-1-1974 से भारतीय तेल निगम की 25% डीलरशिप आदि जिसमें पेट्रोल पम्प सम्मिलित हैं, का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए रखी जाती है।

जुलाई, 1972 में पोरबन्दर पर, धोराजी तथा उपलेटा सहित, बर्माशैल का एल० पी० जी० व्यापार भारतीय तेल निगम ने अपने हाथ में ले लिया था। सैनिकों की विधवाओं, अपंगु रक्षा सैनिकों आदि को इस एजेंसी को देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने तक धोराजी तथा उपलेटा की एजेंसियां भारतीय तेल निगम के जूनागढ़ में वर्तमान इंडेन गैस के वितरकों, अर्थात् मैसर्स जूनागढ़ को-आपरेटिव सोसाइटी, को अस्थाई आधार पर दी गई थी। पुनर्वास महानिदेशालय ने अब कैप्टन देशपाण्डे तथा मेजर पटेल को सम्मिलित रूप में धोराजी एवं उपलेटा में एल० पी० जी० की एजेंसियां देने हेतु नामांकित किया है। जैसे ही पुनर्वास महानिदेशालय के नामित व्यक्ति अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा कर देंगे, इस स्टेशन (स्थान) पर एल० पी० जी० के व्यापार को उन्हें सौंप दिया जायेगा। चुंकि पुनर्वास महानिदेशालय के सिफारिशों पर रक्षा सैनिकों में से वितरकों की नियुक्ति की जाती है, अतः एजेंसियां देने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे।

तेल शल के विदोहन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अणु विस्फोट के प्रयोग के बारें में किया गया अनुरोध

3735. श्री पी० गंगादेव :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल शेल के विदोहन में अणु विस्फोट के प्रयोग के बारे में अमरीका, सोवियत संघ तथा अन्य देशों से जानकारी एकत्रित कर रहा है ;

(ख) क्या अब तक कोई जानकारी प्राप्त की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(घ) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात में बेकार पड़े तेल के कुओं से तेल निकालने हेतु प्रयोग करने में अपना ज्ञान और संसाधन एकत्रित करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां । प्रकाशित साहित्य के माध्यम से मामले पर गौर किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अमेरीका और रूस में तेल तथा गैस भण्डारों से इन उत्पादों की प्राधि-प्राप्ति में तीव्रता लाने हेतु परीक्षणात्मक आधार पर आणुविक विस्फोट किये गए हैं । दोनों देशों से तेल तथा गैस के बाहर आने के बहाव की गति में तीव्रता आने के बारे में सूचना मिली है । अमेरिका से प्राप्त रिपोर्टों में यह सूचना मिली है कि यह प्रक्रिया अभी भी परीक्षणात्मक अवस्था में है तथा इसके बचतशील होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) क्योंकि गुजरात में कोई विघटित कूप नहीं है । इसलिए उनमें से तेल निकालने के संबंध में परीक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

चीनी उद्योग जांच आयोग के प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही संबंधी ज्ञापन को सभा के समक्ष रखने में सरकार की असफलता

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था किन्तु मंत्री महोदय ने बताया था कि 15 मई, 1973 को प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन अंतरिम प्रतिवेदन था तथा उसी कारण मेरा वह प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया । किन्तु स्थिति में परिवर्तन के कारण पुनः विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हर बार विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये । यदि सरकार ने कोई कानून या संवैधानिक दायित्व नहीं निभाया है तो उस पर अन्य प्रकार से चर्चा की जा सकती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल कृषि मंत्री ने चीनी उद्योग जांच आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सरकार को जांच आयोग के प्रतिवेदन के साथ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन भी प्रस्तुत करना चाहिये था किन्तु सरकार ने ऐसा न करके सभा की अवमानना की है । सरकार ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसे उक्त ज्ञापन की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से भी इसे ज्ञापन नहीं कहा जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस तथाकथित ज्ञापन के पृष्ठ तीन पर कहा गया है कि "बहुत अधिक खर्च तथा जटिल प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुये सरकार को इस मामले की ब्यौरेवार जांच के लिये तथा कोई निर्णय करने के लिये कुछ अधिक समय चाहिये ।" जहाँ तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, इस बारे में श्री सुब्रह्मण्यम ने प्रतिवेदन को 15 मई, 1973 को भी स्वीकार कर लिया था । सरकार को इस बारे में निर्णय करने के लिये अधिक समय चाहिये । इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है

[प्रो० मधु दण्डवते]

तथा माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने में जितना विलम्ब किया जाएगा उतना ही राष्ट्र का अहित होगा। उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा उद्योग सुविधा की स्थिति में रहेगा। सरकार के इस रवैये को केवल तकनीकी त्रुटि ही नहीं माना जाएगा। इससे राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अत: मेरा अनुरोध है कि इस बार आप इस बात की अवश्य घोषणा करें कि सरकार ने सभा की अवमानना की है। क्योंकि उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। श्री सुब्रह्मण्यम को उस समय सभा में उपस्थित होना चाहिये था जब उनका नाम पुकारा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्हें नोटिस नहीं मिला होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) **:** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषाधिकार का प्रश्न श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध उठाया गया है तथा श्री शिन्दे इसका उत्तर नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी सूचना दे दी जाएगी। मेरे विचार से उन्हें इसका उत्तर देना चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 1972–73 के लिये समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षित लेखे

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ गठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1972-73 तथा उसकी सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8294/74]

तमिलनाडु के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य के संबंध में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 21 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० आ० 463(ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8295/74]**

वर्ष 1972-73 के लिये इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमैस्युटिकल्स लि० नई दिल्ली, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली पाइराइट्स कोलकेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, देहरी-आन-सोन तथा फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर लि० एल्लूर की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फारमेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) (एक) इंजीनियर्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) (एक) पाइराइट्स फोसफेटस एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, देहरी-आन-सोन, जिला रोहतास (बिहार) के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पाइराट्स फोसफेटस एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, देहरी-आन-सोन जिला रोहतास (बिहार) का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, एलूर, उद्योग-मंडल (केरल) के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स केमीकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड, एलूर, उद्योग-मंडल (केरल) का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8296/74]**

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! श्री शाहनवाज खां ने मद संख्या 4 के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 से सम्बन्धित पत्र सभा-पटल पर रखे हैं । उन्होंने इस असाधारण विलम्ब के लिये कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना सच है । विलम्ब के कारणों के बारे में कोई जानकारी देनी चाहिये ।

श्री शाहनवाज खाँ : इसके लिये मुझे खेद है । मैं कारण बताने वाला विवरण प्रस्तुत कर दूंगा ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (चेयरमेन तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1974

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (चेयरमैन तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 371(ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8297/74]**

रेलवे रेड टैरिफ (पांचवा संशोधन) नियम 1974

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किये गये रेलवे रेड टैरिफ (पांचवा संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 602 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8298/74]

पश्चिम बंगाल में धरपकड़ अभियानों के बारे में 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 512 के उत्तर में दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति में हुये विलम्ब के कारण

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं पश्चिम बंगाल में धर-पकड़ अभियानों सम्बन्धी सिविल अधिकारियों के प्रतिवेदनों के बारे में 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 512 के उत्तर में उनके द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8299/74]**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने दिनांक 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 512 में यह पूछा था कि 29 जून, 1971 के पश्चात सिविल अधिकारियों ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये तथा सेना और पुलिस ने कितने धर-पकड़ अभियान चलाये । क्या इस जानकारी के लिये सरकार को इतना समय चाहिये था ? क्या सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये ही इन मामलों में असाधारण विलम्ब नहीं किया है ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : महोदय ! विलम्ब के कारण विवरण में दिये गये हैं । प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में आश्वासन दिया गया था किन्तु राज्य सरकार से समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। दिनांक 29 अगस्त, 1972 को अन्तरिम जानकारी मिली । राज्य सरकार को 23 सितम्बर, 1973 को पुनः पत्र लिखा गया । दिनांक 29 मार्च, 1974 को राज्य सरकार से कुछ जानकारी मिली जो पर्याप्त नहीं थी । किन्तु हमें जो भी जानकारी मिली उसी के आधार पर हमने 26 जुलाई, 1974 को आश्वासन पूरा कर दिया ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभों को विदेशों मे भेजे जाने के बारे में 31 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने में विलम्ब के कारण बतानेवाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : मैं विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभों को विदेशों में भेजे जाने के बारे में 31 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1244 के उत्तर में पैट्रोलियम तथा रसायन उपमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8300/74]**

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह विलम्ब इस लिये किया गया है कि इस विदेशी तेल कम्पनियों के बढ़ते हुये लाभ की जानकारी देने से कुछ असंतोषजनक तथ्यों का पता लगता था ?

श्री देवकांत बरुआ : यह विलम्ब हमारे कारण नहीं हुआ । हमें रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त करनी थी । हमें अन्त में अपने मंत्रालय से अपना एक अधिकारी भेजना पड़ा जो यह जानकारी लेकर आया ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
47 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 47 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
12 वां प्रतिवेदन

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : मैं विशेषाधिकार समिति का 12 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377
आपतकाल स्थिति सम्बन्धी उद्घोषणा को जारी रखा जाना

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं सभा का ध्यान दिनांक 3 दिसम्बर, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपतकाल सम्बन्धी उद्घोषण का, जिसे बाद में संसद ने अनुमोदित कर दिया था, सरकार द्वारा अवैध रूप से किये गए दुरुपयोग की ओर दिलाना चाहता हूं । इस उद्घोषणा का मूल कारण बाह्य आक्रमण था तथा इसमें आंतरीक अव्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था । यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ने प्रो० समर गुह के दिनांक 21 अगस्त, 1974 के प्रश्न के उत्तर में बताया कि पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सामान्यत: लाने तथा देश को आर्थिक स्थिति को देखते हुये आयी आपतकालीन स्थिति बनाये रखने के प्रश्न पर समीक्षा की जा रही है । सरकार आर्थिक संकट की आड़ में जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में मनमानी करने की चाल चल रही है । विदेशी सम्वाददाताओं के प्रश्नों के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों से भी यह स्पष्ट विदित होता है कि सरकार आपतकालीन स्थिति को बनाये रखना चाहती है यद्यपि जिस कारण से यह उद्घोषणा की गई थी वह कारण समाप्त हो गया है ।

आप को याद होगा कि पिछले वर्ष ही सरकार ने यह विचार व्यक्त किया था कि आपतकालीन स्थिति को देश के कुछ भागों में लागू किया जाये । इस सम्बन्ध में यह संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि (1) क्या संसद की अनुमति के बिना आपतकालीन स्थिति के क्षेत्र को सरकार स्वत: बढ़ा सकती है ? (2) क्या इसमें अतिरिक्त उद्देश्य सम्मिलित करने से अनुच्छेद 352(1) का उल्लंघन नहीं होता ? (3) युद्ध काल समाप्त होने का उद्घोषण किस प्रकार लागू रह सकती है ? (4) क्या वर्तमान उद्घोषण का उपयोग आर्थिक संकट के लिये हो सकता है ? (5) क्या आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिये इस संवैधानिक व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है ? (6) क्या आर्थिक संकट के लिये अनुच्छेद 361 के अन्तर्गत कदम नहीं उठाये जाने चाहिये ? सांविधिक संकल्प को इस प्रकार तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता जिस प्रकार सरकार ने किया है । मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सरकार एक वक्तव्य दे तथा इस मामले पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह मामला उठाने की अनुमति दी है । मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर चर्चा की अवश्य अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री सोमनाथ चतर्जी (बर्दवान) : कृपया आपतकालीन स्थिति जारी रखने के गहन महत्व को समझिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Please ask the Government to give a statement and allow a discussion on it.

Mr. Speaker : This matter has been raised under Rule 377.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपतकालीन स्थिति को जारी रखने की क्या आवश्यकता है ? सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चतर्जी (बर्दवान) : अन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद व्यक्ति को उस समय तक जेल में रखा जायेगा जब तक आपातकालीन स्थिति जारी रहेगी । इसी कारण तो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि इसका अर्थ तो बिना मुकदमा चलाये आजीवन कारावास होगा । इसका परिणाम यही होगा . . . (**व्यवधान**) वैयक्तिक स्वतंत्रता तो इस देश में अब बिलकुल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री को इसकी सूचना दे दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : A discussion should be allowed an emergency regarding which you have admitted my motion.

श्री एस० एम० बनर्जी : अब सत्रावधि 7 सितम्बर तक बढ़ा दी गयी है । इस पर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जाये ?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस सम्बन्ध में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । आपकी अनुमति से जब भी नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाया जाता है तो क्या उसके बाद इस सदन में उस बारे में चर्चा नहीं हो सकती । इस बारे में कुछ समाचार मिले है और सारा देश सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया जानना चाहता है ।

श्री समर गुह (कन्टाई): पिछले सत्र के दौरान की आपातकालीन स्थिति के बारे में यही प्रश्न उठाया गया था । पाकिस्तान की समस्या का उल्लेख किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : यह तब आ सकता है जब कोई चर्चा हो ।

श्री समर गुह : मुझे केवल एक वाक्य बोलने दीजिये । फिर मैं बैठ जाउंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप थोड़ी देर के लिये बैठेंगे, क्योंकि मैं खड़ा हूं ।

श्री समर गुह : मैं अनावश्यक बातें नहीं कहूंगा । आपकी अनुमति से ही बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने प्रो० गुह के प्रश्न का उत्तर दिया था । अब वह चुप क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब इस मामले को पेचीदा न बनायें । अपने अपने विचार प्रकट कर लिये है जिन्हे मंत्री महोदय प्रधान मंत्री तक पहुंचा देंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रस्ताव दिया जा चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा के पहले आप विधि अथवा गृह मंत्री को यहां उठाये गये महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर वक्तव्य देने के लिये कहें ।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा अतिरिक्त उपलब्धियों (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSIT) ORDINANCE AND ADDITIONAL EMOLUMENTS (COMPULSORY DEPOSITS) BILL.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मद संख्या 11 के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सूचना पहले ही दी जा चुकी है । मुझे इस बात का कोई पता नहीं कि क्या आपने इन कागजों को देखा भी है ?

अध्यक्ष महोदय : इससे दो बातें सम्बन्धित है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, प्रस्ताव "किसी ऐसे मामले पर नहीं होगा जो भारत के क्षेत्राधिकार में किसी न्यायालय में न्यायनिर्णय के लिए पड़ा हो ।"

इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है । जब तक उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय नहीं देता, जब तक इसे संविधान के प्रतिकूल या निष्फल घोषित नहीं किया जाता या यह नहीं कहा जाता कि उससे राज्यों के अधिकार का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते । यही नियम और परम्परा भी यही है कि न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

सरकार कह सकती है कि संसद सर्वोपरी है और हम उससे सहमत हैं । किंतु जब देश के सर्वोच्च न्यायाधिकरण, उच्चतम न्यायालय में यह मामला पड़ा है तो हमें इस विधेयक पर चर्चा नहीं करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विनिर्णय दिये गये हैं और उनकी घोषणा की जा चुकी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विधि-मंत्री को इस मामले पर प्रकाश डालना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चतर्जी (बर्दवान) : अनुच्छेद 123(2) के अन्तर्गत संसद को प्रस्ताव अथवा संकल्प द्वारा एक अध्यादेश को अस्वीकार करने की शक्ति दी गयी है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये श्री वाजपेयी का प्रस्ताव आया है । नियम 186 भी इस पर लागू होता है ।

श्री वाजपेयी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर नियम 186 के अधीन चर्चा नहीं की जा सकती । यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती तो विधेयक पर भी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह संवैधानिक उपबंध है और हम इस संबंध को निलम्बित नहीं कर सकते । अतः प्रस्ताव के गुण-दोषों पर चर्चा किए बिना हम विधेयक के गुणदोषों पर भी चर्चा नहीं कर सकते ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The complicated question before us is that it is the constitutional right of Shri Vajpayee to have a discussion and the verdict of the House on this motion. At the same time it cannot be discussed till the judgement of the court has been given. I want your ruling in this matter.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The matter has become more complicated with the issue of *rule misi* to Government has the Supreme Court. The House should take the action of the Supreme Court into consideration....

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अनेक विनिर्णय हैं, जिनके अनुसार न्यायनिर्णयाधीन मामलों संबंध नियम विधान के रास्ते में नहीं आ सकते । यदि न्यायनिर्णयाधीन मामलों सम्बन्धी नियम विधान पर लागू किया जाये तो इस मामले में न केवल विधानमंडल न्यायालयों के अधीन हो जायेंगे अपितु अधिनियम बनाना भी असम्भव हो जायेगा ।

बिना इस बात पर विचार किये कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है और न्यायालय ने सरकार को सापेक्ष नियम जारी कर दिए हैं, अध्यादेश का स्थान लेने वाले विधेयक पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है । यही नियम इस संकल्प पर भी लागू होता है, क्योंकि इसमें अध्यादेश का निरनुमोदन करने अर्थात् लागू विधान का निरसन करने का ही प्रस्ताव है । अत: हम इस संकल्प पर चर्चा कर सकते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I beg to move that :

"This House disapproves of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 8 of 1974) promulgated by the President on the 6th July 1974".

The Government has provided for complusory deposit of the increase in pay and dearness allowance of the Government employees, through this black ordinance.

At the time of promulgating this ordinance, it was said that urgent action was called for to check the vicious circle of increasing prices and dearness allowance. The Minister unwillingly admitted that there is increase in the prices first and the increase in dearness allowance always follows it. Now if this vicious circle is to be stopped, then, what is really needed is to check prices. But no attempt has bee n made in that direction.

There are three important things in regard to this issue : The first is that it is compulsory for its employees; secondly, it will be applicable to all categories of employees ; thirdly, the amount that will be deposited will not be returned immediately on the expiry of the period of deposit. It means that the employees will be deprived of their earned money for five years.

There are people who call this compulsory deposit as wage freeze. It is, in fact a wage cut. It is not being made applicable or future only. Although this ordinance was promulgated on 6th July, the employees are being deprived of their increase in dearness allowance falling due on 1st April. This is nothing short of day-light robbery. As a result, the employees are facing hardships and their family budget has been upset

According to the Government, a very serious situation has been created as a result of inflation. Along with this ordinance, an ordinance putting restrictions on the dividend of the companies was also promulgated. It is clear that the second ordinance regarding dividends do not reduce the income of the proprietors and officers. Companies have been asked not to distribute profits more than 33 per cent but the additional profits will remain with the companies. On the other hand, the hard earned money of the employees is being taken away by the Government.

We will have to go deep into the causes of price rise. The first cause is indiscriminate, increase in money supply. According to the Reserve bank, money supply is increasing at the rate of 15 or 16 per cent annually.

Second cause of price rise is deficit financing. To cover the deficit, over-drafts are made. In the first five year plan, over-draft worth Rs. 123 crores was made and the amount is increasing year by year. Heavy taxation has put the public in a precarious condition.

Third cause is increased in the unproductive expenditure by the Government. It has increased at the rate of 14 percent per year. The main cause of price rise is black money. Big industrialists have set up parallel economy. Wanchoo Commission has suggested demonetisation, but the recommendation has not been accepted. Government should take stern action to unearth black-money.

Production of essential commodities has also decreased. Industrialists are mainly producing luxury goods because production of such commodities is more profitable to them. Besides, indirect taxes have also contributed to price rise.

Full capacity is not being utilised in Private and Public sectors. Government has failed to check tax-evasion. Huge amounts have been written off.

Corruption is also one of the causes of price rise. Government is in hands and gloves with the big businessmen. This cannot be tolerated.

My submission is that if Government wants to check inflation, it should go into the root cause of economic problems. Sometimes it is said that price rise is a universal phenomenon. It may be correct but it is not justified to compare developing country with the developed countries. 60 percent of the people in India are living below the poverty line. How can we compare them with the people of developed country ?

Government pleads that by freezing dearness allowance, they would save 500 crores of rupees. But we should not forget that it will create difficulties for the employees who are already leading a hard life.

Ration is not available at fair price shops and if it is available, it is of sub-standard quality.

Value of rupee is decreasing day by day and now the value of a rupee has declined to 25 paise only.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Our Congress friends said that 11 percent interest would be given on compulsory deposits. But, by that time, inflation iwll increase by 27 percent. Inflation will further reduce the value of a rupee (*Interruptions*)

There is one thing which the Finance Minister seems to have overlooked. What would happen to those workers who have secured more pay or allowances by agreements signed before the promulgation of the ordinance ? Would they also be deprived of that amount and would it be justified ?

Ordinance deals only with the workers having time scales of pay. What would happen to those workers who do not have a time scale of pay ? If the Government wants the employees to make sacrifice why should the Ministers, Members of Parliament and Members of State Assemblies be left out ? Why should those people also not deposit 10 percent of their pay and emoluments ?

I demand that this Bill be withdrawn and the ordinance scrapped as it hits the workers. If, however, Government wants to pass it with their brute majority, they should at least exempt those employees who get Rs. 400 or less per month.

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ वर्गों के आय-कर दाताओं द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य निक्षेप के लिये तथा उसके सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिय और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order. This Bill cannot be taken into consideration. Statement of objects and reasons of the Bill says:

"The Bill seeks to replace the said ordinance with certain modifications which are mainly of a clarificatory or procedural nature".

But if we go through the text of the Bill, we will find that two explanations have been added. Basic changes have been incorperated in the ordinance. In this way, the hon. Minister has misled the House by not clarifying the exact situation. These changes will affect sone crore and eight lakh workers. Therefore, you will have to see whether changes are clarificatory or basic.

It is a usual practice that notes are appended to the Bill for clarification of clauses. But here they have not been appended. It has been done deliberately. I had submitted earlier that clause 17 of the Bill comes under subordinate legislation. But, at that time, Mr. Gokhale replied that it comes under conditional legislation. Even now they say that this is conditional egislation and this is not governed by the rule relating to memorandum of delegated legislation. I charge the Government with committing a fraud on the Constitution, on the parliament's power of legislation, on the subordinate legislation. Above all, section 10 of the bill encroaches upon the powers of the State Legislatures. When we are so conscious of the rights of this House, we should have due regard for the powers of the State Legislatures..

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री मधु लिमये ने खंड 10 के बारे में जो कहा है वह ठीक है। सदन द्वारा पारित किए सभी विधेयक अधिनियम बनने पर बेकार हो जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह सब बातें उस समय कह सकते हैं जब विधेयक पर विचार करने का समय आएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : सूची संख्या एक तथा तीन में परिवर्तन करने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है। परन्तु यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में संशोधन करना हो तो ऐसा अन्य विधायी उपबन्ध कर के ही किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या संसद एक संयुक्त सचिव उप सचिव अथवा अवर सचिव को यह अधिकार दे सकती है कि वह संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम की क्रियान्विति को रोक दे अथवा क्रियान्विति के स्वरूप में परिवर्तन कर ? क्या अधीनस्थ विधान से सदन द्वारा पारित अधिनियम में परिवर्तन करने की अनुमति सदन द्वारा दी जा सकती है ? क्या सत्तारुढ़ दल नियमों की क्रियान्विति को प्रभावित कर सकता

है ? विधेयक पर विचार करने से पूर्व इस बात पर विचार कर लिया जाना चाहिए। खंड 10 में कहा गया है कि चाहे राज्य कानून हो, नगर कानून हो अथवा केन्द्रीय कानून, वे अवर सचिव द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर ही लागू हो सकत हैं। यदि संसद इसकी अनुमति देती है तो इसका अर्थ हुआ कि वह अपने कर्तव्य निभाने में असफल रही है। कम्पनी अधिनियम में भी ऐसा ही एक उपबन्ध रखा गया था परन्तु आपत्ति किए जाने पर विधि मंत्री ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए वापिस ले लिया।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : आप कृपया इस पर विचार करें। यह स्पष्ट है की अधीनस्थ विधान से मजूरी अदायगी अधिनियम तथा अन्य ऐसे अधिनियम का उल्लंघन होगा। अतः आप इसके संवैधानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए इसी समय अपना विनिर्णय दे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मुख्य बात यह है कि कोई प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा नियम बनाने सम्बन्धी ऐसी बात है जो इस अवस्था में इस विधेयक पर विचार करने के मार्ग में बाधक है। जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी संवैधानिक बातों पर आपने विचार किया था। मुख्य बात यह है कि क्या विधि में कोई बात असंवैधानिक है जिस पर इस सभा में विचार किया जाये या नहीं, आपने विनिर्णय दिया था। हम सब नियम और योजनाएं नियमानुसार बनाते हैं और वे अन्ततोगत्वा सभा-पटल पर रख देते हैं और संसद उन योजनाओं में संशोधन कर सकती है। अतः इससे संसद की शक्ति कम होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक रूपभेदों का सम्बन्ध है, हम नियम 71 के अधीन इनके सहित या इन के बिना विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं। अतः रूपभेद करने की अनुमति है।

अनिवार्य जमाराशि के बारे में जो अध्यादेश जारी किया गया है उसके सार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। निश्चय ही कुछ रूपभेद किये गये हैं और ऐसा करने की अनुमति है।

Shri Madhu Limaiya : Why has he not appended explanatory notes ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुविधा की बात है। छोटे विधेयकों के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियां नहीं दी जाती। बड़े विधेयकों के साथ जो अपेक्षाकृत पेचीदा होते हैं, व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी जाती हैं। जहां तक खण्ड 17 का सम्बन्ध है, वह मूल अध्यादेश के खण्ड 14 का ही प्रतिरूप है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का विचार है कि इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस विधेयक के उपबन्ध मूल अध्यादेश के उपबन्धों से भिन्न है और, दूसरे, उद्देश्यों और कारणों का विवरण गुमराह करने वाला है। मंत्री महोदय का कहना है कि विधेयक में किये गये रूपभेद स्पष्टीकरण मात्र हैं। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि इस विधेयक में विधान के प्रत्यायोजन का मामला अन्तर्ग्रस्त है। परन्तु विधि मंत्री के विचार में यह बात नहीं है।

पहली बात यह है कि सरकार को अध्यादेश में रूपभेद करके विधेयक प्रस्तुत करने में कोई रूकावट नहीं है। नियम संख्या, 71 के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है। जहां तक रूपभेदों के व्याख्यात्मक अथवा सारयुक्त होने का सम्बन्ध है, यह एक राय की बात है, सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिये। प्रत्येक विधेयक के साथ व्याख्यात्मक टिप्पण नहीं जोड़े जाते। अतः आपत्ति का यह भी कोई आधार नहीं बनता। खण्ड 17 और 10 के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसको खण्डवार चर्चा के दौरान लिया जा सकता है। अध्यक्षपीठ का काम चर्चा रोकना नहीं, बल्कि चर्चा को सुविधाजनक बनाना है और इसलिये मेरा विनिर्णय यह है कि इस विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई विवाद नहीं है कि सरकार असाधारण किस्म की शक्ति प्राप्त करना चाहती है। इस विधेयक में वैधानिक शक्ति के प्रत्यायोजन का मामला अन्तर्ग्रस्त है। अतः नियमों के अनुसार इसके साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन लगाया जाना चाहिये। यह एक सामान्य बात नहीं है। वैधानिक शक्ति का प्रत्यायोजन एक असाधारण बात है। प्रत्यायोजित विधान के बारे में उचित ज्ञापन संलग्न किये बिना इस विधेयक पर आगे चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारे विचार में यह कोई असामान्य बात नहीं है। यह नियम बनाने की सामान्य शक्ति है जिसका प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। अतः यह सामान्य है।

Shri Madhu Limaye : Kindly refer to rule 69(2). It has been stated there in that clauses or provisions in Bills involving expenditure from the consolidated Fund of India shall be printed in thick type or in italics. I have got Hindi version of the Bill. The Finance Minister may kindly tell us that which clause has been printed in italics ? I want to know as to why Hindi has been degraded ? Kindly give your ruling on it.

उपाध्यक्ष महोदय : इसको मोटे टाइप में मुद्रित किया गया है। जहां तक श्री चटर्जी की आपत्ति का सम्बन्ध है, इस बात का निर्णय सभा कर सकती है कि क्या विधान का प्रत्यायोजन सामान्य है या अपवाद है। मंत्री महोदय का कहना है कि यह सामान्य है।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व पुरःस्थापित करने के लिये सभा की अनुमति मांगी गई थी और इन बातों पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी और उसके बाद ही सभा ने पुरःस्थापित करने की अनुमति दी थी। पुरःस्थापित किये जाने के बाद, नियम 74 के अधीन कार्यवाही की जाती है। अतः पुरःस्थापन के बाद सीधे विचार करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये। यह छानबीन पुरःस्थापन के समय की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तब हमने कुछ आपत्तियों और सभा की वैधानिक क्षमता पर विचार किया था और निर्णय लिया था परन्तु यदि विचारार्थ प्रस्ताव के समय किसी गम्भीर त्रुटि का पता चलता है, जैसे क्या विधान का प्रत्यायोजन सामान्य है या नहीं तो यह राय की बात है और सभा को इस बारे में निर्णय करना होगा। यदि किसी त्रुटि का पता चलता है तो वादविवाद को अथवा किसी खण्ड विशेष पर चर्चा को स्थगित किया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : क्या इस आशय का कोई विवरण प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यायोजित विधान के बारे में ये प्रस्ताव सामान्य किस्म के हैं जैसा कि नियम 70 के अंतर्गत अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस नियम का पालन किया है और बताया है कि यह सामान्य किस्म के हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रयोजन मजुरी पर रोक लगाना नहीं है। मजूरी पुनरिक्षण पर कोई प्रबंध नहीं लगाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से कुछ अस्थायी अवधि के लिये अतिरिक्त मजुरी और अतिरीक्त महंगाई भत्तों के भुगतान को रोकना है। अतिरिक्त मजूरी को अनिवार्य जमाराशि के माध्यम से एक वर्ष के लिए बिल्कुल रोक देने और इसी प्रकार अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आधी राशि के भुगतान को दो वर्षों के लिए रोक देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना से कर्मचारियों की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं होगी। हम जानते है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को कुछ कठिनाई होंगी। फिर भी, हमने इस कठिनाई को ध्यान में रख कर उस राशि पर बैंक से 2½ प्रतिशत अधिक ब्याज देने का निर्णय किया है। अतिरिक्त उपलब्धियों

की अस्थायी रोक से निर्धारित आय वाले वर्ग की मांग का दबाव कम हो जायेगा। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मजूरी में वृद्धि मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। केवल इस एक ही उपाय से मुद्रास्फीति नहीं रुकेगी परन्तु इस दिशा में यह एक कदम है। इस अवसर पर मैं ने विधेयक में कुछ रूपभेद किये हैं जो स्पष्टकारी अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी है। 'अतिरिक्त महंगाई भत्ते' और 'अतिरिक्त मजूरी' की परिभाषा को व्यापक बना दिया गया है ताकि विभिन्न स्थितियों का मुकाबला किया जा सके। हमने केवल 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते और दी जाने वाली अतिरिक्त मजूरी के भुगतान को रोका है। यह रोक वेतन भोगियों के केवल एक वर्ग पर ही नहीं लगायी गयी है। इसे अन्य वर्गों, जैसे लाभांश भोगियों तथा अन्य लोगों पर भी लगाया गया है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिये ठोस उपायों पर भी हम विचार कर रहे हैं। हम इस व्यवस्था पर कुछ समय तक नजर रखेंगे और देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब मामलों में समय तो लगेगा ही। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप का और तत्सम्बन्धी स्कीम बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बनर्जी ने आज प्रातः दस बजे एक प्रस्ताव की सूचना दी थी कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें और फिर मैं उसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 38	**विपक्ष में 117**
Ayes	**Noes**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर विचार करेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विधेयक इस देश में कठिनाइयों का सामना करने वाले श्रमजीवी वर्ग पर प्रत्याक्रमण के सिवाय कुछ नहीं है। यह बहुत ही घातक व्यवस्था है। इस विधेयक से मुद्रास्फीति को रोकने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा परन्तु इससे इस देश के 180 लाख श्रमजीवियों को भुखमरी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। हमारे विचार में यह असंवैधानिक विधेयक है। हम इस सभा की इस विधेयक पर चर्चा करने की क्षमता के बारे में विधि मंत्री के मत से सहमत नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विषय पर एक लेख याचिका स्वीकार कर ली है। अतः सरकार को उस समय तक के लिये इस विधेयक पर चर्चा

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

स्थगित कर देनी चाहिये थी जब तक सर्वोच्च न्यायालय उक्त याचिका पर अपना निर्णय नहीं दे देता । वित्त मंत्री चाहे कुछ भी कहें परन्तु यह मज़ूरी पर रोक लगाने की ही व्यवस्था है । फिर सरकार ने संसदीय सत्र के प्रारम्भ से केवल 16 दिन पहले यह अध्यादेश जारी किया, जिससे स्पष्ट है कि इस सरकार को इस देश में संसद की सर्वोच्चता और वैधानिक प्रक्रियाओं की कोई परवाह नहीं है ।

सरकार ने भारी बहुमत प्राप्त करने के बाद संसद की शिष्ठता और गरिमा के सब सिद्धान्तों को त्याग दिया है और वह वित्तीय सम्बन्धी मामलों पर भी अध्यादेश जारी करने से नही चूकती । संसद का सत्र आरम्भ होने से केवल एक पखवाड़ा पूर्व ऐसे अध्यादेश के जारी किये जाने की भारी निन्दा की जानी चाहिये जिससे देश की सामान्य जनता का बहुत बड़ा प्राभव हुआ है (**व्यवधान**)

अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण देश की सामान्य जनता की आय अस्थिर हो गई है । मूल्यों में वृद्धि के कारण रुपये का मूल्य बहुत कम हो गया है ।

श्रमिक वर्ग, जनसाधारण और मध्यम वर्ग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है ।

सरकार द्वारा ऐसे उपाय किये जाने के कारण देश में श्रमिक वर्ग में एकता में वृद्धि हो रही है । जनता की आवाज का हमेशा के लिये दमन नहीं किया जा सकता ।

मुद्रास्फीति और मूल्यों में वृद्धि के कारण महंगाई भत्ते से होने वाली वास्तविक आय घट गई है । लेकिन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के नाम पर सरकार ने मंहेगाई भत्ते में कटौती करना उचित समझा है । उक्त भत्ते से देश में मंहगाई में हुई वृद्धि से राहत मिलती थी ।

देश में जनसाधारण की संख्या 180 लाख हैं उनमें से 60 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 500 रुपये से कम है । उनसे त्याग करने के लिये कहा जा रहा है । उनकी स्थिति पहले ही दयनीय है और उन्हें दो समय का भोजन मुश्किल से मिल पाता है ।

वे अपने बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं ।

मुद्रास्फीति के लिये श्रमिक वर्ग जिम्मेवार नहीं है । मुद्रास्फीति का मुख्य कारण सरकार की वर्तमान पूंजीवादी जनता विरोधी आर्थिक नीतियां हैं । मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के बहाने कर्मचारियों की वास्तविक आय कम की जा रही है । नीति सम्बन्धी निर्णयों के बहाने इस प्रकार के तदर्थ उपाय किये जा रहे हैं जिनसे मुद्रास्फीति की समस्या किसी तरह से हल नहीं होगी । योजना परिव्यय में 400 करोड़ रुपये की कटौती की गई है । किसी भी रोजगार प्रधान उद्योग की स्थापना नहीं की जा रही है । सरकार को अधिक निवेश करने का वातावरण उत्पन्न कर अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिये ।

सरकार को पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में अनेक वर्ष लगे और उस पर भी वह उसे क्रियान्वित नही कर सकी । लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं किया जाता । 6 जुलाई के बाद किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी नहीं हुई है ।

सरकार वांचू आयोग की मुख्य सिफारिशें क्रियान्वित करने को तैयार नहीं है क्योंकि वह काले धन को छूने की हिम्मत नहीं करती । सरकार ने फरवरी-मार्च के दौरान अधिकतम आयकर दर 90 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दी है जिससे अधिकतम वेतन पाने वालों को ही लाभ होगा ।

देश में 67 प्रतिशत लोग निर्धनता के स्तर से नीचे का जीवन बिता रहे हैं । जबकि विलासता में रहने वाली सरकार देश में सामान्य मजदूर वर्ग के लोगों के बोनस और उपदान को अवरुद्ध कर रही है । यह पूर्णतया आपत्तिजनक प्रस्ताव है । अन्ततः इससे मुद्रास्फीति को बढावा मिलेगा ।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, सरकार ने बड़े जमाखोरों, तस्करों और चोर बाजारियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। मई 1974, में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 4.18 लाख टन गहूं वितरित किया गया। मई, 1973 में 6.8 लाख टन गेहूं वितरित किया गया। जनवरी से मई, 1974 तक 22.73 लाख टन गेहूं वितरित किया गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 27.40 लाख टन गेहूं वितरित किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऐसे शोचनीय कार्य से सरकार कैसे खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रित कर सकती है? सरकार लोगों से अपनी खपत में कमी करने तथा त्याग करने का अनुरोध करती है लेकिन वह स्वयं जनसाधारण को प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास भी नहीं करती।

सरकार जब तक जनसाधारण को कृषि कार्य में नहीं लगायेगी खाद्यान्न का अधिक उत्पादन कैसे हो सकता है?

खाद्यान्नों का मूल्य 5 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने से देश में बड़े किसानों और व्यापारियों को 4,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। ऐसा सरकार से सांठ गांठ किये बिना नहीं किया जा सकता। मूल्य बढ़ाने के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि सरकार की यही नीति है तो हम देश की साधारण जनता के लाभ की सरकार से कोई उम्मीद नहीं रख सकते।

सरकार को यह कानून वापिस ले लेना चाहिये अथवा इसकी त्रुटियों को दूर करना चाहिये।

सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से मूल बजट की तुलना में अधिक कर लगा रही है। यह सरकार की विचित्र कराधान नीति है। जनसाधारण, जमाखोरों और कालाबाजारियों की दया पर निर्भर है। वही सरकार के वास्तविक मित्र हैं।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा): यह विधेयक असाधारण है और यह सामान्य विधेयकों के वर्ग में नहीं आता। यह विधेयक प्रस्तावक, समर्थक और विधेयक को पारित करने वाले सदन के लिये भी दुखकर है। लेकिन देश तथा जन सेवकों के जीवन में कभी ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हें सार्वजनिक दायित्व का पालन करना पड़ता है। मैं इस भावना को ध्यान में रखते हूए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह वेतन स्थिरीकरण विधेयक नहीं है। यह विधेयक संसाधनों को जुटाने के लिये नहीं है। जो भी धन जमा किया जायेगा वह राज्य सरकारों को उपलब्ध नहीं होगा। इस विधेयक का उद्देश्य देश में विद्यमान मुद्रास्फीति को रोकना है।

आज देश में कर्मचारी वर्ग की मूख्य समस्या मूल्य वृद्धि है। ये लोग ही सबसे बूरी तरह प्रभावित हुए हैं।

मूल्य सूचकांक में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। जितना अधिक धन प्राप्त होता है उतनी ही वास्तविक मजूरी कम होती जा रही है।

मुद्रास्फीति में भारी वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते का तकनीक असफल सिद्ध हुआ है। अतः इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। उत्पादन में कमी होने के तथा जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मांग में वृद्धि हो रही है। यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मांग में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी।

मुद्रास्फीति को दूर करने के दो उपाय हैं। एक ओर हमें उत्पादन बढ़ाना होगा, दूसरी ओर हमें मुद्रा सप्लाई में कमी करनी होगी। 1961 में मुद्रा सप्लाई 5,000 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 17,850

[श्री सी० एम० स्टीफन]

करोड़ रुपये हो गई है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि एकदम नहीं की जा सकती इसमें कुछ समय लगेगा।

काले धन के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिये। काले धन का उपयोग जमाखोरी के लिए किया जा रहा है। यह भिन्न समस्या है और इसे विभिन्न तरीके से हल किया जाना चाहिये।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत 300 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये। देश के विधान के अन्तर्गत, जिसे सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और न्यायाधिकारी ने स्वीकार किया है, किसी भी व्यक्ति को सांविधिक न्यूनतम वेतन से कम नहीं दिया जायगा क्योंकि वह निर्वाह स्तर के लिये आवश्यक है। यदि कर्मचारी को प्राप्त होने वाले महंगाई भत्ते को भी वापिस ले लिया जाता है तो यह उसे भूखा मारना होगा। अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये। अन्यथा कर्मचारी अपने निर्वाह के लिये ऋण लेंगे और जमा की जा रही राशि वापिस लेने के लिये प्रतिष्ठानों में हड़ताल करेंगे। यह नीति वैध और तर्कसंगत तभी होगी जब निम्नतम संवर्ग को इसके अन्तर्गत न रखा जाये।

सरकार को चाहिये की वह उत्पादन बोनस को इसके अन्तर्गत न लाये। यदि उत्पादन वृद्धि का अर्थ मुद्रास्फीति को दूर करना है तो दंडात्मक उत्पादन बोनस और प्रोत्साहन बोनस से दूसरी सारी सार्थकता समाप्त हो जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन दिया है।

सरकार ने इस विधेयक में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि यदि किसी वेतनमान में किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिलती है तो वह इससे प्रभावित नहीं होगी। इसी सिद्धान्त पर मैं कहना चाहता हूं कि बोनस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को मिलने वाले बोनस को भी इस विधेयक के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए।

मैं विधेयक के पीछे जो नीति है उसका समर्थन करता हूं। मैंने संशोधन पेश किये हैं ताकि निम्न वेतन-पाने वाले कर्मचारीयों के हितों की रक्षा हो सके।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : यह विधेयक आपत्तिजनक है और गत 13 वर्षों में सरकार ने इतना आपत्तिजनक विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया है। कलम की एक घसीट मात्र से श्रमिकों के सभी कानूनों जैसे मजूरी अदायगी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि को रद्द कर दिया गया है।

[**श्री इसहाक सम्मली** पीठासीन हुए।
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair.*]

तेजी से बढ़ रही मुद्रास्फीति के लिये सरकार और उसकी नीतियां उत्तरदायी हैं और श्रमिकों को इस कारण से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। समूची अतिरिक्त मजूरी और महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि छीन ली जायगी। इस वर्ष 6 जुलाई से पहले बाटा, कलकत्ता के लगभग 12,500 श्रमिकों और बाटा के प्रबन्धकों के बीच समझौता हुआ था। वहां हड़ताल हुई, हड़ताल के बाद उन्हें प्रति मास 73 रुपये की वृद्धि मिली परन्तु इस एक ही झटके से सब रद्द हो गया है। चाय बागान के श्रमिकों को 3.05 दैनिक मजूरी मिल रही थी। हाल ही में समझौते के अन्तर्गत उन्हें 3.45 रुपये मिलेंगे परन्तु इस कानून के द्वारा उस राशि को तुरन्त छीन लिया जायेगा।

देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था है। राजकोष को प्रति वर्ष 1400 करोड़ रुपये का इस काले धन की अर्थव्यवस्था के कारण नुकसान हो रहा है।

यह प्रश्न 1958 में इंडियन लेबर कान्फरेंस में उठाया गया था जब श्री नन्दा श्रम मंत्री थे। श्री नन्दा ने इसे भ्रांति पूर्ण बताया था। जो बात 1958 में भ्रांतिपूर्ण थी वह 1974 में सही कैसे हो सकती है? गत वर्ष रिजर्व बैंक ने इस बात की पुष्टि की है कि श्रमिकों के वेतन में कमी हो रही है।

यह आरोप लगाया गया है कि श्रमिक पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यदि 1960 को आधार वर्ष माना जाये तो गत 14 वर्षों में श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कर्मचारियों के संगठनों ने इसे माना भी है परन्तु वस्तुओं की कमी इसलिये है क्यों कि नियोक्ताओं ने जानबूझकर उत्पादन में कमी की है। कपड़ा उद्योग तथा बहुत से अनेक उद्योगों में पूरी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्या समूचे भारत में बिजली की कमी के लिये कर्मचारी उत्तरदायी हैं? यह सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण हुआ है। कच्चे माल को कमी है। मुझे कम से कम पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी है। वहां छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग कोयले या लौह अथवा अलौह धातुएं उपलब्ध न होने के कारण बंद हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुओं की तस्करी होती है।

इस विधेयक में धनराशि की कटौती करने और उसे जमा करने के बारे में बताया गया है। दो वर्ष बाद सरकार इस वक्तव्य के साथ आकर कहेंगी कि नियोक्ताओं ने कई करोड़ रुपये इस निधि में नहीं दिये हैं। ऐसा हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। उनसे निपटने के लिये क्या व्यवस्था की गई है? इस विधेयक के एक परन्तुक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि नियोक्ता श्रमिकों की धनराशि का गबन करता है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से उसे कम दंड भी दे सकता है यदि नियोक्ता उसे कारणों का लिखित ब्यौरा दें।

यह विधेयक उन बहुत से श्रमिकों के वतनों पर रोक लगाने का क्रूर प्रयास है जो पहले से ही कष्ट भोग रहे हैं।

मैं आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रस और भारतीय साम्यवादी दल की ओर से कहता हूं कि श्रमिक इस विधेयक के विरुद्ध अन्त तक लड़ेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मजदूर संघ से सम्बद्ध होने और अर्थशास्त्री के रूप में ऐसी कठिन स्थिति में मेरा कहना है कि अकेल इस विधयक से ही मुद्रास्फीति कम नहीं की जा सकती। यदि हम लाभांश को सीमित करने, प्रस्तावित अतिरिक्त परिलब्धियां विधेयक लाने, अनिवार्य जमा योजना विधेयक लाने से मुद्रा की सप्लाई में कमी करने, ऋण में कमी करने, बचत में वृद्धि और कारखानों और फार्मों में उत्पादन में वृद्धि करने जैसे उपाय करें तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि मुद्रास्फीति न केवल आर्थिक पहलू ही है अपितु यह एक समाजशास्त्र से सम्बन्धित पहलू है। एक नया मतैक्य तैयार करना होगा। सभी राजनीतिक तत्वों, सभी मजदूर संघीय तत्वों के नये मतैक्य का पता लगाना होगा। हम इसका सफलतापूर्वक सामना कर सके क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को पहले इतना अधिक खतरा नहीं था जितना अब है। प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व से यह पता लग जाना चाहिए कि मतक्य हो गया है।

वेतन भत्ते आदि का जो अंश इस समय सरकार काट रही है उस पर भविष्य में होने वाली मूल्य-वृद्धि से पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल 2½ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज ही पर्याप्त नहीं है। भविष्य में होने वाली मूल्य–वृद्धि के लिये उन पर पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिये।

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

यदि हमें ऊर्जा संकट का सफलतापूर्वक सामना करना है तो कोयला क्षेत्र के श्रमिकों की मजूरी का पुनरीक्षण करना चाहिए। वहां काम करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली मजूरी इतनी है कि जिन खतरों में वे काम करते हैं उनके अनुपात में वह बहुत ही कम है।

*श्री जे० माता गौडर (नीलगिरि) : हमने इस सभा में सरकार को बार-बार यह कहते हुए सुना है कि देश में वर्तमान मुद्रा-स्फीति अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र का ही एक अंग है और भारत इसका अपवाद नहीं है। मैं कुछ आंकड़े देकर यह बताना चाहता हूं कि यह तर्क मिथ्या है ।

ब्रिटेन में गत वर्ष मुद्रास्फीति के कारण केवल 13.5 प्रतिशत कीमतें बढ़ीं परन्तु भारत में पिछले छह महीनों में 25 प्रतिशत कीमतें बढ़ीं। ब्रिटेन में इसी अवधी में प्रति व्यक्ति आय 1513 अमरीकी डालर रही है परन्तु दूसरी तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 73 अमरीकी डालर रही है। इन परिस्थितियों में भारत में हो रही घटनाओं की विदेशों से तुलना करना अप्रिय बात है। ब्रिटेन का एक नागरिक 1513 अमरीकी डालर प्रति व्यक्ति आय से मुद्रास्फीति का दबाव सह सकता है परन्तु भारत में प्रति व्यक्ति आय 73 अमरीकी डालर में बड़-बड़े पूंजीपतियों की प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है। उस आय को निकाल दिया जाये तो श्रमिक की आय केवल 2 अमरीकी डालर रह जाती है और इस आय से मुद्रा-स्फीति का सामना करने की आशा करना व्यर्थ है। अब सरकार इस वर्ग की दयनीय दशा की परवाह किये बिना यह विधेयक सभा में लाई है जिसमें यह व्यवस्था है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत काफी संघर्ष के बाद मजदूरों को जो अतिरिक्त वेतन मिलेगा उसे अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जायेगा।

यदि सरकार देश की श्रमिक शक्ति के साथ खिलावड़ करेगी तो वह विवश होकर सरकार को पीछे धकेल देगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत पारितोषिक के रूप में बागान श्रमिकों को प्रति दिन 1 रुपये की वृद्धि मिल सकती है। उसमें से भी 50 प्रतिशत अंश को दो वर्ष के लिये जमा करा दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि दो वर्ष में वे भुखमरी से मर जायेंगे।

बागान श्रमिक संशोधन विधेयक की जांच करने के लिये दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। यह समिति इस बात का पता लगा रही है कि बागान श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिये क्या किया जाये। एक ओर तो सरकार ने बागान श्रमिक संशोधन विधेयक संयुक्त समिति के सौंपा गया है और दूसरी ओर, बागान श्रमिकों की अतिरिक्त मजूरी में से 50 प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से जमा करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यदि सरकार यह समझती है कि देशवासी भोले-भाले हैं तो वह गलत समझ रही है।

श्री वसंत साठे (अकोला): वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि इस विधेयक से वांछित फल की प्राप्ति नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं कि अन्ततोगत्वा किस परिणाम की प्राप्ति होगी ? अंतिम लक्ष्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना और उसके फलस्वरूप कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकना है।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Tamil.

क्या इस विधेयक से उन वर्गों में मुद्रा की सप्लाई कम होगी जो मुद्रास्फीति उत्पन्न करते हैं? दूसरे, क्या इससे उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा? अब हमें यह देखना है कि क्या इन दोनों उपायों से उद्देश्य प्राप्त हो सकेगा?

इस देश के योजना आयोग के सांख्यिकों और अर्थशास्त्रियों के अनुसार केवल 1.7 प्रतिशत लोगों की आय 300 रुपये से अधिक है। इनकी संख्या मुश्किल से एक करोड़ होगी। इन एक करोड़ लोगों में से 70 प्रतिशत व्यक्ति अपना धंदा करते हैं और उनकी आय पर सरकार नियंत्रण नहीं रख सकती है। अतः सरकार निश्चित आय वर्ग के केवल 30 प्रतिशत लोगों पर नियंत्रण कर सकती है। इन लोगों की आय से देश में मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वास्तव में मुद्रा की सप्लाई तो 4000 करोड़ या 10000 करोड़ रुपये की है जो काले धन के रूप में है और जो कालाधन वस्तुओं की जमाखोरी करने में सर्वनाश कर रहा है। इस विधेयक से काले धन के बारे में कुछ नहीं किया जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि कम से कम कानूनी रूप से देय न्यूनतम मजूरी और इसके साथ मिलने वाला महंगाई भत्ता तो दिया जाना चाहिए।

इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे श्रमिक वर्ग में दुर्भावना उत्पन्न हो जायेगी जिसका उत्पादन पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा। इसके स्थान पर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के रूप में चौबीस घंटे काम करने की पद्धति लागू करनी चाहिए।

मुद्रा प्रचलन पर नियंत्रण करने के लिये उपाय खोजे जा सकते हैं। देश के 130 अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि सभी बैंकों में जितनी धनराशि जमा है उसमें से 30 प्रतिशत राशि को सरकार अपने अधिकार में ले। यह आवश्यक नहीं है कि उस 30 प्रतिशत राशि को सदा के लिय अपने अधिकार में लिया जाय। सरकार कुछ अवधि के पश्चात इस धनराशि को वापस दे सकती है। इस उपाय के माध्यम से धनी वर्ग की लाभ पर नियंत्रण किया जा सतका है तथा सरकार को मजदूरों की आय में कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी। काले धन पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि इसका उपयोग ही न करने दिया जाये। इसके बाद सरकार को मूल्यों को नियंत्रित करना होगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार मूल्यों पर नियंत्रण कर ले, हमें महंगाई भत्ता नहीं चाहिये।

ऐसी स्थिति में जब देश में वस्तुओं का अभाव है, यह अत्यंत आवश्यक है कि वस्तुओं की सप्लाई सुव्यवस्थित की जाये तथा उनका मूल्य नियंत्रित किया जाय। सरकार की लोक वितरण प्रणाली दोषपूर्ण है तथा यह नौकरशाहों के हाथ में है। मेरा अनुरोध है कि सरकार राष्ट्रीयकरण के नाम पर नौकरशाहों को अधिकाधिक शक्तियां न दे। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ दिन पश्चात् मूल्यों में कमी हो जाएगी। किन्तु रेल किराये और भाड़े में वृद्धि के कारण मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस स्थिति में जनता कोई आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि सरकार का यह पैकेज कार्यक्रम किस प्रकार का है। जनता को भी त्याग करने के लिये तैयार है बशर्ते कि उसे यह विश्वास हो जाय कि इस त्याग से मूल्य नियंत्रित हो जायेंगे।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : महोदय ! सरकार मूल्यों में स्थिरता लाने, मुद्रा स्फीति को रोकने तथा उत्पादन की वृद्धि दर बनाये रखने में असफल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उसे यह विधेयक लाना पड़ा है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरणों में कहा गया है कि आज देश के समक्ष सबसे बड़ी समस्या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की है। उस स्थिति के लिये कौन उत्तरदायी है? क्या कर्मचारी, मजदूर या कुली उसके लिये उत्तरदायी हैं? यह स्थिति सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के द्वारा उत्पन्न हुई है। विधेयक में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को तथा 100 प्रतिशत मंजूरी वृद्धि को जमा किये जाने पर व्यवस्था की गई है। इससे श्रमिकों की वास्तविक आय में कमी हो जायेगी।

[श्री प्रसन्न भाई मेहता]

इससे श्रमिकों में भारी असंतोष फैलेगा तथा उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरे विचार से इस उपाय से सरकार का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस विधान के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की बजाय कमी होगी।

सरकार का दृष्टिकोण श्रमिक-विरोधी है। हाल की रेल हड़ताल इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। यदि सरकार चाहती तो इस हड़ताल को टाला जा सकता था किन्तु सरकारने जान बूझकर श्रमिकों के साथ झगड़ा मोल लिया तथा श्रमिकों के दमन की प्रक्रिया अपनाई।

वित्त मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में दिये गये किसी सुझाव को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने श्रमिकों का ही गला दबाने का रास्ता अपनाया। वित्तीय ज्ञापन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा चलाई जायेगी तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में मुख्य रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाई जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण से सभी लोग परिचित हैं। इसके आदेशों को न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम मानते हैं और न गैर-सरकारी क्षेत्र के तथा लाखों रुपयों की भविष्य निधि की राशि अभी तक वसूल नहीं की जा सकी। इतना ही नहीं सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा काल में भी कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि की राशि के सम्बन्ध में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मंत्री महोदय का ध्यान सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाने वाले प्रमाणपत्र की ओर भी दिलाया गया था किन्तु उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया।

अन्त में मेरा सुझाव है कि जिन कर्मचारियों और श्रमिकों को 'टाइम-स्केल' नहीं मिलता उन्हें महंगाई भत्ते तथा अतिरिक्त आय को जमा करने के लिये विवश नहीं किया जाना चाहिये। आशा है मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I rise to support this Bill. Being a representative of the field workers, I feel the Government would have consulted the central labour organisations of the workers before bringing this Bil lhere. If such organisations do not cooperate with the Government, this measure would prove to be futile. Secondly, the Government should also have made provision for the workers whose wages are to be impounded for supplying essential commodities from fair price shops. It would have been more proper if the Government had accepted the recommendation of the Labour Commission in regard to increasing the rate of contribution towards the provident fund.

It is a fact that after the revision of pay scales, dearness allowance and bonus of the worker in 1972, there has been a sharp increase in the prices. It has also been observed that with the increased wages, workers indulge in certain wrong practices like drinking. They do not believe in saving. Thus, it is the duty of the labour leader to educate the labour and pursuade them to save some amount for the rainy day. I would like to suggest that the workers getting Rs.300 per month should be excluded from the purvier of the present Bill.

This Bill has made a distiction between the white collar employees and the workers engaged in manual work. The Government has provided for certain exemptions to time scale employees. I suggest that there should be a ration alization in this regard.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Textile Industry. The workers of Textile mills will have to handle four looms in place of two looms now. It will involve additional work load for the workers. I suggest that the workers should be paid extra wages for the extra work load and the wages so increased should be exempted from the provisions of the present Bill. I suggest that Government should clarify the position regarding the production bonus.

Being the President of a workers' union in Hoshangabad, I would like to draw the attention of the hon Minister to the fact that through the incentive of production bonus given to the workers, the production increased from 4 tons to 9 tons a day. This scheme was also introduced in Indore and proved a great success. I would like to suggest in this context that no such step should be taken by the Government as may jeopardise the increase in production.

I am a representative of the Textile workers and feel that they will not have to face serious difficulties as a result of this Bill. But one difficulty is certainly being faced by these workers. According to the general practice observed by the Textile Industry in Gujarat, all the agreements entered into by the Textile Labour Association in Ahmedabad are implemented throughout the State of Gujarat. But its recent agreement regarding the wage increase could not be implemented in all the areas of Gujarat except Ahmedabad due to the issuiance of the ordinance. The same thing has happened in Maharashtra. Except the workers of such mills in Bombay all the textile workers of the State of Maharas htra have been deprived of the wage increase. I request that the hon. Minister should consider the problem of these workers.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : ऐसी स्थिति में जबकि देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ते जा रहे हैं इस विधेयक की सराहना नहीं की जा सकती। वस्तुओं के मूल्य इतने अधिक हो गये हैं कि लोगों का जीना कठिन हो गया है । सरकार ने महंगाई भत्ते में जो मामूली वृद्धि की है वह उसे भी भविष्य निधि में जमा कराना चाहती है। इस महंगाई के समय में जनता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह बचत करे। मेरा सुझाव है कि जिन मजदूरों की आय 600 रुपया प्रतिमास है उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं किया जाय।

मेरा सुझाव है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिये तथा श्रमिकों को खाद्यान्न तथा कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध करानी चाहिये। वास्तव में श्रमिकों को इस समय पैसे की बहुत जरूरत है किन्तु यदि सरकार उनको बढ़ी हुई मजदूरी की अदायगी बाद में करना चाहती है तो ऐसी वृद्धि का लाभ क्या होगा ? यह तो उसी प्रकार की बात है जिस प्रकार किसी बच्चे को मिठाई दे दी जाये किन्तु उसे खाने नहीं दिया जाये।

जनता में असंतोष का प्रमुख कारण यही है कि वह बढ़ती हुई मंहगाई का मुकाबला करने में असमर्थ है । इस समस्या की ओर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिये तथा आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में कोई उपयुक्त तरीका निकालना चाहिये, जिससे जनता भूख-मरी की शिकार न हो ।

नवीन समाचारों के अनुसार लोग कबरों से हड्डियां निकाल कर बेच रहे हैं । अत्यंत दुःख की बात है कि कुछ महिलाओं को जीवित रहने के लिये अशोभनीय कार्य करने पड़ रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि विधेयक का पहला भाग लागू किया जाये तथा दूसरे भाग को जिसमें अनिवार्य जमा की व्यवस्था है, लागू नहीं किया जाए।

श्री कृष्णराव पाटिल (जलगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से हम सभी इस बात से सहमत हैं कि देश इस समय गम्भीर आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। अतः इस समस्या का समाधान खोजना ही पड़ेगा तथा मुद्रास्फीति के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। मेरे विचार से हम सभी इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत हितों अथवा संस्थागत हितों से ऊंचा स्थान दिया जाये ।

[श्री कृष्णराव पाटिल]

श्री वाजपेयी ने इस समस्या की व्याख्या की है तथा अपनी विचारधारा के अनुसार इसके कुछ कारण बताये हैं। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश में मुद्रा की सप्लाई अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। गत दो या तीन वर्षों में ही मुद्रा सप्लाई में 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि इस स्थिति के लिये केवल सरकार ही उत्तरादायी है। मैं जानता चाहता हूं कि क्या युद्ध और सूखे की स्थिति आदि समस्याओं का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों में कोई औचित्य नहीं था? यह सच है कि सूखे की स्थिति के दौरान औद्योगिक क्षेत्र को भारी क्षति पहुंची है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु क्या आम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम उन व्यक्तियों की समस्याओं की उपेक्षा कर सकते हैं जो गरीबी की निम्नतम सीमा से भी नीचे के स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों की संख्या 22 करोड़ है।

गत वर्ष सरकार ने 400 करोड़ रुपयों की बचत करने का वायदा किया था। मेरे विचार से वास्तव में 270 करोड़ रुपये की बचत की गई। मेरे विचार से यदि 2,000 करोड़ रुपये की मितव्ययिता की जा सकती तो आगामी दो वर्षों में इस समस्या पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है कि मुद्रास्फीति की समस्या पर काबू पाया जा सके।

मेरा सुझाव है कि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में तुरंत कदम उठाये जायें। इससे देश की जनता में विद्यमान गलत धारणाएं दूर हो सकेंगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार को जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि देश की जनता की कठिनाइयों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरा अनुरोध है कि सरकार व्यापारियों तथा धनी वर्ग का विश्वास न करे। काले धन का अवश्य पता लगाया जाना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : कुछ माननीय सदस्यों को छोड़कर, शष सभी माननीय सदस्यों का यह मत है कि इस अध्यादेश का पूर्ण रूप से विरोध किया जाना जाहिये।

[**श्री वसंत साठे पीठासीन हुये**
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

प्रश्न यह है कि जब केवल 15 दिन बाद सत्र आरंभ होना था तो इस अध्यादेश को जारी करने की क्या आवश्यकता थी? सरकार इस प्रकार संसद की उपेक्षा करती है। मेरे विचार से सरकार ने श्रमिकों के विरुद्ध अभियान आरम्भ कर दिया है। वित्त मंत्री ने इस अध्यादेश को उचित ठहराने के लिए हमें मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए एक पैकेज कार्यक्रम बताया है। वास्तव में मुद्रास्फीती की स्थिति के लिए केवल सरकार तथा उसकी दोषपूर्ण नितियां ही उत्तरदायी हैं। किन्तु आश्यर्य की बात है कि सरकार अपनी त्रुटियों के लिए मजदूरों को दण्डित करना चाहती है। सरकार मजदूरों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते की आधी धनराशि तथा वेतन वृद्धि की पूरी राशि को अनिवार्य रूप से जमा करना चाहती है। क्या इतनी महंगाई में श्रमिकों के लिये यह सम्भव है? क्या यह उनकी समस्याओं का उपहास नहीं है?

जहां तक काले धन का सम्बन्ध है, इस समस्या के समाधान के लिये श्री जयप्रकाश नारायण ने बहुत सरल उपाय बताया है। उनके अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनावों के समय दिये जाने वाले चन्दे की राशि का पूरा-पूरा लेखा-जोखा तैयार किया जाना चाहिए।

महोदय! संविधान के अनुच्छेद 43 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजूरी मिलनी चाहिये। जब दिन प्रति दिन रुपय का मूल्य घटता जा रहा है तो श्रमिकों की आय में वृद्धि को रोकने पर जीवन निर्वाह मजूरी कैसे दी जा सकता है? अतः यह विधयक असंवैधानिक है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई–उत्तर-पूर्व): यह विधेयक एक ऐसी अनिश्चित मनःस्थिति और सन्देहात्मक परिस्थितियों में लाया गया है कि इस कार्यवाही की सफलता के बारे में शंकायें उत्पन्न हो गई हैं। वित्त मन्त्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विधेयक से वेतन संशोधन करने पर रोक नहीं लगती है। संवैधानिक और वैधानिक रूप से उनका कथन सही है, परन्तु इस विधेयक द्वारा 6 जुलाई को कर्मचारियों की जो क्रयशक्ति थी, उसे स्थिर कर दिया गया है और इसके परिणाम तो निकलेंगे ही। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन पुनरीक्षण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध लग गया है।

यह कहा गया है कि यह धन के प्रचलन को रोकता नहीं, बल्कि अधिक मात्रा में धन के प्रचलन को बढ़ावा देता है। 900 करोड़ रु० में से सरकार 450 करोड़ रु० की राशि को जमा करने का प्रयास कर रही है। यह राशि अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी। अनिवार्य जमा बचत का ही एक रूप है। इस प्रकार उक्त राशि को रिजर्व बैंक में डालने का काम आंशिक रूप से धन का एकत्रीकरण और आंशिक रूप से धन का विस्तार है। पता नहीं इससे मुद्रास्फीति को रोकने में किस सीमा तक मदद मिल सकती है।

श्रमिक वर्ग की मुख्य आपत्ति वेतन और लाभांश को समान आधार पर रखने के बारे में है। मैं वित्त मन्त्री के साथ इस बात पर सहमत हूं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मुद्रा को प्रचलन में हटाया जाना चाहिये और धन की मांग को कम किया जाना चाहिए, परन्तु मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाले धन को ही प्रचलन में से हटाया जाना चाहिए। उद्योगों या वाणिज्जिक उपक्रमों में दिये जाने वाले वेतन में से कुछ भी बचाया नहीं जा सकता। उनका सारा वेतन उपयोग के लिये कठिनाई से पूरा हो पाता है। अब उनके उपयोग के स्तर पर रोक लगाई जा रही है, इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मचारियों को पूरा वेतन की नकद अदायगी नहीं की जाती। वेतन की 15 प्रतिशत राशि भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा के अंशदान के रूप में काट ली जाती है। सरकार कर्मचारियों की बचत पर प्रहार कर रही है। इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही से बचा जाना चाहिए।

सरकार भविष्यनिधि में अंशदान की दर में वृद्धि कर सकती थी और सभी उद्योगों में यह दर 10 प्रतिशत कर सकती थी। इस प्रकार सरकार के पास अधिक मात्रा में संसाधन भी एकत्रित कर सकती थी और धन का प्रचलन भी नहीं रोकना पड़ता। सरकार अन्य देशों की तरह श्रम–लागत और उत्पादन लागत के बीच मानक अनुपात भी निर्धारित कर सकती थी, परन्तु सरकार ने यह जोखिम भरा कदम उठाया है। फिर भी मैं वित्त मन्त्री की इस कार्यवाही की सफलता की कामना करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): पिछले अनेक वर्षों में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज हमारे देश की गणना उन देशों में होती है, जहां सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ी है। दिसम्बर 1973 में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार चिली में सर्वाधिक अर्थात 538 प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ़ी। उसके बाद वियतनाम आता है, जहां 59 प्रतिशत कीमतें बढ़ीं। विश्व के सभी देशों में भारत का तीसरा स्थान है जहां 24

[प्रो० मधु दण्डवते]

प्रतिशत मुद्रा–स्फीति बढ़ी। वित्त मन्त्रालय से मेरा यह अनुरोध है कि आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को रोकने सम्बन्धी कार्यवाही के लिए समान त्याग का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। देश के संगठित श्रमिक वर्ग, भूमिहीन श्रमिक और किसानों को ही क्यों अधिक कष्ट देने के लिये बाध्य किया जाय?

यह तर्क दिया गया है कि एक साल या दो साल की अवधि के बाद अनिवार्य बचत के रूप में जमा राशि कर्मचारियों को लौटा दी जायगी और बचत की राशि से देश की अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों—दोनों को ही लाभ होगा। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और वेतन में वृद्धि होती है, तो उससे कर्मचारियों के वास्तविक वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। क्योंकि 1949 को 100 आधार मानकर 1960 में रुपये की कीमत 80.6 पैसे थी, 1970 में 44.2 पैसे ही रह गई थी और मई, 1974 में रुपये की कीमत सिर्फ 28 पैसे रह गई थी। उनके अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ते की आधी राशि को जमा करने से कर्मचारियों के व्यय में तो कटौती हो नहीं सकती और इस अवधि में उन्हें भारी ब्याज देकर कर्जा लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

यह कहा गया है कि कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते की मांग करने के कारण एक दुष्चक्र बन जाता है और मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है। पांचवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों के अलावा अन्य तथ्य भी जिम्मेदार हैं।

अगर सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है, तो उसे एक मुश्त योजना अपनानी चाहिए। कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ते के एक अंश को अनिवार्य रूप से जमा करने मात्र से मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध नहीं है। लोगों के पास काले धन के रूप में गैर-अर्जित आय है। वांचू समिति के अनुसार 1969–70 में काले धन की मात्रा 7,000 करोड़ रुपये थी। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1971 में काले धन की मात्रा 7,280 करोड़ रुपये थी और नवम्बर, 1973 में यह राशि बढ़कर 10,273 करोड़ रुपये हो गयी थी। इसके कारण थोक विक्रेताओं के यहां से सामान की भारी खरीद की जा रही है। उत्पादन लागत को कम करने के लिए लघु उद्योग प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिये। सरकार को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बजाय उत्पादन क्षमता के पूर्ण उपयोग पर जोर देना चाहिए। ऐसा किये बिना उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। कच्चे माल के अनुचित वितरण, प्रबन्धकीय अक्षमता और कर्मचारियों पर किये जा रहे अन्याय के कारण भी उत्पादन में कमी हो रही है। घाटे की अर्थव्यवस्था, जो पहली पंचवर्षीय योजना में 333 करोड़ रुपये थी, अब पांचवीं योजना के शुरू होने पर ही 2,000 करोड़ रु० की सीमा तक जा पहुंची है। इसमें कमी की जानी चाहिए।

जब सरकार कर्मचारियों को व्यय के लिये राशि उपलब्ध नहीं कर रही, तो यह वेतन स्थिरीकरण की नीति नहीं, तो और क्या है? दूसरी ओर सरकार काले धन का पता लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। वित्त मन्त्री ने यह दावा किया है कि 1946 में विमुद्रीकरण की कार्यवाही की गई थी, परन्तु वह विफल रही थी। इसका कारण यह था कि 1946 में सारी मुद्रा के 76.5 प्रतिशत भाग को, जिसमें दस रुपये और 100 रु० के नोट थे, इस कार्यवाही से बिलकुल बाहर छोड़ दिए गए थे। अनेक देशों में विमुद्रीकरण की कार्यवाही सफल भी हुई है। विमुद्रीकरण की कार्यवाही एकमुश्त कार्यक्रम के अधीन की जानी चाहिए।

कृषिजन्य और, गैर-कृषि आय को शामिल करने सम्बन्धी राज समिति की सिफारिश भी काफी महत्वपूर्ण है। इससे कृषि आय दिखाकर की जाने वाली कर की चोरी को रोका जा सकेगा। अधिकतम सीमा की धारणा में आय, सम्पत्ति और व्यय इन सभी को शामिल किया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सदन में मतदान लेने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अगर औद्योगिक शान्ति को आप बनाये रखना चाहते हैं, तो मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं से सरकार को बातचीत करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो इस विधेयक के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रमिकों की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने वाले विधान से ही विधेयक के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा सरकार की विचारधारा को, परिवर्तित करने के लिए उसे बाध्य करने हेतु श्रमिकों को संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा।

Shri M. C. Daga (Pali) : There are 12 millions of Government employees, but only 3.5 millions of employees are engaged in the production. There should be accountability about their work. I am sorry to say that necessary steps have not been taken to stop the money supply. Payment of overtime allowance has not been stopped so far. Many big dams have been constructed and crores of rupees have been invested in them, but there is no proper return.

How far the Government would be able to pay the deposited amount after five years with eleven per cent interest is doubtful. It is correct that there should be equal sacrifice by all. The earnings of Doctors, Engineers, Lawyers and the persons engaged in private practice should be properly taxed.

At present 78 per cent of the revenue earnings are spent on administration. Wages are rising day by day. Money is being spent on unproductive work. This gives rise to discontentment to the workers engaged in productive work. I am doubtful about the utility of this measure.

श्री के० मायाथेवर (डिण्डिगूल) : यह अध्यादेश सत्र प्रारम्भ होने के सिर्फ तीन दिन पहले जारी किया गया था। जब कोई आक्रमण जैसे संकट की स्थिति नहीं थी, फिर इतनी जल्दबाजी में अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी? और यह अध्यादेश भी लाया गया है श्रमिक वर्ग के खिलाफ। आशा तो यह थी कि अध्यादेश मुद्रास्फीति को रोकने और चोरबाजारियों तथा काला धन रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लाया जायेगा।

मैं सरकार का ध्यान बंगलादेश की संसद में पेश किये गये उस कानून की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके अनुसार चोरबाजारियों, तस्करों और समाजविरोधी तत्वों को फांसी की सजा दी जायगी। हम इस विधेयक जैसे अबुद्धिमत्तापूर्ण, असंवैधानिक और गैरकानूनी विधान ही पारित करते रहते हैं। मैं इसलिए मांग करता हूं कि ऐसे असंवैधानिक और गैर कानूनी विधेयक को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक दर्जन रिट याचिकायें अनिर्णीत पड़ी है और अगर उन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो जनता की नजर में हमारी प्रतिष्ठा कम होगी। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि विधेयक की धारा 14 को हटा दिया जाय, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को दण्ड देने का प्रावधान है। क्या कर्मचारी मुनाफाखोर या चोरबाजारिये हैं या अपराधी हैं?

अगर सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करना चाहती है, तो उसे वांचू समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए। अगर सरकार काले धन का पता लगाने सम्बन्धी समिति

[श्री के० मायाथेवर]

की सिफारिशों पर विचार नहीं करना चाहती और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती तो इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति पर लाखों रुपये की धनराशि व्यय करने का क्या फायदा है ? मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं ।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : I do not think that the purpose for which this Bill has been brought forward here, would be renewed. The motive of the Bill was to restrict the expenditure by affluent section of society so that demand for goods could be reduced and prices may come down. It is very difficult for a worker, working in a mica mine or manganese mine for eight hours a day and earning only Rs. 100 a month to make even both ends meet.

The wages of the coal mine workers were revised in 1967 and after completion of 5 years in 1972, the workers demanded that their wages be raised. But in the meantime the coking coal mines were nationalised and the workers were asked till the situation stabilised. It was one of the aims of nationalization that the workers would be paid fair wages. A Bipartite Committee was also constituted for the purpose and it gave its recommendations in May, 1974. In the meantime, the ordinance was promulgated and the employees are not going to get their due money for the next five years. The production of coal, which is necessary for power generation and industrialisation can not be augmented, by deducting the wages of the labour. I would urge the Government that the wage revision of coal mine workers be kept out of the purview of this Bill as has been done in regard to the recommendations of the Third Pay Commission.

The condition of the workers in Bengal, Bihar, Orissa is very miserable.

There is wide gap in the minimum wage in these States than that available in Ahmedabad, Bombay and Punjab. Steps should be taken to raise their minimum wage to that level. There should be a minimum wage level upto which the employees should be kept outside the purview of this Bill.

The Members have said that industrial and agricultural production should be increased. I would like to suggest that if production has to be increased, there should not be any deduction in the amount of Incentive Bonus.

The workers in remote corners of the country are finding it difficult to get the essential consumer's goods. Fair Price Shops should be opened so that the labour could at least have an assured supply of the essential consumer's goods.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस जनता विरोधी, श्रम विरोधी तथा कार्मिक संघ विरोधी विधेयक को विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं जानना चाहता हूं कि अध्यादेश के जारी होने की तिथि से लेकर आज तक क्या वह मूल्यों को बढ़ने से रोक सके हैं ? दूसरी ओर मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी । सरकार लोगों से खपत कम करने तथा बचत कम करने के लिए कह सकती थी । अनिवार्य जमा योजना लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है वे अभी तक इस अवस्था तक संगठित नहीं है कि सभा के भीतर विधायी सम्बन्धी प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डाल सकें । यह अवस्था अवश्य आयेगी । इस लिए मैं कहता हूं कि यह विधेयक श्रम-विरोधी है । इससे देश के श्रमिक वर्ग में असन्तोष ही नहीं बल्कि क्रोध की लहर दौड़ गई है । देश के आर्थिक विकास के नाम पर सरकार गरीब लोगों को और परेशानी कर रही है, सरकार वास्तव में नियत आय वाले वर्ग को शोषण कर रही है । वास्तव में यह गरीब लोगों का अपमान है । इससे गरीब लोगों के लिए दोनों समय का खाना जुटाना कठिन हो जाएगा । सरकार यह प्राप्त करने के लिए श्रम-समर्थन नारे लगाती रही है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि अब श्रमिकों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । रेलवे हड़ताल के दौरान ही सरकार के श्रम-विरोधी रवैये का पता चल

गया था। सरकार किसी मामले में भी श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं करना चाहती। सरकार को श्रमिक वर्ग का सहयोग नहीं मिल सकता है जबकि उनका रवैया श्रम-समर्थक हो न कि श्रम-विरोधी। इस विधेयक से लोगों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें प्रशासनिक कठिनाई भी उत्पन्न होगी और प्रशासनिक खर्च भी बढ़ेगा क्योंकि सरकार को 180 लाख नये खाते खोलने पड़ेंगे। अत: मैं एक बार फिर इस विधेयक के प्रति अपना विरोध प्रगट करता हूं।

Shrimati Roza Deshpande (Bombay-Central) : Such Ordinances are issued when the Country is in serious crisis. By issuing this Ordinance the Government have made brutal attack on Socialism because only the poorer section will be let hard by this measure. The Government have failed to attack the rich and the blackmarketeers. Nothing has been done to check the rising prices. The Government is not going to do any good to the Country by attacking the pockets of the organised labour. If the Government do not want to pay dearness allowance to the labour it should check the prices. No one will demand dearness allowance if the rising trend in prices is checked. Instead of depending on the bureaucracy the Government should consult the representatives of the working class and peasants. Once again I register my protest against this Bill.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसकी रिपोर्ट आज सभा में रख दी गई है। उस में यह सुझाव दिया गया है कि सभा को देर तक बैठ कर इस विधेयक को तथा अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) विधेयक को पास करना चाहिए। अत: मेरा सुझाव है कि जब तक ये दोनों विधेयक पास नहीं हो जाते सभा की बैठक चलती रहे।

सभापति महोदय : क्या सभा की यही राय है कि जब तक ये विधेयक पास न हो जाये सभा की बैठक चलती रहे।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सभी भाषण तथा तर्क, जो दिए गए हैं, गलत धारणाओं पर आधारित हैं। हम श्रमिक वर्ग से झगड़ा करने की बात कभी सोच भी नहीं सकते। मजूरी फ्रीज करने की कोई बात नहीं है। श्रमिक वर्ग के मूल अधिकारों को छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा दल उनके अधिकारों के लिए सदा लड़ता रहा है।

देश में मुद्रास्फीति है और हम उसका मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम मजदूरों को जो महंगाई भत्ता देते हैं उससे मुद्रास्फीति होती है। श्रमिक वर्ग बढ़ते हुए मूल्यों तथा मुद्रास्फीति के लिए बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। बल्कि ये लोग तथा गरीब किसान तो इससे पीड़ित हैं। हम ने पिछले तीन अथवा चार वर्षों में देखा है कि महंगाई भत्ता जो बढ़े हुए मूल्यों को निष्प्रभावी करने के लिए दिया जाता है, ऐसा करने में असफल रहा है। वास्तव में इससे मूल्य और बढ़े हैं। अत: मजदूरों का जो अधिकार है वह उनको अवश्य दिया जायेगा। मजदूरों में झगड़ा करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम महंगाई भत्ता देते रहे और मूल्यों को बढ़ता हुआ देखते रहें तथा एक बार मूल्य के बढ़ने के बाद फिर महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया को दखते रहें? हमें इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही करने के बारे में अवश्य सोचना है। इस कुचक्र को तोड़ने के लिए कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इस विधेयक द्वारा हम केवल 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता ही जमा करने जा रहे हैं। वास्तव में यह एक अस्थायी उपाय है। इस पर श्रमिकों को अतिरिक्त दर से ब्याज दिया जायेगा। यह कानून लाभांश प्राप्त करने वालों पर लागू होगा। हम सरकारी व्यय को भी कम करने जा रहे हैं। हम घाटे की अर्थ व्यवस्था

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

को भी कम करना चाहते हैं। हम सीमेन्ट, कागज तथा अन्य दुर्लभ वस्तुओं की खपत भी कम करना चाहते है। हम इस सम्बन्धी जनता के सभी वर्गों का सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं विरोधी दलों के नेता मजदूरों में रचनात्मक रवैया उत्पन्न करें। हमें उन्हें मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए। हमने यह एक उपाय किया है। हमें देखना चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलता है। मुझे आशा है कि कुछ समय पश्चात इसके कुछ परिणाम निकलेंगे। हमें इसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं मंत्री महोदय से काले धन के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने सुझाव दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को यदि वह भूमि खरिदना चाहता है अथवा मकान बनाना चाहता है, सरकार से 'याचना प्रमाणपत्र' प्राप्त करना चाहिए। इस बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Almost all the hon. Members of this House are against this Bill. No doubt that the whole House is worried about inflation and rising prices but the problem is not going to be solved by depositing fifty percent dearnes allowance of the working class. The hon. Minister has said that they are going to take many more steps. He should have given the clear picture.

The hon. Minister should accept the suggestion of the fellow Congress members that workers getting upto Rs. 300 p.m. should be kept outside the purview of this Bill. Public distribution system should be strengthened. Essential commodities should be supplied to the workers at fixed prices.

In 1963 Shri Morarji Desai also introduced Compulsory Deposit Scheme but at that time he consulted the representatives of the working class before introducing such measure. Shri Chavan did not take care to consult the representatives of the working class. He should have created the necessary atmosphere so that people themselves should have come forward to sacrifice. May I know whether the Ministers, M.Ps. and MLAs. are also going to be asked to make sacrifices in this regard or not? Some hon. Members suggested that contribution to Provident Fund should have been raised. But the Government have not accepted this suggestion also. There is no Committee of Economic experts to give advice to the Government. They depend on the bureaucrats. In the end I would request the Government to accept some amendments. If price spiral continues, it would become impossible for the Government to control the situation.

The employees are agitated over this measure and are getting ready to oppose it. The Finance Minister should understand their feelings. He should put forward the whole policy before the Country on the basis of which the present crisis could be tackled.

Shri Madhu Limaye: Under Rule 109, I had moved for the adjournment of the discussion on the motion. Discussion should not continue beyond the fixed time. Secondly, 47th Report of the Businesss Advisory Committee was to be presented by Shri Raghuramaih today but it has not been presented so far. My third objection is that discussion regarding conduct of Lok Sabha Members should not be taken up in the Rajya Sabha. I want that matter regarding issue of licence should be taken up now.

Shri Atal Bihari Vajpayee : In Rajya Sabha, some charges have been levelled against Members of Lok Sabha. This matter will be published by the news papers tomorrow. This would lower the prestige of the House in the eyes of public. Therefore, clarification should be made in this regard.

सभापति महोदय : आप विषय से परे न हटें। प्रश्न यह है कि क्या नियम संख्या 109 के अन्तर्गत हमें कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए। श्री बनर्जी के प्रस्ताव पर सदन पहले ही इसको अवीस्कार कर चुका है। नियम संख्या 338 के अन्तर्गत, एक प्रस्ताव में वही मामला नहीं उठाया जा सकता जिसके बारे में सदन उसी सत्र में पहले ही निर्णय दे चुका है।

जहां तक समय का प्रश्न है 6 बजे सदन ने एकमत से निर्णय किया था कि सदन इस पर चर्चा पूरी होने तक बैठेगा।

जहां तक आखिरी प्रश्न का सम्बन्ध है, ज्योंहि हम इस मामले को निपटा देंगे, सदस्य अपना मामला उठा सकते हैं। कृपया इस समय सदन की कार्यवाही में रुकावट न डालें।

उस सदन में सभापति और स्वयं सदन, सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दे सकता है।

श्री मधु लिमये : मैं सभापति महोदय के विनिर्णय का कड़ा विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : जब भी मामला हमारे सामने आएगा, हम उस पर ध्यान देंगे। परन्तु इस समय सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें। अब दो विधेयकों पर चर्चा शुरु की जाए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम आपसे एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन दो विधेयकों पर चर्चा पूरी करने के बाद इस विषय पर चर्चा की जाय, तो इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार को विवरण देकर स्पष्टीकरण करनां होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित अतिरिक्त उपलब्धियां के (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 36	विपक्ष में 160
Ayes	Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री का प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षप का और तत्सम्बन्धी स्कीम बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 175	विपक्ष में 32
Ayes	Noes

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार विचार शुरु करेंगे । खण्ड 2 के संशोधन पेश किये जाएं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 41 के बाद, निम्न-लिखित अन्तस्थापित किया जाए —

"(v) any increase in wages consequent on the revision of the minimum rates of wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948"

["पांच न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन नियत की गई मजूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजूरी में कोई वृद्धि ;"] **(संख्या 107)**

पृष्ठ 2, पंक्ति 42;—

"(पांच)" **के स्थान पर** ("vi") ("छः") **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 108)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5; —

अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए —

"but does not include any additional dearness allowance payable as part of minimum wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948"

["परन्तु इसमें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन नियत न्युनतम मजूरी के भागरुप संदेय कोई अतिरिक्त महंगाई भत्ता शामिल नहीं है ।"]

(संख्या 112)

श्री राम सिंह भाई : मैं संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,—

["over"] ["ओवर"] के बाद ["and above एण्ड एबव"] शब्द **अन्तस्थापित** किए जाएं ।

(संख्या 52)

पृष्ठ 3, पंक्ति 25,—

"the" ["द"] **के स्थान पर** "an" ["ऐन"] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 53)

पृष्ठ 3, पंक्ति 49 तथा 50 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रस्थापित** किया जाए :—

"name, such persons; and includes, in the case of a deceased employer, the legal representative of such deceased employer"

["अन्य किसी नाम से ज्ञात हो, और मृत नियोजक की दशा में ऐसे मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि इसके अन्तर्गत है"]

(संख्या 54)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,—

"made" ["मेड"] **के स्थान पर** "framed" ["फ्रेम्ड"] शब्द **प्रस्थापित** किया जाए।

(संख्या 55)

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोइम्बतूर) : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करती हूं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या 94, 95, 97, 98, 99, 100 तथा 101 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 7,—

" on the appointed day " ["नियत दिन को"] **के स्थान पर** " immediately before the appointed day " ["नियत दिन से तुरन्त पूर्व"] **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(संख्या 103)

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : मैं संशोधन संख्या 113 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 118 तथा 119 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने अपने संशोधन संख्या 107 तथा 108 में 'अतिरिक्त मजूरी' शब्द की परिभाषा दी है। मेरा कहना है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियत की गई मजूरी की न्यूनतम दरों के संशोधित होने के परिणामस्वरुप मजूरी में होने वाली वृद्धि को इस परिभाषा में शामिल न किया जाए।

संशोधन संख्या 112 में कहा गया है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत नियत न्यूनतम मजूरी के अंश के रूप में महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि को भी शामिल न किया जाए और राशि को अनिवार्य जमा न घोषित किया जाए।

अध्यादेश जारी करते समय सरकार ने प्रेस-नोट में कहा था कि कम मजूरी पाने वाले मजदूरों को अनिवार्य जमा राशि नियम से अलग रखा जाएगा। अब सरकार को अपने वचनों का पालन करना चाहिये।

Shri Atal Behari Vajpayee : I have moved Amendment No. 118 and 119. Through amendment No. 118 I want to say that any amount payable to an employee as bonus should be excluded from the provision of Bill. Secondly, ex-gratia payment steming from a term or condition of employment arrived at between labour and management should also be excluded. Thirdly, any advance or loan at the time of festivals or any other occasion of dire necessity to the employee should also be excluded from the provisions of the Bill.

Through amendment No. 119 I want that all kinds of allowances and salaries given to Central and State Ministers, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies and Councils should be excluded. My amendments are genuine and may be accepted.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : खण्ड 2 (ग) में "टाइम स्केल" कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के अन्य वर्गों को इस उपबन्ध की परिधि से बाहर रखा गया है। इससे विषमता पैदा हो गई है। उदाहरणार्थ, यदि एक कर्मचारी को "टाइम स्केल" के अन्तर्गत 25 या 50 रुपये की वेतन-वृद्धि मिलती है तो उसे अतिरिक्त मजदूरी

[श्री प्रसन्नभाई मेहता]

न मानकर रोका नहीं जाएगा, लेकिन यदि 300 या 350 रुपये वेतन पाने वाले को 15 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है तो उसे अतिरिक्त मजदूरी मान कर रोक लिया जाएगा। इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए। बातचीत के परिणामस्वरूप मिलने वाली तदर्थ वृद्धि को विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत रोक नहीं जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार कर के उक्त विषमता को दूर करेंगे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मेरा संशोधन बोनस सम्बन्धी स्पष्टीकरण को हटाने के बारे में था। बोनस श्रमिकों का अधिकार है और बोनस की राशि को रोका नहीं जाना चाहिए। मुझे आशा है मंत्री महोदय इसे अस्वीकार नहीं करेंगे।

श्री राजा कुलकर्णी : संशोधन संख्या 94 के माध्यम से मैं चाहता हूं कि यदि अतिरिक्त महंगई भत्ते की ऊंची दरों के कारण महंगाई भत्ता बढ़ जाता है तो इस अध्यादेश को लागू किया जाना चाहिए।

संशोधन संख्या 95 विशिष्ट वर्ग को विधेयक की परिधि से बाहर रखने के बारे में है। जहां तक, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उनको अध्यादेश की परिधि से बाहर रखा जाएगा। इसी प्रकार सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी अध्यादेश की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे संशोधन प्रक्रियात्मक संदेशों को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। श्री सी० एम् स्टीफन द्वारा पेश किए गए संशोधनों के अतिरिक्त मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूं। हम स्वयं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मजूरी की न्युनतम दरें नियत करना नहीं, चाहते।

संशोधन संख्या 112 को स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने संशोधन पर जोर न डालें।

श्री राजा कुलकर्णी का संशोधन स्वीकार करने से विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। उनसे अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

सभापति महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 17,—

"Over" (से) के बाद "and above" (अतिरिक्त) शब्द को जोड़ा जाए"।

(संख्या 52)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 25,—

"the (हिन्दी में कोई अन्तर नहीं पड़ता) के स्थान पर "an" (एक) अन्तःस्थापित किया जाय।"

(संख्या 53)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 49 और 50 के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाय"

"name, such person; and includes in the case of a deceased employer, the legal representative of such deceased employer;"

(अन्य किसी नाम से ज्ञात हो और मृत नियोजक की दशा में ऐसे मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि इसके अन्तर्गत है)।"

(संख्या 54)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 11,—

"made" (हिन्दी में कोई अन्तर नहीं पड़ता) के स्थान पर "framed" (हिन्दी में कोई अन्तर नहीं पड़ता) शब्द अन्तःस्थापित किया जाये ।"

(संख्या 55)

"पृष्ठ 6, पंक्ति 23,—

"act" (अधिनियम) के स्थान पर "section" (धारा) अन्तःस्थापित किया जाये ।"

(संख्या 56)

"पृष्ठ 3, पंक्ति 7,—

"on the appointed day" (नियत दिन को) के स्थान पर "immediately before the appointed day" (नियत दिन से शीघ्र पूर्व) अन्तःस्थापित किया जाए ।

(संख्या 103)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा प्रस्तुत और सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन संख्या 107 और 108 पर विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 43 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(V) any increase in wages consequent on the revision of the minimum rates of wages fixed under the Minimum Wages Act, 1948;"

"(V न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप मजदूरी में कोई वृद्धि;")"

(संख्या 107)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

"V" के स्थान पर "(VI)" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संख्या 108)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम श्री राम सिंह भाई द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 50 पर विचार करेंगे ।

श्री राम सिंह भाई : (इन्दौर) : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 50 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
Amendment No. 50 was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : अब हम श्रीमती पार्वती कृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 63 और 64 पर विचार करेंगे । मेरे विचार से वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 63 और 64 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 63 and 64 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब, हम श्री राजा कुलकर्णी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 94, 95, 97, 98, 99, 100 और 101 पर विचार करेंगे ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : मैं अपने संशोधनों को वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 94, 95, 97, 98, 99, 100 और 101 सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
The amendment Nos. 94, 95, 97, 98, 99, 100 and 101 were, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री स्टीफन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 112 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवतुपुजा) : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन संख्या 112 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment No. 112, was by leave withdrawn.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 113 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The amendment No. 113 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 118 और 119 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos.118 and 119 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 3 पर विचार करेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : My amendment is a basic one. I would say that the deposit should not be made compulsory but it should be voluntary. I have tabled my amendment to this effect:

"Provided that any employee of the foregoing bodies, not wishing to avail of this Scheme may opt out of the Scheme by conveying his wish to his employer in writing."

I would also like to add a new clause 3-A :

"Nothing in this Act shall apply to such employees as have chosen to opt out of this scheme under proviso to section 3".

These amendments are very small but very effective and therefore I request the hon. Finance Minister to accept them.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : My amendments are the same as moved by Shri Atal Bihari Vajpayee. If any Saving Scheme is to be brought it should be on voluntary basis.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 38 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 2 and 38 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

नया खंड 3–क

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have objected to the necessity of maintaining two accounts of an employee. This will increase work as well as expenditure. Some way should be evalued to maintain one account instead of two accounts. What is the reaction of the Finance Minister thereto?

[**Shri Atal Bihari Vajpayee**]

The Finance Minister has said in his speech that Section 6 is very vital in the Bill. It has been mentioned that the meaning of deductions will be :

"In the case of additional wages for a period of one year", and

"In the case of dearness allowance for a period of two years".

What is the necessity of this? Make it one year for both.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है ।

सभापति महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपने संशोधन संख्या 5 से 16 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं संशोधन संख्या 39, 40 और 41 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं ।

"पृष्ठ 6, पंक्ति 23 :—

"Act" (अधिनियम) **के स्थान पर** "Section" (धारा) **प्रतिस्थापित किया जाए ।**

(संख्या 56)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 120 प्रस्तुत करता हूं :

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 75–86 वहीं हैं जो पहले प्रस्तुत किये गये हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी: मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं । मैंने भी कुछ संशोधन दिए हैं । एक संशोधन यह है कि पृष्ठ 6, पंक्ति 22 म 'दो वर्ष' के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए तर्कों का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं । महंगाई भत्ते के मामले में यह दो वर्ष नहीं होना चाहिए । दोनों मामलों में यह एक वर्ष ही होना चाहिए ।

अप्रैल और जून, 1974 से दिया जाने वाला महंगाई भत्ता इस अध्यादेश के अन्तर्गत नहीं आना चाहिए । यदि उसमें से कटौती की जाती है तो यह कर्मचारियों को धोका देना है क्योंकि यह अध्यादेश 6 जुलाई, 1974 को उद्घोषित किया गया था । मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें क्योंकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमण्डल, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद उनसे मिली थी और उनसे इस राशि को कटौती न करने के लिए कहा था ।

सभापति महोदय : अब मैं यशवन्तराव चव्हाण द्वारा प्रस्तुत खण्ड 6 के लिए संशोधन संख्या 56 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 6, पंक्ति 23,—

"Act" (अधिनियम), के **स्थान पर** "Section" (धारा) **प्रतिस्थापित किया जाय ।**

(संख्या 56)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 से 16 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments No. 5 to 16 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 39 से 41 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 39 to 41 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 120 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 120 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6, as amended was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 7 पर विचार करेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 17 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं संशोधन संख्या 18 से 23 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं संशोधन संख्या 42 से 46 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee; The Government has left the whole matter vague. Whether Government officer will take this decision that an employee is suffering from hardship or not? Whether such decisions will be right? I, therefore, request the hon. Finance Minister to accept this amendment which says that if a man is sick or his daughter is to be married or some extreme and genuine hardship is there in all such cases he should be granted exemption.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं श्री वाजपेयी के संशोधन का पूर्णतया समर्थन करता हूं । इस छूट का लाभ केवल जाने पहचाने कर्मचारियों को ही दिया जायेगा । इस परन्तुक में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त उल्लिखित हैं ।

माननीय मंत्री इस बात पर सहमत हो गये हैं कि इस विधेयक में छुट देने की आवश्यकता है । मेरी व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस खण्ड में कठिनाई के समय धन निकालने की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबन्ध है । कठिनाई की परिभाषा देकर इस को सीमित नहीं किया जाना चाहिए । इसी लिए हमने परिभाषा देना आवश्यक नहीं समझा । अत: मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ऐसा करने पर जोर न दे ।

सभापति महोदय द्वारा, संशोधन संख्या 18 से 23 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 18 to 23 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा, संशोधन संख्या 42 से 46 मतदान के लिए रख गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendment Nos. 42 to 48 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विधेयक के खण्ड 10 पर सभा को सम्बोधित करने और अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायवादी को बुलाती है ।"

आज सुबह मैंने तथा अन्य अनेक मित्रों ने इस खण्ड में किये गए उपबन्ध पर आपत्ति की थी । मुझे ऐसा लगा कि अध्यक्ष महोदय चाहते है कि विचार के समय हम इस पर तर्क करें । इसमें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा मजूरी भूगतान अधिनियम की पूर्णतया उपेक्षा की गयी

है। यह एक गम्भीर मामला है। अत: मैंने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि महान्यायवादी को सभा में बुलाया जाये तथा इस पर उनकी राय ली जाये। इस खण्ड के माध्यम से नौकरशाही के हाथो में बहुत अधिक शक्तियां दी जा रही है। अत: मेरा निवेदन है कि महान्यायवादी को सभा में बुलाकर इसपर उनकी राय ली जाये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to draw the attention of the House towards Article 13(3)(a) of the Constitution which reads as follows :

"(a) Law includes any ordinances, order, bye-law rule, regulation notification, custom or usage having in the territory of India the face of law".

There is a provision of framing scheme under section (3) The question is who will frame the Scheme? If this is to be done by the Central Government then it will have to go to the Committee of subordinate legislation. But the hon. Minister has not made any mention of it in his memorandum. I request the hon. Minister to reconsider this clause and make any provision to put the scheme framed under it before the House.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस तर्क को स्वीकार करना बहुत कठिन है। खण्ड 25 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस खन्ड पर बनाई गई योजना का निरनुमोदन करने अथवा उसमें संशोधन करने का अवसर सभा को दिया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विधेयक के खन्ड 10 पर इस सभा को सम्बोधित करने और अपनी राय देने के लिए भारत के महा न्यायवादो को बुलाती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was Negatived.

सभापति महोदय : श्री बाजपेयी अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 32—

"made" ("मेड") शब्द के स्थान पर ("फ्रेम्ड") शब्द प्रतिस्थापित किया जाय।

(संख्या 57)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करती हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"Made" (मेड) शब्द के स्थान पर "Framed" (फ्रेम्ड) शब्द प्रस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 65 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 65 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 10 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10, as amended was added to the Bill.

खण्ड 11 और 12 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

खण्ड 13

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 9,—

"the" ["द"] शब्द के पश्चात "appropriate" ["उचित"] शब्द अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 58)

पृष्ठ 10, पंक्ति 8,—

"is so transferred" ("इस प्रकार हस्तांतरित किया गया") शब्दों के पश्चात् "or the licence is so given" ("अथवा इस प्रकार दिये गये लाइसेंस") शब्द अन्तःस्थापित किये जाये ।

(संख्या 104)

पृष्ठ 10, पंक्ति 12,—

"transferee" ("हस्तांतरी") शब्द के पश्चात "or licensee" ("अथवा अनुज्ञप्तिधारी") शब्द अन्तःस्थापित किये जाये ।

(संख्या 105)

पृष्ठ 10, पंक्ति 13,—

"such transfer" ["ऐसे हस्तान्तरण"] शब्दों के पश्चात "or licence, as the case may be" ["अथवा अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो"] शब्द अन्तःस्थापित किये जाये ।

(संख्या 106)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 9,—

"the" ["द"] शब्द के पश्चात " appropriate " ["उचित"] शब्द अन्तःस्थापित किया जाये ।

(संख्या 58)

पृष्ठ 10, पंक्ति 8—

"is so transferred" ["इस प्रकार हस्तांतरित किया गया"] शब्दों के पश्चात "or the licence is so given" ["अथवा इस प्रकार दिये गये लायसैंस"] शब्द अन्तःस्थापित किये जाये।

(संख्या 104)

पृष्ठ 10, पंक्ति 12,--

"transferee" ["हस्तान्तरी"] शब्द के **पश्चात** "or licensee" ["अथवा अनुज्ञप्तिकारी"] शब्द **अन्तःस्थापित** किये जाये ।

(संख्या 105)

पृष्ठ 10, पंक्ति 13—

"such transfer" ("ऐसे हस्तान्तरण") शब्दों **के पश्चात** "or licence, as the case may be" ("अथवा अनुज्ञप्तिधारी जैसा भी मामला हो") शब्द **अन्तःस्थापित** किये जायें ।

(संख्या 106)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 13 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया ।
Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14

श्री हुकमचन्द कछवाय : मैं अपने संशोधन संख्या 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 28—

"Made" ["मेड"] शब्द **के स्थान पर** "framed" ["फ्रेम्ड"] शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 59)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं संशोधन संख्या 66 से 69 प्रस्तुत करती हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 10, पंक्ति 28—

"Made" ["मेड"] शब्द के स्थान पर "Framed" ["फ्रेम्ड"] शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(संख्या 59)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 26 से 32 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 26 to 32 were put and negatived.

श्री एस० कतामुत्तु : मैं संशोधन संख्या 66 से 69 पर बोलना चाहता हूं । विधेयक के अनुसार दोषियों को दिया जाने वाला दण्ड बहुत कम है । हम चाहते हैं कि "तीन महीने", "छः महीने", "एक वर्ष" के स्थिति पर क्रमशः "छः महीने", "एक वर्ष", "दो वर्ष" रखा जाये । मैं चाहता हूं मेरे संशोधन पर मतदान हो ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66 से 69 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
Amendment Nos. 66 to 69 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 14 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15

श्री हुकुमचन्द कछवाय (मुरैना) : मैं संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतेर) : मैं संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करती हूं ।

संशोधन किये गये

"पृष्ठ 11, पंक्ति 21—

"any" (कोई) **के स्थान पर** 'an' (एक) प्रतिस्थापित किया जाये ।"

(60)

"पृष्ठ 11, पंक्ति 21—

"Committed" ( ) **के स्थान पर** "by a company and it is proved that the offence has been committed" (एक कम्पनी द्वारा और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध किया गया है) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(61)

(श्री यशवन्तराव चव्हाण)

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33, 34 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 33, 34 were put and negatived.

संशोधन संख्या 70 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 70 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 15 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

खंड 16 भी विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was also added to the Bill.

श्री हुकुम चन्द कछवाय : मैं संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 35 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 17 was added to the Bill.

खंड 18 और 19 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

खंड 20

संशोधन किया गया।

"पृष्ठ 12, पंक्ति 42,—

'relevant" (तत्संगत) के स्थान पर "appropriate" (उचित) शब्द **प्रस्थापित** किया जाये।

(62)

(श्री यशवन्तराव चव्हाण)

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : मैं संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं।

सभापती महोदय द्वारा संशोधन संख्या 36 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 36 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 21 से 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 21 to 27 were added to the Bill.

नया खंड 28

श्री हुकुमचन्द कछवाय : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
Amendment No. 37 was put and negatived.

खंड 1

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथाविधेयक का नाम—विधयक मे जोड दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्रीमती पार्वती कृष्णन : माननीय मंत्री को इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिये । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से गत 27 वर्षों के दौरान सभा में जितने विधयकों पर चर्चा की गई है यह उनमें सबसे अहितकर विधेयक है । कर्मचारी उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं और यथासम्भव त्याग भी कर रहे हैं । इसके बावजूद इस दिवालिया सरकार ने उन्हें इसका यह पुरस्कार दिया है ।

इस विधेयक का नाम जैसा कि मेरी मित्र श्रीमती रोजा देशपाण्डे ने कहा है "अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य जमाराशि) विधेयक" के स्थान पर "जेब काटना विधेयक" होना चाहिये ।

दो वर्ष पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि वे मूल्य-वृद्धि से बहुत चिन्तित हैं और वह इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करेंगे । दुर्भाग्य से मुद्रास्फीति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

यह कहा जाता है कि मुद्रास्फीति विश्वव्यापी प्रवृत्ति है । मैं सरकार को इस बात की चेतावनी देती हूं कि यदि वह कर्मचारियों की मजूरी स्थिर रखने का प्रयास करेगी तो इसकी कर्मचारियों की ओर से तीव्र विरोध किया जायेगा । यदि सरकार इस विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी तो उसे कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ेगा ।

औद्योगिक अशान्ति रहते उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती । वित्त मंत्री अभी भी विधेयक वापिस लेकर देश की जनता के आभार के पात्र बन सकते हैं ।

श्री बी० बी० नायक (कनारा) : दो वर्ष के बाद यह विशेष विधेयक समाप्त हो जायेगा । मैं इस विधेयक के प्रति न तो बहुत अधिक आशावादी हूं और नहीं निराशावादी हूं । मुझे इस बात की चिन्ता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में 1975-76 और 1980-81 के दौरान जमा हुई उक्त अधिक राशि का किस

प्रकार उपयोग किया जायेगा (व्यवधान)। मुद्रास्फीति रोकने के लिये की गई यह कार्यवाही उचित है। हम समाजवादी प्रणाली की ओर न केवल लोकप्रिय निर्णय लेकर अग्रेसर हो सकते हैं बल्कि हमें इसके लिये अप्रिय निर्णय भी लेने होंगे। वित्त मंत्री ऐसा विधेयक लाने के लिये बधाई के पात्र हैं। मुझे भी कर्मचारी वर्ग की पूरी जानकारी है। मैंने भी कर्मचारी के रूप में 20 वर्ष तक काम किया है।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The poor sections of the country will be greatly affected as a result of passing this B.ll. I, herefore, request the Government to reconsider this matter.

Government should give an assurance that this ordinance will not apply to the workers getting minimum wage.

Sometimes the industrial disputes are referred to industrial courts and there is private arbitration in the matter and there is a provision in it that the new allowance formula should be made applicable from some specific date. I want to know whether you have stated something in this regard? People in Hindustan Lever were getting some benefit from 1st April, 1970. Now, they would not get it. Municipal workers are the lowest paid employees. Government should consider their case sympathetically.

I also request that the backward and depressed sections of society, whose income is very low should be exempted from the provisions of this Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये"

[लोक सभा में मतविभाजन हुआ।
Lok Sabha Divided.]

पक्ष में : 160 Ayes — विपक्ष में : 27 Noes

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संभाव्य और अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE DISAPPROVAL OF COMPULSORY DEPOSIT SCHEME (INCOME-TAX PAYERS) ORDINANCE AND COMPULSORY DEPOSIT SCHEME (INCOME-TAX PAYERS) BILL

Shri Madhu Limaye (Banka) : It is quite late now. We should take up this Bill tomorrow. (*interruptions*).

Mr. Chairman : I will follow the decision of the house in this matter. The Business Advisory Committee has decided to pass both these Bills today.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : You may postpone it till tomorrow. We are prepared to sit two hours more.

सभापती महोदय : इस बात का निर्णय सभा ने ही करना है। क्या सभा चाहती है कि विधेयक पारित किये जाने तक बैठा जाये ?

श्री के० रघुरामैया : जी, हां । हम बैठेंगे ।

श्री नुरुल हुदा : विधेयक के पारित होने तक का लक्ष्य निश्चित नहीं है ।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की यही सिफारिश है ।

श्री नुरुल हुदा : हम 9 बजे तक बैठ सकते हैं आधी रात तक नहीं ।

श्री के० रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने समिति को सरकार की कठिनाई बताई थी कि यदि आज इन दोनों विधेयकों को पारित नहीं किया गया तो राज्य सभा को इनके लिये समय नहीं मिलेगा तथा पहली सितम्बर तक, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकेगी जो बहुत अनिवार्य है । समिति ने हमारी कठिनाई को समझा तथा सर्वसम्मत से यही निर्णय किया कि इस विधेयक को पारित होने तक सभा बैठेगी । मैं विपक्ष के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि इस विशेष परिस्थितियों में वे सरकार के साथ सहयोग करें ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The proposal of Shri Madhu Limaye that it should be withdrawn without any discussion on it, should be accepted.

Mr. Chairman : There is no such proposal.

(interruptions)

Shri Madhu Limaye : I do not find any matter of urgent public importance for which the Government had to take recourse to issue ordinances.

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए
SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI *in the Chair*]

I think this measure should be brought in the form of a Bill and not in the form of an ordinance. Now, Government wants to justify their step which was taken in a hasty manner. When the Government illegally cut the wages of 1·80 crore workers, they realised that the wages of persons getting Rs. 15 thousands per month should also be freezed in order to have rationalisation.

My first objection to this ordinance is based on the plea that it will increase the administrative expenditure. The hon. minister has himself stated in the Financial Memorandum that it involves receiving expenditure of Rs. 61 lakhs every year. Government are going to raise the work load for the Income Tax Officers as a result of which they will not be able to discharge the most important part of their duties, namely exercising checks over tax evasion. Besides, Government will have to appoint a large number of employees to cope with the additional work for the seven years. After seven years, Government will have to face the problem of absorption of these employees. The scheme regarding the Time Deposit and the rate of interest thereon is equally defective. Under the new scheme the rate of interest is high. In these circumstances, people will withdraw the money deposited under the old scheme and the money circulation will certainly increase. Then what is the use of this measure. Two or three secretaries have told me that it is a foolish step. *(interruptions)*

Now I would like to deal with another aspect of this problem. According to the statistics of the Government there are about 3·50 lakh employees having annual income of Rs. 15 thousands. Government will have to incur Rs. 67 lakhs for these persons. I am sure that Government can get this much amount by floating Index bonus and easily avoid the heavy expenditure. The problem of inflation and the price rise are very grave and these problems can not be solved by such defective and politically motivated measures. I would like to suggest that sincere efforts should be made to increase production in the country.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप का और तत्सम्बन्धी स्कीम बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1974 को प्रस्थापित अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अध्यादेश, 1974 में कुछ संशोधन करके उसका स्थान लेना है ।

जिन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था उनका हवाला सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दे दिया गया है ।

आज मुद्रास्फीति की ही स्थिति देश के लिये भारी समस्या बन गई है । सरकार बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये कई उपाय प्रयोग में लायी है । उनमें से एक उपाय यह विधेयक है ।

इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत उन हिन्दू अविभाजित परिवारों या गैर सरकारी स्वैच्छिक न्यासों के न्यासियों को जमा करने की आवश्यकता है जिनकी 'कुल आय' तथा 'कुल कृषि आय' 15,000 रुपये से अधिक हो । 25 हजार रुपये तक की कुल आय पर 4 प्रतिशत की दर से धनराशि जमा की जाएगी तथा 25,000 से 70,000 रुपये तक की आय पर 6 प्रतिशत की दर से धनराशि जमा करनी होगी । इस से अधिक आय पर 8 प्रतिशत की दर से धनराशि जमा करनी होगी ।

ऐसे मामले में जहाँ करदाताओं को आनुषंगिक मूल्यांकन वर्ष से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम रूप से कर के भुगतान की आवश्यकता होगी वहाँ मूल्यांकन वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के दौरान ही अनिवार्य निक्षेप करना होगा । इसमें करदाता के कुल को ध्यान में रखना होगा क्योंकि उसी आधार पर उस मूल्यांकन वर्ष के लिये अग्रिम कर का भुगतान होगा । अन्य करदाताओं के मामले में जिन्हें अग्रिम कर देने की जरूरत नहीं है अनिवार्य जमा उनकी अनुमानित कुल आय के आधार पर होगा जिसमें मूल्यांकन वर्ष के लिये कर योग्य कुल कृषि आय से वृद्धि होगी ।

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) विधेयक, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत जिसे सभा पहले ही पास कर चुकी है, 15,000 रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों समेत वेतन में हुई समस्त वृद्धि और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का आधा सरकार के पास जमा कराना होगा । दोनों विधेयकों के अन्तर्गत जमा करने के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से ऐसा उपबन्ध करने का सुझाव है कि अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवाय निक्षप) विधेयक, 1974 के अन्तर्गत वेतनभोगी करदाताओं द्वारा जमा कराये गए धन को इस विधयक के अन्तगत जमा राशि में जमा किया जाएगा ।

करदाताओं द्वारा जमा राशि पर अधिक बैंक दर, जो इस समय 10 प्रतिशत है, से ब्याज दिया जाएगा । जमा राशियों पर दिया गया ब्याज आप की उस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा जिस पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 3,000 रुपये के लिये आयकर की छूट दी जानी है । जमा की गई राशि जमा किये जाने वाले वित्तीय वष के दो वर्ष बाद, उस पर मिलने वाले ब्याज के साथ, पांच वार्षिक किश्तों में दे दिया जाएगा । इस विधेयक में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ उपबंध भी किये गये हैं जिनका उपबन्ध अनिवाय जमा स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 में नहीं दिया गया हैं । विधेयक के उपबन्ध बड़े साधारण और अविवादास्पद है और आशा है कि इसे सभा का एकमत से समर्थन मिलेगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अतिरिक्त उपलब्धियों के अनिवार्य निक्षेप का और तत्सम्बन्धी स्कीम बनाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री नुरुल हुदा : महोदय ! मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । सरकार देश में मुद्रास्फीति का समाधान करने के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है । फरवरी में बजट प्रस्तुत करने समय वित्त मंत्री ने 90 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आय कर देने वाले बड़े करदाताओं को 100 से 125 करोड़ रुपये के करों से छुटकारा दिलाया है । यह विधेयक पूरी तरह लागू किये जाने पर 50 करोड़ से अधिक की वसूली नहीं हो सकती ।

आज स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार ने पूर्वनिर्धारित आर्थिक नीति का अनुसरण करना छोड़ दिया है । यद्यपि समाजवाद लाने तथा एकाधिकार को समाप्त करने की दुहाई दी जाती है किन्तु वास्तव में सरकार पूंजीवादी मार्ग पर चल रही है ।

तीन या पांच वर्ष पहले वांचू समिति ने कहा था कि देश में कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का काला धन है । इसे रोकने के लिये कोई अध्यादेश अथवा विधेयक नहीं लाया गया । यदि सरकार वास्तव में मुद्रास्फीति रोकने के सम्बन्ध में गम्भीर होती तो निश्चित रूप से इस विधेयक का हम समर्थन करते । किन्तु सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहती ।

प्रधान मंत्री के बंगलौर में दिये गये भाषण में तथा अन्य कांग्रसी नेताओं के भाषणों में यह कहा गया है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकी तथा अर्थव्यवस्था को विकृत किये जाने से नहीं बचाया जा सका । 1949 से पहले चीन में भी यही स्थिति थी । हमारे देश में भी रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है तथा श्रमिकों की क्रय शक्ति अत्यंत कम हो गई है ।

सम्भव है 2,000 रुपये से 3,000 रुपये मासिक आय वाले व्यक्ति कुछ बचत कर सकें किन्तु उस बचत से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । अनिवार्य जमा योजना में उच्च वेतन भोगी वर्ग की केवल स्पष्ट आय का हिसाब लगेगा, लेखाबाह्य आय का क्या होगा ? जब तक सरकार एकाधिकारियों के लाभों को नहीं रोकती, काले धन का पता नहीं लगाती तथा गरीब कर्मचारियों , किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता के लिये उपाय नहीं करती तब तक सरकार मुद्रास्फीति को रोकने में सफल नहीं हो सकती क्योंकि सामान्य जनता उनको अपना सहयोग भी नहीं देगी । इन अधूरे उपायों से मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया जा सकता । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले मैं यह अनुमति चाहूंगा कि हम पूरी विधेयक को पढ़ लिया जाये क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसे पढ़ा ही नहीं है ।

यह विधेयक सभा में पारित किये गये अन्य विधेयक की त्रुटियों को दूर करने के लिये लाया गया है तथा सरकार यह बताना चाहती है कि गरीब श्रमिकों के साथ-साथ वह अधिक वेतन-भोगी कर्मचारियों से भी कुछ राशि वसूल करेगी ।

जहाँ तक मुद्रास्फीति की समस्या का प्रश्न है गत 27 वर्षों से यह सरकार केन्द्र में तथा अधिकांश राज्यों में शासन करती आ रही है किन्तु यह न कीमतों को बढ़ने से रोक सकी है और न मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोक सकी है ।

इस विधेयक के बारे में मेरी पहली आपत्ति तो खर्च के सम्बन्ध में है जो श्री मधु लिमये ने भी उठाई थी। वित्तीय ज्ञापन के अनुसार सरकार को प्रतिवर्ष 61 लाख रुपया खर्च करना होगा तथा लगभग 6 लाख रुपया फर्नीचर आदि पर खर्च करना पड़ेगा। मुझ इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। कठिनाई यह है कि आयकर अधिकारियों के पास पहले ही कार्य-भार काफी अधिक है तथा आयकर की बकाया राशि भी प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त कर अपवंचन के मामले भी हैं। लगभग 1,200 करोड़ रुपये के कर की चोरी की जाती है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार आप का अधिकारियों के ऊपर अतिरिक्त कार्य भार पड़ेगा जिसका वह निर्वाह नहीं कर पाएंगे। वेतनभोगी व्यक्तियों के वतनों में से कटौती कर ली जायेगी परन्तु वकीलों और डाक्टरों से कर कैसे वसूल किया जायेगा? अब हमें वर्तमान परिस्थिति में यह धारणा बनानी होगी कि प्रत्येक व्यक्ति बेईमान है, जब तक उसे अन्यथा सिद्ध न किया जाये। सरकार लोगों से अपनी पसीने की कमाई जमा कराने के लिये कहने के बजाय यह कह सकती थी कि जो व्यक्ति 3 महीने या छः महीने के भीतर अपना काला धन घोषित कर देंगे तो उन पर सामान्य नियमों के अनुसार कर लगाया जायेगा। तब कुछ काला धन निकाला जा सकता था। इटली में यह कहा गया कि जो मकान बनायेंगे तो उन पर भारी कर नहीं लगाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप वहां मकानों की समस्या हल हो गई।

मैं इस अनिवार्य जमा को सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं करता हूं। सरकार ने विमुद्रीकरण के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है। बम्बई में प्रति दिन 1 लाख रुपये या इससे अधिक राशि बनाने वाले तस्कर 1 करोड़ रुपये का सुन्दर दान देकर साफ बच निकलते हैं और निम्न वेतनभोगी व्यक्तियों या छोटे व्यापारियों पर कर लगाया जाता है। अतः मेरा कहना है कि इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया जाना चाहिये।

मैं श्री गणेश से अनुरोध करता हूं कि वह हमें यह बतायें कि इस विधेयक से कितनी राशि मिलेगी? मुझ इस बात पर संदेह है कि उन्हें एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये भी मिलेंगे या नहीं। मैं कहता हूं कि यह विधेयक और लाभांशों पर सीमा लगाने वाला विधेयक केवल सरकार के अनुचित कार्यों पर पर्दा डालने के लिये ही पेश किये गए हैं।

मेरा कहना है कि राष्ट्रपति सहित उच्च पदों पर आसीन सभी व्यक्तियों को अपनी अस्तियां घोषित करनी चाहिए।

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : It appears that the Government has failed in finding the way to impose taxes and solve the economic problems. Their wrong policies are responsible for the present economic situation facing the country. The Government is bringing forward such measures in order to cover its own s nister designs. I wonder that the Government will have to incur an administrative expend tu e of Rs 61 lakhs in implementing the provisions of this B ll. This Bill will have an adverse effect on the Tribals and Harijans who have recently learnt to live in a civilised manner. Also, it will lead to bribery.

This Bill should be withdrawn. If the Government is not advised properly, opinion of the experts should be sought by them. They should change their policies.

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मुद्रास्फीति रातों-रात नहीं हो गई है। यह सरकार की त्रुटीपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम है। 1972 में वित्त मंत्री ने काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था होने का जिक्र किया था परन्तु अभी तक इस काले धन की रोकथाम के लिये कुछ नहीं किया गया है। इसके विपरीत सरकार काले धन का प्रयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिय कर रही है। उनका दावा है कि यह विधेयक मुद्रास्फीति विरोधी है परन्तु इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

[श्री प्रसन्न भाई मोहता]

कृषि उत्पादन में गिरावट आई है, औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है और 1960-61 की वृद्धि दर सात प्रतिशत से कम होकर 1971–72 में 1.7 प्रतिशत हो गई है। इन सब वर्षों में सरकार क्या करती रही? अब सरकार ने यह दिखाने के लिये ये अध्यादेश लागू किए हैं कि हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर रहे हैं। सरकार वांचू समिति की सिफारिशें लागू करने के लिये तत्पर नहीं है। सरकार को ऐसे बेकार के काम न करके काले धन की रोकथाम करनी चाहिये जो मूल कारण है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): इस विधेयक से ऐसा लगता है कि समाज के सभी वर्गों से त्याग करने का कहा गया है परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार त्याग करने के लिये किसे कह रही है? निश्चित आय वाल व्यक्ति अधिक त्याग करने की स्थिति में नहीं है तथापि सरकार उन्हें त्याग करने के लिये कह रही है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से आय कर देते हैं परन्तु यदि सरकार ऐसे कानून बनाती गई तो वे भी बेईमान बन जायेंगे तथा करों की चोरी करने लगेंगे। क्या सरकार का यही ईरादा है? यह मेरा पहला प्रश्न है। यदि सरकार यह अध्यादेश जारी न करके सामान्य रूप से सभा में कानून पास करती तो आसमान तो नहीं गिर जाता। चूंकि संविधान के अन्तर्गत सरकार को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है इसलिए वह ऐसे तरीके अपनाती है। संविधान के प्रणेताओं ने यह परिकल्पना नहीं की थी कि सरकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति का इस ढंग से प्रयोग करेगी।

मुझे इस बात पर आपत्ति है कि सरकार की अध्यादेश जारी करने की आदत बढ़ती जा रही है।

इस विधेयक के पारित होने पर डाक्टरों वकीलों तथा अन्य लोगों को राशि जमा करानी होगी क्योंकि उनकी आय प्रति वर्ष 15,000 रुपये से अधिक ही होगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या ये आयकरदाता देश से भाग कर कहीं जा रहे थे? सरकार ने संसद के सत्र की प्रतीक्षा क्यों नहीं की? क्या ईमानदार करदाताओं पर और बोझ डालना आवश्यक था? हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया कि बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरों में वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों जैसे कितने लोग करों की चोरी कर रहे हैं। उस सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से बहुत से लोग आय कर नहीं देते हैं।

इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं श्री गणेश और श्री चव्हाण से पूछना चाहता हूं कि वे करों की चोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

जब तक सरकार करों की चोरी करने वाले बड़े-बड़े लोगों को नहीं पकड़ेगी तब तक इस विधेयक के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

मुझे आशा है कि सरकार समय पर स्थिति के प्रति जागरूक हो जायेगी।

वित्त मंत्राशय मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): यह विधेयक संसाधन जुटाने वाला उपाय नहीं है। यह एकमुश्त समझौते का एक भाग है जिससे विभिन्न वर्गों की आय का एक भाग रोक लिया जायेगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा सप्लाई के आधिक्य की रोकथाम की जा सके।

इससे मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण नहीं होगा। मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण करने वाले अन्य उपाय हैं: उत्पादन में वृद्धि; घाटे के बजट को विशेष स्तर तक रखना; प्रशासनिक व्यय में कमी और बैंकों तथा रिजर्व बैंक द्वारा ऋण देने सम्बन्धी और कठोर नीति।

यह भी कहा गया है कि इसके अन्तर्गत 6 लाख व्यक्ति आयेंगे और पहले वर्ष में 50 करोड़ रुपये तथा अगले वर्ष में 55 करोड़ रुपये जमा होंगे। प्रशासनिक व्यय भी होगा परन्तु वह अधिक नहीं होगा।

श्री पी० जी० मावलंकर : दो वर्ष बाद सरकार कर्मचारियों का क्या करेगी ? क्या वह उन्हें निकाल देगी ?

श्री के० आर० गणेश : यह तब देखा जायेगा। काला धन, वांचू समिति की सिफारिशें तथा अन्य बातें पुनः उठाई गई हैं। इन पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है।

ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कुछ व्यावसायिक लोग कर नहीं देते हैं। उन पर कर लगें, यह व्यवस्था करने के लिये विशेष सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : हाल के सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत व्यावसायिक लोग कर नहीं देते हैं ?

श्री के० आर० गणेश : मैं समझता हूं कि मैं आंकड़े बता चुका हूं।

मैं इस विधेयक का सभा की स्वीकृति के लिये अभिस्ताव करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I expected the hon. Minister to give concrete suggestions to unearth black-money. The other day I alleged that the roller mills in West Bengal had a milling margin of Rs. 80 per tonne but then that margin had been increased to Rs. 200 per tonne. The extra income the mill-owners will thus get will not be shown in the income for tax purposes. The Compulsory Deposit Scheme will bring only the honest tax payers within its ambit and the tax-evaders will go scotfree.

My question about Maruti for which I did not get reply for 12 months relates directly to black-money. Inquiries are going on against the major share-holders of the Maruti Ltd. either relating to income-tax or non-payment of excise duty or violation of foreign exchange regulations. The Government cannot take action against the shareholders of the Maruti Ltd. Unless stringent action is taken against those that have black money, situation will not improve.

The other day the discussion on smuggling was going on in the House. If I allege that the Government is in league with the smugglers, it will not be wrong.

To-day a matter regarding signature has been raised and our freinds have denied that they have signed the document. When Shri Kanungo was the Governor of Bihar, he gave a letter of recommendation for issuing a passport to Coolie Mastan. When this matter was taken up in the Court of Chief Presidency Magistrate, the Magistrate passed strcture that Shri Kanungo was a strange person. But no action has been taken against Shri Kanungo. There are certain Ministers in the Maharashtra Cabinet about whom he says that they are in his pocket. Mastan had given lakhs of rupees for the Congress Session held in 1969. Can the hon. Minister deny this allegation ?

15,00 crores of rupees are being remitted abroad as foreign exchange. Unless the flow of foreign exchange is checked, there is no use of Additional Emoluments Bill, Compulsory Deposit Bill and the Dividend Bill. I request the hon. Minister to reject the Bill as well as ordinance.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकरदाता) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ वर्गों के आय-कर दाताओं द्वारा राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य निक्षेप के लिये तथा उसके सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिये और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा शुरू करेंगे।

खंड 2

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 और 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : नया खंड 3क जोड़ने के लिए संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत किया जाना है।

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

खंड 4

सभापति महोदय : अब सरकारी संशोधन 6 पेश किया जाएगा ।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 3, पंक्ती 19 के बाद, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :–

"**Explanation :** When any Central Act repeals and replaces (with or without any modification) the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) ordinance, 1974 the references to the said ordinance in this sub-section shall be construed as references to such Central Act."

["स्पष्टीकरण––जब कोई केन्द्रीय अधिनियम अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अध्यादेश, 1974 का (रूपभेद सहित अथवा उस के बिना) निरसन करता है या उसका स्थान लेता है, तो इस उप-धारा में उक्त अध्यादेश के संदर्भों को ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के संदर्भ समझा जाएगा" ।]

(संख्या 6)

(श्री यशवन्तराव चव्हाण)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खंड 5 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 21 were added to the Bill.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The schedule was added to the Bill.

खंड 1

श्री जगन्नाथराव जोशी : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं खंड 1 का संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए "।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब सभा स्थगित होगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हम मंत्री महोदय से वक्तव्य देने की आशा कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : यह एक नाजूक मामला है । जब तक हमें दूसरे सदन का कार्यवाही वृत्तान्त प्राप्त न हो जाए, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए । कार्यवाही वृत्तान्त कल प्राप्त हो जाएगा और हम इस पर चर्चा करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : The Deputy Minister for Commerce is leaving for Iran tomorrow. Through you, May I ask the hon. minister to give us information in regard to our questions?

सभापति महोदय : यदि मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं, तो अन्य सदस्यों को प्रश्न पूछने से मना नहीं कर सकता । इससे विवाद उत्पन्न हो जाएगा । मेरे विचार में यह मामला नाजूक है । जब तक हमें दूसरे सदन का कार्यवाही वृत्तान्त प्राप्त न हो जाए, हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 28 अगस्त, 1974/5 भाद्र०, 1896 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 28, 1974/Bhadra 5, 1896 (Saka)